

## प्रावक्थन

प्रतिकूल जलवायविक परिस्थितियों व अल्प वन सम्पदा वाले राज्य राजस्थान के हरित आवरण में वृद्धि किया जाना न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से अपितु लोक कल्याण के लिए भी आवश्यक है क्योंकि राज्य की अधिकांश ग्रामीण जनता व आदिवासी रोजगार व आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर है। राजस्थान राज्य का हरित आवरण 7.11 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के उद्देश्य को इस वर्ष नवगठित राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया, परिणामस्वरूप राज्य के वन प्रबन्ध के परिदृश्य में अनेक परिवर्तन किए गए हैं।

प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने एक अभिनव कार्यक्रम ‘‘हरित राजस्थान’’ का आह्वान किया तथा इस वर्ष अतु में इसका शुभारम्भ किया। कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था ‘नरेगा’ से की गई। इस योजना के आह्वान का सबसे बड़ा लाभ तो ये रहा कि प्रदेश का न केवल राजनैतिक नेतृत्व व नौकरशाही अपितु राज्य की आम जनता व अराजकीय संघठन भी वृक्षारोपण की शातिविधियों से जुड़ गए। राज्य के छोटे-छोटे मार्गों पर रिंग-पिट विधि से छायादार वृक्षों का रोपण हुआ। अनेक पौधशालाओं का संचालन भी आरम्भ हुआ। राज्य सरकार ने Buy Back Guarantee के अन्तर्गत विकेन्ड्रित पौधशालाएं स्थापित करने का नीतिगत निर्णय भी किया जिसके परिणामस्वरूप राज्य में आने वाले वर्षों में पौधारोपण की शति अपेक्षा से कहीं अधिक होगी। हरित राजस्थान को नरेगा से जोड़ने के परिणामस्वरूप वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए वित्त का अभाव भी नहीं रहेगा।

हरित राजस्थान के अलावा इस वर्ष वन प्रबन्ध के संदर्भों में अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी किए गए। इस वर्ष राज्य सरकार ने राज्य की प्रथम वन नीति की घोषणा की। इसके अतिरिक्त इस वर्ष राज्य की पारि-पर्यटन नीति की उद्घोषणा की गई। राज्य में राज्य कैम्पा का गठन भी इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, इससे कैम्पा कोष में रुका हुआ पैसा वन विकास के उपयोग में लिया जा सकेगा। आरामशीर्नों के नियमों में संशोधन कर प्रबोधन की व्यवस्था तथा शुल्कों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। टाङ्गर फाठणडेशन व बाघ सुरक्षा बल के गठन के निर्णय भी इस वर्ष किए गए। यह व्यवस्था निश्चित ही राज्य के वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दो और महत्वपूर्ण विषय जैसे राज्य के जैव विविधता नियमों की स्वीकृति तथा परिश्रांषित वनों का “विजन डॉक्यूमेंट” का अनुमोदन राज्य स्तर पर निर्णयार्थ विचाराधीन है।

इस वर्ष राज्य के पशुधन के निष्क्रमण को रोकने हेतु एक महत्वपूर्ण चरागाह विकास योजना राजस्थान कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत राज्य के 6 जिलों के जोड़-बीड़ों का विकास किया जा रहा है। राज्य के वन व वृक्षारोपणों की सुरक्षा जन सहभागिता से सुनिश्चित करने के लिए 1000 वन मित्रों की नियुक्ति की स्वीकृति भी राज्य सरकार ने प्रदान की। राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों के समीपवर्ती गांवों के ग्रामीणों को नेचर गाइड का प्रशिक्षण व रिक्शा चालकों का पंजीकरण भी किया जा रहा है। इससे गांव के वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिये ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जायेगा।



वन प्रबन्ध में ग्रामीणों की आगीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जिलों के वन विकास अभियानों के नियंत्रक के रूप में राज्य वन विकास अभियान के शठन का प्रस्ताव श्री राज्य सरकार के विचाराधीन है। वन विकास में पंचायतों की भूमिका बढ़ाने का संकल्प श्री किया गया है।

राज्य के विकास के लिए इस वर्ष अनेक नवीन योजनाएँ श्री अधिकारियों द्वारा हैं। वन्य जीवों के अधिवासों को और बैहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य के अनेक अभ्यारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों के सशक्तीकरण हेतु श्री योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।

**निष्कर्षतः:** ये वर्ष राज्य के वन एवं वानिकी परिवृश्य में एक क्रान्तिकारी वर्ष के रूप में समझा जावेगा। इस वर्ष किंतु गुप्त नीतिगत निर्णय वन प्रबन्ध से जन कल्याण की अवधारणा व राज्य का हरित आवरण बढ़ाने के प्रयासों में मील का पत्थर प्रमाणित होंगे।

इस प्रशासनिक प्रतिवेदन के कलेवर को चित्रात्मक व सुरुचिपूर्ण बनाने में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों यथा वन संरक्षक के, के. गर्भ तथा तेजवीर सिंह, उप वन संरक्षक गण मनोज पाराशर, अजय गुप्ता, राजेश गुप्ता, के. आर. काला, सहायक वन संरक्षक गण मुकेश सैनी, गिरीश पुरोहित, आर. के. जैन, औ. पी. शर्मा, वी. उस. राणा, योगेन्द्र सिंह कालवी, क्षेत्रीय वन अधिकारी डॉ. सतीश कुमार शर्मा, योगेश शर्मा, उस. के. सिंह तथा वनपाल महेन्द्र सक्सेना, करणसिंह राजावत आदि ने छायाचित्र उपलब्ध कराए। इनके योगदान के बिना प्रतिवेदन का सुरुचिपूर्ण बनाना संभव ही नहीं था एवं उत्तर्दर्थ सभी अधिकारी व कर्मचारी साधुवाद के पात्र हैं। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

अल्प समय में प्रतिवेदन हेतु तथ्य एवं चित्र संकलन तथा इसे तैयार कर आप तक पहुँचाने में डॉ. राकेश कुमार शर्मा एवं रमेश चन्द्र शर्मा, वनपाल ने अत्यन्त कठोर परिश्रम किया है। मैं उनके प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ।

मुझे विश्वास है ये प्रतिवेदन राज्य के वानिकी परिवृश्य का विहंगम दिघदर्शन कराने में सफल होगा।

शुभकामनाओं सहित !

(अभिजीत घोष)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर

## वन विभाग : एक नज़र में

(31-12-2009 की सूचनानुसार)

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32701.35 वर्ग किमी.
आरक्षित वन क्षेत्र	:	12213.85 वर्ग किमी.
रक्षित वन क्षेत्र	:	17712.94 वर्ग किमी.
अवर्गीकृत वन क्षेत्र	:	2774.55 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.56
सर्वाधिक वन सम्पदा वाला जिला	:	उदयपुर (30.86%)
न्यूनतम वन सम्पदा वाला जिला	:	चूरू (0.42%)
प्रदेश का कुल वनावरण (2009)	:	16036 वर्ग किमी. (4.69%)
वृक्षावरण	:	8274 वर्ग किमी. (2.42%)
वन एवं वृक्षावरण	:	24310 वर्ग किमी. (7.11%)
राज्य पशु	:	चिंकारा
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिङ्गा
राष्ट्रीय उद्यान	:	दो
वन्य जीव अभयारण्य	:	25
बाघ परियोजनाएं	:	2 (रणथम्भौर एवं सरिस्का)
महत्वपूर्ण पक्षी स्थल	:	24
रामसर स्थल	:	2 (घना पक्षी विहार एवं सांभर झील)
संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व)	:	2
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	42
वन्य जीव मण्डल	:	12
विभागीय कार्य मण्डल	:	4
कार्य आयोजना अधिकारी	:	7
भू-संरक्षण अधिकारी	:	7
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	216
अभियांत्रिकी सेवा अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	14
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	6994
मंत्रालयिक संवर्ग / कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	1034
वर्क चार्ज कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	7155
ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां	:	4916
इको ड्वलपमेंट कमेटियां	:	207
स्वयं सहायता समूह	:	1488
वनों का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान	:	171465.00 लाख रु.



## विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त


### ► दूरदृष्टि (Vision) :

- ✽ उपलब्ध वन एवं वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण एवं जन-सहभागिता से इनका विकास।
- ✽ राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थायित्व कायम करना।
- ✽ प्रदेशवासियों को वानिकी क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पन्न प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफलों से लाभान्वित करना।

### ► लक्ष्य (Targets) :

राज्य वन नीति के अनुसार विभाग के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

- ✽ मानव समुदाय की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता से राजस्थान के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास करना।
- ✽ समाज की इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं गैर काष्ठीय वन उपज की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राज्य का हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजकीय एवं सामुदायिक भू-खंडों, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना।
- ✽ वर्तमान व भावी पीढ़ी की मांगों की आपूर्ति के लिए सटीक प्रबन्धकीय उपायों व आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- ✽ मरुस्थलीय क्षेत्रों में शैल्टर बैल्ट, ब्लाक वृक्षारोपण, टीबा स्थिरीकरण तथा कृषि वानिकी के माध्यम से मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना तथा सभी प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करना।
- ✽ वन उपज विशेषकर गैर काष्ठीय वन उपज की प्रक्रिया मूल्य संवर्धन तथा विपणन की उचित सुविधाओं का विकास कर आदिवासियों व अन्य वन आधारित समुदायों की आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना एवं इस प्रकार उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करना।
- ✽ राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य 'कन्जर्व रिजर्व' (संरक्षित क्षेत्र) तथा 'सामुदायिक रिजर्व' की संख्या में वृद्धि कर वानरस्पतिक व वन्य जीवों तथा जीनपूल की विविधता को संरक्षित करना।
- ✽ जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों यथा तृणभूमि,



ओरण, नम भूमि आदि में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध के साथ-साथ राज्य में दुर्लभ व लुप्त प्रायः वनस्पति व वन्य जीव प्रजातियों का स्थानिक व बाह्य-स्थानिक उपायों से संरक्षण करना।

- ✽ वानिकी के सतत प्रबन्धन के लिए साझा वन प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से ग्राम समुदायों का सशक्तीकरण करना।
- ✽ वन उपज के श्रेष्ठतर उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शोध आधारित वानिकी को सशक्त करना।
- ✽ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने योग्य, शोध के परिणामों तथा प्रमाणिक तकनीकों का प्रसार व प्रसारण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ✽ वानिकी कार्मिकों, ग्रामीणों व अन्य महत्वपूर्ण हिस्सेदारों की तकनीकी व व्यवसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु जीवनवृत्ति नियोजन व विकास के सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास का संस्थानीकरण करना।

- \* वन विभाग की कार्यप्रणाली में सघन सहभागी रणनीति का समावेश कर वन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व पारस्परिक प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर जन अनुकूल उपागमों पर हस्तान्तरित करना ताकि इसे महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के साथ जन आन्दोलन बनाया जा सके।
- \* वन नीति का प्रमुख उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि कर पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिक सुरक्षा करना।
- \* वायु मण्डल में कार्बन की मात्रा में कमी के फलस्वरूप वैश्विक उष्णता व जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों में कमी आएगी।

### ► वन प्रबन्ध के सिद्धान्त

इन लक्ष्यों को निम्न व्यापक सिद्धान्तों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:-

- \* मौजूदा वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेपों/दावों से पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इन वनों का सतत् प्रबन्धन कार्य/प्रबन्ध योजना के माध्यम से किया जाएगा।
- \* स्थानीय समुदायों की भूमिका वन प्रबन्ध के केन्द्र में रहेगी। वन आधारित समुदायों व अन्य भागीदारों की चिन्ताओं, आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए सहभागी उपागम अपनाया जायेगा।
- \* संरक्षित क्षेत्रों व श्रेष्ठ वन्य जीव अधिवास क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्यों की अधिसूचना 'लैण्ड स्केप' आधार पर जन केन्द्रित उपागम अपनाकर पुनः जारी की जाएगी। ऐसे लघु क्षेत्र जिनमें अच्छे वन हों अथवा अधिवास हो तथा ऐसी शामिलाती भूमि जहां वन्य जीवों की सघन उपलब्धता हो, को संरक्षित 'रिजर्व' अथवा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्धन उस क्षेत्र हेतु अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुरूप किया जा सकता है।
- \* वनारोपण व चरागाह विकास के माध्यम से अकाल नियंत्रण कार्यानिकी के केन्द्र में रहेंगे।
- \* राज्य वन विभाग, राज्य की जनता के वनों का संरक्षक है किन्तु वन पारिस्थितिकी तंत्र, विलुप्त व विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली जैव विविधता, जो कि सतत् जीवन व आजीविका अर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, की रक्षा का दायित्व सभी पर समान रूप से है। किन्तु यदि किसी मामले में लोक अभिरुचि में ऐसा संरक्षण नहीं किया जा सके तो क्षेत्र की जनता जिस उत्पाद व सेवाओं से वंचित हो रही हो उसका मुआवजा ऐसी गतिविधि प्रस्तावित किए जाने वाले से मांगा जाना चाहिए।

- \* 'सेक्टोरल' नीति व कार्य योजना में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समावेश कर वनों के हित में राज्य के अन्य राजकीय विभागों व लोकतांत्रिक संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा।
- \* एक पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह तथा गम्भीर व समर्पित मानव शक्ति तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना वाले वन प्रशासन पर बल।

### ► रणनीति (Strategy) :

- \* राजकीय, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भू-खण्डों पर विस्तृत वनीकरण एवं चरागाह विकास कर राज्य का हरित आवरण 20% तक करना।
- \* वृक्षावली-वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम।
- \* जीव-जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा-स्थान (*in-situ*) एवं बाह्य-स्थान (*ex-situ*) संरक्षण।
- \* कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
- \* वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
- \* उन्नत तकनीक अपनाना तथा कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
- \* वन क्षेत्रों का कार्य योजना के अनुरूप प्रबन्धन व प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदेहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।
- \* प्रकृति-पर्यटन स्थलों के चिन्हीकरण उपरान्त, विकसित कर उन्हें विरासत-पर्यटन के साथ जोड़ना।
- \* मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- \* साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।
- \* जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना। वन सुरक्षा एवं संवर्धन में बड़े पैमाने पर जनसहभागिता उपागम अपनाना।
- \* "प्रदूषक चुकाए" के सिद्धान्त का अनुपालन।
- \* बहुउद्देशीय प्रजातियों के रोपण के माध्यम से अधिकाधिक सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना।
- \* वन उपज की मांग घटाने तथा दूसरा स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देते हुए उनकी आपूर्ति में वृद्धि करने की द्विमार्गी रणनीति अपनाना।
- \* नदी धाटी व बाढ़ सम्भाव्य नदियों के आवाह क्षेत्रों का सटीक मृदा व जल संरक्षण तकनीकों से उपचार तथा कन्दरा क्षेत्रों का सुधार।
- \* औरण व देव वनों को आवश्यक वित्तीय व विधिक सहयोग।



## महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण की क्रियान्विति

बिन्दु सं.	घोषणा	क्रियान्विति
55	<p>1. राज्य में वनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित स्थानीय जन समुदाय की आजीविका का सुदृढ़ीकरण सरकार की एक प्राथमिकता है। प्रदेश के वनों एवं जैव विविधता के संरक्षण तथा पारिस्थितिक पुनःस्थापना हेतु प्रमाण आधारित उत्तरदायी कार्यक्रम क्रियान्वयन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जावेगा। हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिये ठोस कार्य योजना बनाई जायेगी। प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस कार्य में निजी क्षेत्र के सहयोग की रणनीति बनायी जावेगी।</p> <p>2. वन उपज के विपणन में वन श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जावेगा।</p>	<p>हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिये जिलेवार कार्ययोजना बनायी गयी है। इन योजनाओं के अनुरूप आगामी पांच वर्षों में वृक्षारोपण के कार्य कराये जावेंगे जिसमें निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जावेगा। इस वर्ष हरित राजस्थान योजना में वन विभाग द्वारा दिसम्बर, 09 तक बीजारोपण सहित 73,978 है। में 3, 11, 38, 171 पौधे एवं अन्य विभागों/संस्थाओं द्वारा 23,059 है। में 1,28, 19, 178 पौधे रोपित किये जा चुके हैं। रोड साइड वृक्षारोपण में वन विभाग द्वारा 148 1.24 रो किमी. में 1,66,881 पौधे एवं अन्य विभाग/संस्थाओं द्वारा 898.36 रो किमी. में 1, 17, 437 पौधे रोपित किये जा चुके हैं। इस प्रकार घोषणा की क्रियान्विति जारी है।</p> <p>वर्तमान में वन श्रमिक सहकारी समितियां अस्तित्व में नहीं हैं। 1969 से पूर्व ये समितियां कार्य कर रही थीं। 1969 उपरांत विभागीय कार्यवृत्त द्वारा अनुमोदित कार्य आयोजना के अनुसार लकड़ी कटान का कार्य विभाग द्वारा हाथ में लिया गया है। इससे पूर्व ठेका प्रणाली लागू थी। उस दौरान इन समितियों के लिये कुछ कूप अलग से आवंटित किये जाते थे। उस समय ये समितियां लकड़ी तथा कोयला का विदेहन कर वन उपज का डिपो से उनके द्वारा विक्रय किया जाता था। 1969 के उपरांत कुछ समितियों ने एक या दो वर्षों तक और कार्य किया जिसके पश्चात् वे समाप्त हो गयी। इस प्रकार वर्तमान में इनके अस्तित्व में नहीं होने के कारण प्रोत्साहन दिया जाना संभव नहीं है।</p>
56	<p>1. संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तीकरण कर इन समितियों को वन प्रबंधन का जिम्मा सौंपा जावेगा। इन समितियों के माध्यम से अधिकाधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जावेगा।</p> <p>2. वानिकी कार्यों के विकास एवं प्रबंधन में पंचायत की भागीदारी को बढ़ावा दिया जावेगा।</p>	<p>1. ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां वन विभाग के साथ साझा वन प्रबंध के तहत 7.8 लाख हैं। वन भूमि का प्रबंधन कर रही है। वर्ष 2009-10 राज्य में राष्ट्रीय वनीकरण योजना में केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता से 9500 है। क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य समितियों के माध्यम से करवाया जा चुका है।</p> <p>2. पंचायत राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित हरित राजस्थान योजना में नरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत वानिकी कार्य पंचायत द्वारा करवाये जा रहे हैं। पंचायत राज विभाग द्वारा दिसम्बर, 09 हेतु जारी सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 12697 स्वीकृत कार्यों पर 16601.77 है। में 53.91 लाख पौधे रोपित किये गये हैं।</p>
58	<p>1. ग्रामीण युवकों में पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार किया जावेगा।</p>	<p>1. 'वन मित्र' योजना राज्य सरकार से दिनांक 17-07-2009 को स्वीकृत हो चुकी है। योजना की क्रियान्विति के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार से दिनांक 09-10-2009 को</p>

बिन्दु सं.	घोषणा	क्रियान्विति
	<p>2. चारे की कमी को दूर करने के लिये मरुस्थलीय जिलों में चरागाह विकास हेतु व्यापक परियोजनाओं को मूर्तरूप दिया जावेगा।</p> <p>3. सामाजिक वानिकी में टिम्बर, फल तथा औषधि की दृष्टि से उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जावेगा। वन संसाधनों के विकास तथा उनके संवर्द्धन के लिये ग्राम स्तर पर सहकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।</p> <p>4. पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिये विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी।</p>	<p>प्राप्त हो चुकी है। योजना की क्रियान्विति हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 12743-57 दिनांक 18-11-2009 से वन मित्रों को लगाये जाने की स्वीकृति जारी की गयी है। अब तक 456 वन मित्र लगाये जा चुके हैं।</p> <p>2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नरेगा आदि कार्यक्रमों में चरागाह विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जावेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों के लिये 10,000 है। में भौतिक लक्ष्य एवं 25.00 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 6 मरुस्थलीय जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर व पाली में चरागाह विकास के लिये 5.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है जिससे इस वर्ष 5000 है। अग्रिम कार्य तथा इसमें से 1000 है। क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य के लक्ष्य रखे गये थे। अब तक 761 है। क्षेत्र में अग्रिम कार्य एवं 580 है। क्षेत्र में चरागाह विकास कार्य सम्पादित किये जा चुके हैं।</p> <p>3. सामाजिक वानिकी में टिम्बर, फल, औषधि एवं अन्य उपयोगी पौधों को तैयार करने हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत 40.00 लाख पौधे एवं राज्य योजना के अन्तर्गत फार्म वानिकी के अन्तर्गत 45.00 लाख पौधे तैयार किये जायेंगे। पौध तैयारी का कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर, 09 तक 13.82 लाख पौधे आगामी वर्ष में वितरण हेतु तैयार किये गये हैं।</p> <p>4. पर्यावरण विभाग से संबंधित।</p>



## वर्ष 2009-10 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति

पैरा संख्या	घोषणा	क्रियान्विति	स्थिति
102	हमारे प्रदेश का बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी है तथा वर्षा की कमी एक स्थायी समस्या है। हमने राज्य की एक नई वन नीति बनाने का निश्चय किया हैं यदि प्रदेश में वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन के रूप में बढ़े पैमाने पर लागू किया जाये तो प्रदेश के पर्यावरण में एक मौलिक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी सोच से प्रेरित होकर हमने अभी हाल ही में हरित राजस्थान योजना लागू की है, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। मैं हमारे सभी राजनैतिक दलों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों, नागरिकों एवं सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं कि वे इस कार्यक्रम में पूरी लगन, उत्साह और समर्पण के साथ शामिल हों।	राज्य की वननीति का प्रारूप तैयार कर मंत्रिमण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसे मंत्रिमण्डल ने 17 फरवरी, 2010 को अनुमोदित कर दिया है।	-
103.0	वन क्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने के लिये एक विजन डॉक्यूमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेड फोरेस्ट्स तैयार किया जायेगा।	वांछित विजन डॉक्यूमेंट का प्रारूप तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।	-
103.0.1	आगामी पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2,50 लाख है। क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा, जिसमें से वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से एक लाख है। क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा।	इस वर्ष विभागीय योजनाओं एवं नरेगा अन्तर्गत हरित राजस्थान योजना में विभाग द्वारा दिसम्बर, 2009 तक 73,978 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा चुका है। वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में 9,500 है। क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जा चुका है। वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में अगले वर्ष में वृक्षारोपण हेतु बजट मांग प्रस्ताव बजट घोषणा के क्रम में राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे। इस पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार नरेगा से ही कार्य सम्पादित कराने हेतु जारी किये जाने वाले दिशा निर्देश का प्रारूप पंचायती राज विभाग द्वारा अनुमोदित कर समस्त जिला कलेक्टरों को माह नवम्बर, 09 में भेज दिया गया है।	क्रियान्वित
103.0.2	इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नरेगा आदि कार्यक्रमों में चरागाह विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जायेगा।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों के लिये 10,000 हैं। मैं भौतिक लक्ष्य एवं 25.00 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 6 मरुस्थलीय जिलों यथा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर एवं पाली में चरागाह विकास के लिये रुपये 5.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है जिससे इस वर्ष 5000 है। अग्रिम कार्य तथा इसमें से 1000 हैं। क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य के लक्ष्य रखे गये थे। अब तक 761 हैं। क्षेत्र में अग्रिम कार्य एवं 580 हैं। क्षेत्र में चरागाह विकास कार्य सम्पादित किया जा चुका है।	क्रियान्वित

103.0.3	हरित राजस्थान योजना के लिये नरेगा के अन्तर्गत पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काश्तकारों, स्वयं सहायता समूहों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रय करने की गारण्टी (buy back guarantee) के साथ राज्य भर में विकेन्द्रित पौधशालाएं विकसित कराई जायेगी।	वन विभाग द्वारा <i>buy back guarantee</i> के साथ विकेन्द्रित पौधशालायें तैयार करने संबंधी योजना बनाकर ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित कर दी गयी थी जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को विकेन्द्रीकृत पौधशाला विकसित करने की योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश उनके पत्रांक एफ.4(13)आरडी/नरेगा/ह.रा./09-10 दिनांक 01-10-2009 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। इस संदर्भ में सम्पूर्ण कार्यवाही जिला कलेक्टर्स के निर्देशन में जिला स्तर पर ही सम्पादित की जावेगी।	-
104	सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत टिम्बर, फल तथा औषधि के वृक्षों को लगाने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चालू वर्ष में 45 लाख पौधे तैयार किये जायेंगे।	पौध तैयारी हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। माह दिसम्बर, 2009 तक 13.82 लाख पौधे आगामी वर्ष में वितरण हेतु तैयार किये गये हैं। शेष के लिये कार्य प्रगति पर है तथा माह फरवरी एवं मार्च में पौधे तैयार कर लिये जावेंगे।	क्रियान्वित
105	वन क्षेत्रों में निवास करने वाले 1000 युवकों को मानदेय पर वन मित्र के रूप में लगाया जायेगा, जिससे ग्रामीण युवकों में पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।	वन मित्र योजना राज्य सरकार से 17-07-2009 को स्वीकृत हो चुकी है। योजना की क्रियान्विति के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार से दिनांक 09-10-2009 को प्राप्त हो चुकी है। योजना की क्रियान्विति हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 12743-57 दिनांक 18-11-2009 से वन मित्रों को लगाये जाने की स्वीकृति जारी की गयी तथा अब तक 456 वन मित्र लगाये जा चुके हैं।	क्रियान्वित
106	राज्य में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों के विकास हेतु इको-ट्यूरिज्म की नीति निर्धारित की जायेगी, जिससे पर्यटन, होटल, इण्डस्ट्रीज एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिये इको-ट्यूरिज्म नीति का अनुमोदन मंत्रिमण्डल द्वारा 04-02-2010 को किया जा चुका है।	-
107	नाबांड के सहयोग से सवाई मानसिंह, रणथम्भौर, केवलादेव एवं सरिस्का वन्य जीव क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में 42 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत के जल स्रोतों के विकास के कार्य करवाये जायेंगे।	सवाई मानसिंह, रणथम्भौर व सरिस्का वन्य जीव क्षेत्रों के लिये जल स्रोतों के विकास के लिये 42 करोड़ 54 लाख रुपये की योजना नाबांड के पत्रांक NB.SPD/RIDF-XV (Rajasthan)/107PSC/09-10 दिनांक 31-12-2009 से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिनका आगामी वर्ष में क्रियान्वयन किया जावेगा।	-
108	राज्य सरकार लुप्त प्रायः पौधों की प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास को प्राथमिकता देगी। गूगल एक ऐसा महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जो प्रमुख रूप से रेगिस्टानी इलाकों में पैदा होता था और कालांतर में समाप्त होने लगा है। इसके संरक्षण के लिये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर इत्यादि में	इस परियोजना की कुल लागत 679.35 लाख रुपये है तथा इसे वर्ष 2012-13 तक क्रियान्वित किया जाना है। वर्तमान में यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय मेडिसनल प्लान्ट बोर्ड भारत सरकार से अब तक 210.00 लाख रुपये राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2009-10 में 500 है। क्षेत्र में गूगल प्रजाति का वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा 5 लाख पौधों के विरुद्ध कृषकों को माह	क्रियान्वित



	नेशनल मेडिसिनल प्लाण्ट बोर्ड की सहायता से 7 करोड़ रुपये की परियोजना लागू की जावेगी।	दिसम्बर, 09 तक 3.14 लाख पौधे उनकी भूमि पर लगाये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 में माह दिसम्बर, 2009 तक 55.80 लाख राशि व्यय की जा चुकी है तथा अब तक कुल रुपये 162.34 लाख व्यय किये जा चुके हैं।	
109	सरिस्का एवं रणथम्भौर बाघ रिजर्व क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत एक विशिष्ट बाघ संरक्षण बल का गठन किया जायेगा। इस बल के गठन से बाघों की सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित युवा शक्ति उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश में बाघ संरक्षण का कार्य प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। इस पर 3 करोड़ 72 लाख रुपये प्रतिवर्ष की लागत आयेगी।	सरिस्का एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना में सुरक्षा हेतु क. प्र. यो. के अन्तर्गत 3.72 करोड़ रु. स्वीकृत किये गये जिसमें बाघ संरक्षण बल का गठन किया जाना है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी गाइडलाइन्स के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा (एम.ओ.यू.) मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर किया जाना है। वित्त विभाग ने एम.ओ.यू. करने से पूर्व विधि एवं गृह विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर उनकी सहमति प्राप्त करने के निर्देश के साथ सहमति प्रदान कर दी है तदनुसार पत्रावली प्रेषित की जा चुकी है।	-
110	जोधपुर में माचिया क्षेत्र को सेन्ट्रल जू-ऑथोरिटी के मापदण्डों के अनुसार बॉयोलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित करने के लिये परियोजना तैयार की जावेगी।	इस कार्य को दिनांक 15-3-2010 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।	-

○○○





## संकल्प क्रियान्वयन

क्र.सं.	नीतिपत्र की संकल्प संख्या	संकल्प का विवरण	वर्ष 2009-10 में क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना	क्रियान्वयन प्रगति का विवरण
1.	22.1	हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की ठोस कार्य योजना। प्रदेश में अधिकाधिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन। निजी क्षेत्र के अधिकाधिक सहयोग की रणनीति।	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18 जून, 2009 को हरित राजस्थान योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत वृहट् स्तर पर वृक्षारोपण कार्य लिए जायेंगे तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय द्वारा राशि की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना का नोडल विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा। योजनान्तर्गत वन विभाग के अतिरिक्त अन्य राजकीय विभागों, पंचायत राज संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट एवं अन्य के माध्यम से वन भूमि, चरागाह भूमि, सड़कों के किनारे एवं राजकीय भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य कराया जाना है। वर्ष 2009-10 के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना जिला कलेक्टर के स्तर पर अनुमोदित की गई है।	हरित राजस्थान योजना में वन विभाग द्वारा दिसम्बर, 2009 तक बीजारोपण सहित 73,978 हैक्टेयर में 3,11,38,171 पौधे एवं अन्य विभागों/संस्थाओं द्वारा 23,059 हैक्टेयर में 1,28,19,178 पौधे रोपित किये जा चुके हैं। रोड साइड वृक्षारोपण में वन विभाग द्वारा 1481.24 रो कि.मी. में 1,66,881 पौधे एवं अन्य विभाग/संस्थाओं द्वारा 898.36 रो कि.मी. में 1,17,437 पौधे रोपित किये जा चुके हैं। इस प्रकार संकल्प की क्रियान्विति जारी है।
2.	22.3	वन उपज के विपणन में वन श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	वर्तमान में वन श्रमिक सहकारी समितियां अस्तित्व में नहीं हैं। 1969 से पूर्व ये समितियां कार्य कर रही थीं। 1969 उपरान्त विभागीय कार्य वृत्त द्वारा अनुमोदित कार्य आयोजना के अनुसार लकड़ी कटान का कार्य विभाग द्वारा हाथ में लिया गया। इससे पूर्व ठेका प्रणाली लागू थी, उस दौरान इन समितियों के लिए कुछ कूप अलग से आवंटित किये जाते थे। उस समय ये समितियाँ लकड़ी तक कोयला का विदेहन कर उपज का डिपो से उनके द्वारा विक्रय किया जाता था। 1969 के उपरान्त कुछ समितियों ने एक या दो वर्षों तक और कार्य किया जिसके पश्चात् वे समाप्त हो गईं।	संकल्प को ड्रॉप करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किये जा रहे हैं।

3.	22.4	प्रदेश में वन उपज एवं आौषधीय पौधों को नियमानुसार पेटेंट कराने की कार्यवाही।	जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राजस्थान जैव विविधता नियम का प्रारूप अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है। नियमों के तहत गठित जैव विविधता बोर्ड नियम 15, जो जैव विविधता बोर्ड साधारण कृत्यों से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत राज्य के महत्वपूर्ण जैव संसाधन को पेटेंट किये जाने का कार्य भी करेगा। राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता नियम के अनुमोदन के उपरान्त गठित जैव विविधता बोर्ड द्वारा इस विषय में उचित कार्यवाही की जावेगी।	राजस्थान जैव विविधता नियम का प्रारूप मंत्रीमंडलीय समिति के समक्ष दिनांक 21.10.2009 को अनुमोदन हेतु रखा गया था। मंत्रीमण्डल द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन कर समिति द्वारा परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया था। समिति ने हाल में ही अपनी अभिशंषा प्रस्तुत कर दी है, जो परीक्षणाधीन है। शीघ्र ही प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण कर मंत्रीमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
4.	22.5		-	-
5.	22.5.1	वानिकी प्रबन्धन का जिम्मा समितियों को।	समितियों द्वारा वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन का कार्य यथावत किया जाता रहेगा। आवश्यकता होने पर नई वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया जायेगा तथा कम सक्रिय समितियों को सक्रिय बनाने का विभाग द्वारा प्रयास किया जावेगा। जिले की सभी वन सुरक्षा समिति को आगामी 5 वर्षों में जिले में गठित वन विकास अभिकरण की परिधि में लाया जावेगा।	ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां वन विभाग के साथ साझा वन प्रबन्धन के तहत 7.8 लाख हैं। वन भूमि पर सुरक्षा एवं प्रबन्धन कर रही हैं। आगामी वर्षों में वन विकास कार्य आर्थिक संसाधन के अनुसार अधिक से अधिक समितियों के माध्यम से ही लिया जावेगा।
6.	22.5.2	समितियों के माध्यम से एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य।	प्रतिवर्ष 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र में समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाना है। भारत सरकार की ग्रान्ट इन एड योजनान्तर्गत 9,500 हैक्टेयर क्षेत्र में इस वर्ष वृक्षारोपण हेतु राशि स्वीकृत की गई है। आगामी वर्ष के वृक्षारोपण हेतु इस वर्ष 10,000 हैक्टेयर में अग्रिम कार्य हेतु राज्य योजना से राशि रूपये 17.86 करोड़ की मांग मोडिफाइड बजट में की गई है। शेष 10,000 हैक्टेयर में अग्रिम कार्य हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।	9,500 हैक्टेयर क्षेत्र में समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य करवाया जा चुका है। इस वर्ष विभागीय योजनाओं एवं नरेगा अन्तर्गत हरित राजस्थान योजना में विभाग द्वारा 73,978 है। क्षेत्र में माह दिसम्बर, 2009 तक वृक्षारोपण का कार्य करवाया जा चुका है। वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में 9500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जा चुका है। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में आगले वर्ष में वृक्षारोपण हेतु बजट मांग प्रस्ताव बजट घोषणा के क्रम में राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे। इस पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार नरेगा से ही कार्य सम्पादित कराने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश पत्रांक एफ.4(13)ग्रावि/हरित राज स्कीम/पार्ट-5/09-10 दिनांक 12.11.2009 से जारी कर दिये गये हैं।



7.	22.5.3	वानिकी कार्यों के विकास एवं प्रबन्धन में पंचायत की भागीदारी को बढ़ावा।	नरेगा के अन्तर्गत चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास के कार्य हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।	योजना का क्रियान्वयन पंचायत राज विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। अतः उनके द्वारा दिसम्बर, 2009 हेतु जारी सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 12697 स्वीकृत कार्यों पर 16,601.77 हैक्टेयर क्षेत्र में 53.91 लाख पौधे रोपित किये गये हैं।
8.	22.6	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रणथम्भौर, सरिस्का, केवलादेव, कुंभलगढ़, तालछापर खींचन जैसे अभ्यारण्यों का सशक्तीकरण।	अभ्यारण्यों/पार्क की प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन गतिविधियां जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढीकरण, बाउण्ड्रीवाल, जल व मृदा संरक्षण कार्य, आग सुरक्षा, इको-ट्र्यूरिज्म, सूचना तंत्र, ट्रैनिंग, रिसर्च, हैबीटाट सुधार इत्यादि प्रस्तावित की जाती है। यह सभी कार्य वार्षिक योजना (ए.पी.ओ.) में शामिल की जाती है व भारत सरकार से स्वीकृत करायी जाती है। रणथम्भौर, सरिस्का, केवलादेव, कुम्भलगढ़, तालछापर जैसे अभ्यारण्यों के सशक्तीकरण हेतु वर्ष 2009-10 की कार्य योजना भारत सरकार को स्वीकृत हेतु तैयार कर भेजना।	<p>अभ्यारण्यों में भारत सरकार से स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप निम्न प्रकार से सशक्तीकरण कार्य कराये जा रहे हैं:-</p> <p><b>(अ) रणथम्भौर टाइगर रिजर्व</b></p> <p>वर्ष 2009-10 में टाइगर रिजर्व हेतु 287 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत इस क्षेत्र के सशक्तीकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- हैबीटाट सुधार कार्य <ul style="list-style-type: none"> <li>● वलोजर निर्माण</li> <li>● वीड उन्मूलन कार्य</li> <li>● एनीकट निर्माण कार्य</li> <li>● जोहड़ निर्माण</li> </ul> </li> <li>- सुरक्षा कार्य: <ul style="list-style-type: none"> <li>● शिकार एवं चराई की रोकथाम हेतु होम गार्ड्स को तैनात करना।</li> <li>● वन्य जीवों की मोनिटरिंग।</li> <li>● वायरलेस संधारण कार्य।</li> <li>● फायर लाइन का संधारण।</li> </ul> </li> <li>- ढांचागत विकास कार्य <ul style="list-style-type: none"> <li>● मोनिटरिंग हेतु इक्विपमेंट क्रय।</li> <li>● सड़क, कलवर्ट्स, पुल निर्माण।</li> <li>● एनीकट्स एवं तालाबों का संधारण।</li> <li>● चौकी एवं बैरियर का संधारण कार्य।</li> </ul> </li> <li>- गाँवों का विस्थापन: <ul style="list-style-type: none"> <li>● रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में गत वर्ष एक गांव का विस्थापन किया जा चुका है। (इन्डाला) इस वर्ष 10 गाँवों का टाइगर रिजर्व क्षेत्र से अन्यत्र विस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। कार्यवाही जारी है। इस हेतु 130 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।</li> </ul> </li> </ul> <p><b>(ब) सरिस्का टाइगर रिजर्व</b></p> <p>वर्ष 2009-10 में टाइगर रिजर्व हेतु 229.95 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई</p>

है, जिसके अन्तर्गत इस क्षेत्र के सशक्तीकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं :-

- हैबीटाट सुधार कार्य :
  - वीड उन्मूलन कार्य
  - जल संरक्षण कार्य
  - जोहड निर्माण
- सुरक्षा कार्य :
  - शिकार एवं चराई की रोकथाम हेतु होम गार्ड्स को तैनात करना।
  - वन्य जीवों की मोनिटरिंग।
  - वायरलेस संधारण कार्य।
  - फायर लाइन का संधारण।
- ढांचागत विकास कार्य :
  - मोनिटरिंग हेतु इक्विपमेंट क्रय।
  - सड़क निर्माण।
  - चौकी एवं बैरियर का संधारण कार्य।
- गांवों का विस्थापन
  - बांधों को सुरक्षित एवं निर्विघ्न आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से अभ्यारण्य में बसे हुए ग्राम कांकवाड़ी एवं उमरी को अभ्यारण्य के बाहर विस्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। विस्थापन हेतु 15 करोड़ 44 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है। इस वर्ष ग्राम सुकोला डाबली, क्रासका, लीलुण्डा व रोटक्याला को अभ्यारण्य से बाहर विस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए परियोजना तैयार करवाकर भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है।

#### (स) केवलादेव नेशनल पार्क-स्वीकृत योजना राशि 87.86 लाख

केवलादेव नेशनल पार्क में स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप निम्न कार्य मुख्य रूप से कराये जा रहे हैं :

- सीमा पर 2 किमी. की नई दीवार का निर्माण।
- 1 किमी. बाउण्ड्रीवाल को दो फीट बढ़ाया गया।
- पार्क सीमा पर स्लूस गेट बनाया गया, ताकि पानी बहकर वापस नहीं जा सके।
- बर्ड वॉक ट्रैल पर टाइल्स लगाने का कार्य



किया, ताकि साइकिल रिक्शा आसानी से चल सके।

**(द) कुम्भलगढ़ अभयारण्य - स्वीकृत योजना राशि 59.35 लाख**

कुम्भलगढ़ अभयारण्य में स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप निम्न कार्य मुख्य रूप से कराये जा रहे हैं :-

- इको-ट्रॉफी-इंडस्ट्रीज साइट फोर्ट व्यू प्वाइन्ट का डबलपमेन्ट किया गया, जिसमें 2 किमी. नेचुरल ट्रैल का निर्माण।
- 4 किमी. फोरेस्ट रोड की मरम्मत।
- ठंडी बेरी मुशाला महावीर 3 किमी. नेचुरल ट्रैल का निर्माण
- एनीकट, गेबियन स्ट्रक्चर, पक्के चैक डेम का निर्माण।
- फायर लाइन्स 12 किमी. निर्माण।
- पुराने भवन एवं 5 वनरक्षक चौकी की मरम्मत
- वनपाल नाका सादड़ी का निर्माण

**(य) तालछापर अभयारण्य राज्य योजना राशि रूपये 298.13 लाख**

तालछापर अभयारण्य में निम्न कार्य मुख्य रूप से कराये जा रहे हैं।

- हैबीटाट इम्प्रूवमेन्ट हेतु कंटूर ट्रैच का निर्माण। पार्स्चर डबलपमेन्ट के कार्य, पानी व्यवस्था हेतु पाइप लाइन डालने का का कार्य।
- 195 बीघा भूमि पार्क के लिए अधिग्रहित की।

- आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा प्रशासनिक भवन, गार्ड होस्टल, रेस्ट हाउस, अधिकारी निवास, कम्प्यूनिटी हॉल, क्राफ्ट शॉप, एम्फी थियेटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

इसके अलावा अन्य अभयारण्यों में भी भारत सरकार से स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप सशक्तीकरण के कार्य किये जा रहे हैं।

**(र) खींचन क्षेत्र**

खींचन न तो वन क्षेत्र है और न ही अभयारण्य। यह क्षेत्र छोटा होने के कारण कम्प्यूनिटी रिजर्व अथवा कन्जर्वेशन रिजर्व होने के लिये योग्यता नहीं रखता। वर्तमान में स्थल का वांछित प्रबन्धन स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है।


				प्रवासी पक्षियों को पेयजल सुलभ कराने के उद्देश्य से गांव की नाड़ी में पेयजल की स्थायी व्यवस्था हेतु 1.00 लाख रुपये की लागत से 1000 मीटर पाइप लाइन डलवाने का कार्य किया गया है।
9.	22.6.1	इन अभ्यारण्यों से पर्यटन व व्यापार को मिलने वाले लाभ का सुदृढ़ीकरण	(1) वर्ष 2009-10 के दौरान इको-ट्यूरिज्म योजना की तैयारी एवं आगामी 4 वर्षों में क्रियान्वयन। रणथम्भौर, सरिस्का, कुम्भलगढ़ एवं केवलादेव अभ्यारण्य एवं नेशनल डेजर्ट पार्क के लिए दिनांक 31.3.2010 तक योजना तैयार कर भारत सरकार से अनुमोदन एवं क्रियान्वयन। (2) तालछापर क्षेत्र में इको-ट्यूरिज्म के लिये एक योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। वर्ष 2009-10 में 298.13 लाख राशि स्वीकृत है जिसे योजना में स्वीकृत कार्यों पर दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग। (3) स्थानीय लोगों को नेचर गाइड, ड्राइवर व रिक्शा चालक के रूप में रोजगार।	(1) अभ्यारण्यों से पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इको-ट्यूरिज्म हेतु केवलादेव नेशनल पार्क एवं माउन्ट आबू के लिये क्रमशः राशि 261.13 लाख एवं 231.00 लाख स्वीकृत की गई है। रणथम्भौर, सरिस्का तथा कुम्भलगढ़ के लिए क्रमशः 800 लाख, 500 लाख एवं 800 लाख की इको-ट्यूरिज्म योजना प्रस्तावित की गई है। (2) तालछापर अभ्यारण्य के लिये वर्ष 2009-10 में 298.13 लाख राशि स्वीकृत है जिसे योजना में स्वीकृत कार्यों पर उपयोग किया जा रहा है। (3) स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न अभ्यारण्यों में स्थानीय लोगों में से 184 नेचर गाइड एवं 123 रिक्शा चालकों के रूप में पंजीयन कर रोजगार दिया जा रहा है।
10.	22.6.2	हाड़ौती क्षेत्र में घोषित राजीव गांधी नेशनल पार्क के विकास की ठोस समयबद्ध कार्ययोजना।	दरा अभ्यारण्य की प्रबन्ध योजना का भारत सरकार से अनुमोदन एवं स्वीकृति अनुसार दिनांक 31.3.2010 तक क्रियान्वयन।	हाड़ौती क्षेत्र में घोषित राजीव उद्यान राजीव गांधी नेशनल पार्क के स्थान पर मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रारम्भिक रूप से विज्ञाप्ति जारी की गई है। मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान (प्रस्तावित राजीव गांधी नेशनल पार्क) का प्रस्तावित क्षेत्र दरा अभ्यारण्य क्षेत्र का एक हिस्सा है। वर्ष 2009-10 के दौरान दरा अभ्यारण्य के लिए 39.30 लाख रुपये के निम्न विकास कार्य प्रगति पर हैं:- <ul style="list-style-type: none"><li>• दरा वन खण्ड में एक एनीकट का निर्माण।</li><li>• नालों में लूज स्टोन, चैक डेम का निर्माण।</li><li>• कोलीपुरा में बोरवैल, सोलर वाटर पम्प लगाने का कार्य।</li><li>• गिरधरपुरा, घाटोली में वनपाल नाकों का निर्माण।</li><li>• तीन पुलिया का निर्माण कार्य।</li><li>• 500 मीटर दीवार का निर्माण।</li></ul>



11.	22.8	<p>वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों में से 20 से 25 वर्ष की आयु वाले युवकों की निश्चित अवधि के लिये स्टाइफण्ड पर वनमित्र के रूप में नियुक्ति। ग्रामीण युवकों में पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार।</p>	<p>वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को स्टाइफण्ड पर वनमित्र के रूप में लगाये जाने की योजना विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 2272 दिनांक 16.4.2009 से राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण अनुसार इस वर्ष 1000 वनमित्रों को स्टाइफण्ड पर लगाया जाना है।</p>	<p>राज्य सरकार से योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 9.10.2009 को जारी की जा चुकी है। योजना की क्रियान्विति हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को उनके आदेश क्रमांक 12743-57 दिनांक 18.11.2009 से वनमित्रों को लगाये जाने की स्वीकृति जारी की गयी है। अभी तक 456 वनमित्रों को विभिन्न वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा लगाया जा चुका है।</p>
12.	22.9	<p>मरुस्थलीय जिलों में चरागाह विकास हेतु व्यापक परियोजनाओं को मूर्त्त रूप। चारे की कमी को इस तरह पूरा किया जाना सुनिश्चित।</p>	<p>राजस्थान कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 10,000 हैक्टेयर भूमि पर 5 वर्ष की अवधि में चरागाह विकास की परियोजना तैयार कर कृषि विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित की गई है।</p>	<p>परियोजना की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक 24 जून, 2009 को आयोजित हो चुकी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में 6 मरुस्थलीय जिलों में चरागाह विकास के लिये 5.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। इस वर्ष 5000 है। क्षेत्र में अग्रिम कार्य तथा इसमें 1000 है। क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य के लक्ष्य रखे गये हैं। अब तक 580 है। क्षेत्र में चरागाह विकास कार्य सम्पादित किया जा चुका है तथा माह दिसम्बर, 09 तक रुपये 65.15 लाख का व्यय हो चुका है।</p>
13.	22.10	<p>सामाजिक वानिकी में टिम्बर, फल तथा औषधि की दृष्टि से उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिये प्रोत्साहन। वन संसाधनों के विकास तथा उनके संवर्द्धन के लिये ग्राम स्तर पर सहकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन।</p>	<p>सामाजिक वानिकी में टिम्बर, फल, औषधीय एवं अन्य उपयोगी पौधों को तैयार करने हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत 40.00 लाख पौधे एवं राज्य योजना के अन्तर्गत फार्म वानिकी के अन्तर्गत 45.00 लाख पौधे तैयार किये जायेंगे।</p>	<p>पौध तैयारी हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत 40.00 लाख पौधे तैयारी हेतु बजट आंवटन किया जा चुका है। पौध तैयारी का कार्य प्रगति पर है। राज्य योजना में फार्म वानिकी के अन्तर्गत 45.00 लाख पौधे तैयार करने हेतु बजट आंवटन किया जा चुका है तथा माह दिसम्बर, 09 तक 13.82 लाख पौधे तैयार किये जा चुके हैं।</p>
14.	22.12	<p>वन अधिकार अधिनियम के तहत वनवासियों को प्राथमिकता के आधार पर छ: महिनों के अन्तर्गत पट्टे जारी।</p>	<p>इस कार्य का जिम्मा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पास है। वन विभाग द्वारा इस कार्य में जनजाति विकास विभाग को पूर्ण सहयोग दिया जावेगा।</p>	<p>भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 2008 अधिसूचित किये गये हैं जिनके अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। दावों के निष्पादन में</p>

				जनजाति विकास विभाग को वन विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है।
15.	22.2	वर्षों से वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के भूस्वामित्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान के त्वरित प्रयास।	इस कार्य का जिम्मा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पास है। वन विभाग द्वारा इस कार्य में जनजाति विकास विभाग को पूर्ण सहयोग दिया जावेगा।	आदिवासियों के भूस्वामित्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिये अब भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमूलित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 2008 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जिसका विस्तृत विवरण संकल्प संख्या 22.12 में दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन कार्यों हेतु जनजाति क्षेत्र विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
16.	22.7	पर्यटन और वाइल्डलाइफ प्रबन्धन में स्थानीय लोगों एवं पंचायतों की सहयोगी भूमिका को बढ़ावा।	इको ड्वलपमेंट कमेटी का गठन एवं स्थानीय लोगों की कठिनाइयां जानने हेतु समय-समय पर बैठकों का आयोजन।	अभयारण्यों के आस-पास में 207 इको-ड्वलपमेंट कमेटी स्थापित की गई हैं जिसके सहयोग से अभयारण्यों की सुरक्षा एवं विकास की परिकल्पना कर वन्य जीव प्रबन्धन किया जा रहा है। इन समितियों की बैठक निरन्तर समय अन्तराल में आयोजित की जाती है।

○○○



# 1

## राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23° 30' एवं 30° 11' उत्तरी अक्षांश तथा 69° 29' एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.56 प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं। राज्य का उत्तरी-पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरुस्थलीय या अर्द्धमरुस्थलीय है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान हैं।

### पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन—वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया है :

### राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

पश्चिमी मरुस्थल

अरावली पर्वतमाला क्षेत्र

पूर्वी मैदानी भाग

बनास सिंचित क्षेत्र

चप्पन सिंचित क्षेत्र

दक्षिणी-पूर्वी पठार

### मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र

नहरी—सिंचित क्षेत्र

असिंचित क्षेत्र

लूपी बेसिन

अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र

उत्तरी अरावली प्रदेश

मध्य अरावली प्रदेश

दक्षिणी अरावली प्रदेश

पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र

बनास बेसिन

माही बेसिन

बाण गंगा बेसिन

साहिबी बेसिन

गम्भीरी बेसिन

वराह / बराह बेसिन

हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र

चम्बल बेसिन

डांग क्षेत्र

### भू-उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग—अलग प्रकार से भू-उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू—उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग—अलग प्रकार से किया जा रहा है।


जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ का अधिकांश भू—भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि कम उपजाऊ है वहाँ पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू—भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में प्रदेश में भू—उपयोग की स्थिति अग्रांकित तालिका से दृष्टव्य हैः—





### राजस्थान में भू-उपयोग : एक दृष्टि में

क्र. सं.	गतिविधि अनुरूप भू-उपयोग	कुल क्षेत्रफल वर्ग किमी. में	प्रतिशत
1.	वन क्षेत्र	32,701	9.56
2.	अकृषि भूमि	17,257	5.04
3.	बंजर भूमि (जोत रहित भूमि)	4,420	1.29
4.	चरागाह भूमि	11,942	3.49
5.	कृषि योग्य बंजर भूमि	68,985	20.16
6.	परती भूमि	42,077	12.29
7.	कृषि योग्य भूमि (वास्तविक बोया गया क्षेत्र)	1,64,857	48.17
	<b>योग</b>	<b>3,42,239</b>	<b>100</b>



उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में वन भूमि मात्र 9.56 प्रतिशत ही है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इसे 33 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

### वन सम्पदा :

#### □ वनों के प्रकार :


राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :—

### सरिस्का अभ्यारण्य में सांभर व हिरणों का विचरण

छाया : मुकेश सैनी



क्र.सं.	वन प्रकार	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत
1.	शुष्क सागवान वन	2247.87	06.87
2.	शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन	19027.75	58.19
3.	उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन	9292.86	28.42
4.	उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन	2006.23	06.14
5.	अर्द्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन	126.64	00.38
	<b>योग</b>	<b>32701.35</b>	<b>100.00</b>




#### □ वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति\*

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32701.35 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :—

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12213.85	37.35
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	17712.94	54.16
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest)	2774.56	8.49
	<b>कुल योग</b>	<b>32,701.35</b>	<b>100.00</b>

\*2009 की स्थिति अनुसार





## □ प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

- अभिलेखित वन (Recorded Forests) : 32701.35 वर्ग किमी.
  - \* राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 9.56 प्रतिशत
  - \* राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 0.99 प्रतिशत
  - \* राष्ट्र के वन क्षेत्रफल के संदर्भ में : 4.23 प्रतिशत
  - \* प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र : 0.06 हैक्टर
- वन आवरण (Forest Cover) : 16036 वर्ग किमी.
 

(भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट, 2009 के अनुसार)

  - \* अति सघन वन (छत्र घनत्व  $> 70$  प्रतिशत) : 72 वर्ग किमी.
  - \* सघन वन (छत्र घनत्व 40 से 70 प्रतिशत) : 4450 वर्ग किमी.
  - \* खुले वन (छत्र घनत्व 10 से 40 प्रतिशत) : 11514 वर्ग किमी.
  - \* प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन आच्छादन गत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2005 के सापेक्ष राज्य के कुल वन आवरण में वृद्धि : 186 वर्ग किमी.
- वृक्ष आच्छादन (Tree Cover) : 8,274 वर्ग किमी.
  - \* प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वृक्ष आच्छादन : 2.42 प्रतिशत
  - \* भारत वर्ष में सर्वाधिक वृक्ष आवरण (अभिलेखित वन क्षेत्र से बाहर वनावरण) में सभी राज्यों में राजस्थान का तीसरा स्थान है।
- वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र (Forest & Tree Cover) : 24,310 वर्ग किमी.
  - \* प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ट 1 पर दृष्टव्य है।



छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

प्रजनन काल में अपने अधिपत्य को साबित कर मादा पर हक जमाने के लिए मल्लयुद्ध करते दो प्रोढ़ नर गिरगिट (केलोटीज वर्सॉक्लर)

## 2

# प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

## वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग-अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बन्धी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यतः निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है:

पेन्टेड स्टार्के

छाया : मुकेश सैनी



## ● उच्च स्तरीय प्रशासन :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्बांधित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दुपत्ता एवं अनुसंधान कार्यों की स्वतंत्र रूप से देख-रेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्य जीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) प्रदेश में प्रशिक्षण, शोध, शिक्षा तथा प्रसार के साथ-साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारू क्रियान्विति के लिए राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। सितम्बर, 09 से राज्य में कार्यरत अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोजेक्ट) का पदनाम परिवर्तित कर अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-संरक्षण) कर दिया गया है। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशों के अनुसरण में अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) को दिनांक 29 जुलाई, 2009 को एक आदेश जारी कर वन विभाग का व्यवस्था एवं पद्धति अधिकारी मनोनीत किया गया है।

## ● मध्यम स्तरीय प्रशासन :

मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के

अनुरूप बनाया गया है। वन संभाग एवं राजस्व संभाग में बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए संभागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किए गये हैं। सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, सीधे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नियंत्रण में रहकर कार्य करेंगे। इस वर्ष राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22 जुलाई, 2009 से सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय वन संरक्षकों के कार्य क्षेत्रों का विभाजन राजस्व संभागों के अनुरूप किया गया है। अब सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के कार्य क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:-

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर :- जयपुर जिले के तीनों वन मण्डल यथा जयपुर (उत्तर), जयपुर (दक्षिण) एवं जयपुर (मध्य) तथा अलवर, दौसा, सीकर व झुंझुनूं जिले के प्रादेशिक वन मण्डल।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर :- अजमेर, नागौर, टोंक एवं भीलवाड़ा जिले के प्रादेशिक वन मण्डल।
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर :- जोधपुर, जैसलमेर (समस्त प्रादेशिक एवं सिंचित क्षेत्र के वन मण्डल) पाली, जालौर, बाड़मेर तथा सिरोही जिले के प्रादेशिक वन मण्डल।
4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर :- उदयपुर (तीनों वन मण्डल यथा उदयपुर (दक्षिण), उदयपुर (मध्य) व उदयपुर (उत्तर)), राजसमंद, ढूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ जिले के प्रादेशिक वन मण्डल।
5. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर :- भरतपुर, करौली, धौलपुर व सवाईमाधोपुर जिले के प्रादेशिक वन मण्डल।
6. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर :- बीकानेर जिले के सभी प्रादेशिक एवं सिंचित क्षेत्र वन मण्डल, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व चूरू जिले के समस्त प्रादेशिक वन मण्डल।
7. मुख्य वन संरक्षक, कोटा :- कोटा, बूदी, बारां एवं झालावाड़ जिले के प्रादेशिक वन मण्डल।

इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक-एक वन संरक्षक का पद भी सृजित किया गया है। सम्भाग स्तर पर कार्यरत वन संरक्षक कार्यालयों का सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय विलयन कर दिया गया है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा



सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में “बाइनोसिलेट” किस्म का “नाजा नाजा” प्रजाति का कोबरा

मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम् सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इनके कर्तव्यों का निर्धारण पृथक् से कर दिया गया है। ये वन संरक्षक, जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ-साथ सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे। प्रत्येक संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक-एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद सृजित किया गया है इनके द्वारा संबंधित संभाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप करेंगे। भू-राजस्व का अभिलेख भी यही अधिकारी रखेंगे। इनमें से कार्य आयोजना अधिकारी के चार पद क्रमशः कोटा, जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, भारतीय वन सेवा के तथा शेष तीन पद जोधपुर, भरतपुर व अजमेर राज्य वन सेवा के रखे गए हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक संभाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिए एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई कार्य करेगी। मूल्यांकन मण्डल अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

इसी प्रकार वन्य जीव प्रबन्धन के लिये राज्य में चार मुख्य वन संरक्षकों के पद क्रमशः जयपुर, कोटा, उदयपुर व जोधपुर में सृजित किये गये हैं जिनका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा :-

1. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), जयपुर :- वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक अलवर एवं वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर एवं उनका कार्य क्षेत्र।

2. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा :- वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक कोटा, एवं उप वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा एवं उनका कार्य क्षेत्र।
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर :- उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर एवं उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चित्तौड़गढ़ एवं उनका कार्य क्षेत्र।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर :- उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर, उप वन संरक्षक (वन्य जीव), माउण्ट आबू तथा उप वन संरक्षक (डी.एन.पी.), जैसलमेर एवं उनका कार्य क्षेत्र।

विशिष्ट परियोजनाओं के मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र पूर्ववत होगा।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन



संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गए हैं। इन उप खण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उप खण्ड 3 से 4 रेंजों का है। उप खण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य-दायित्व पृथक् से निर्धारित किए गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं प्रबन्धन प्रभावी किया जा सकेगा तथा वन विकास एवं साझा वन प्रबन्ध कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ-साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्य जीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

## ● कार्यकारी रत्तर :

वन मण्डल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वन रक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है।

विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्य स्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

## वन सेवा :

उपरांकित प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिए विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति निम्नानुसार है:-

## ● भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में 145 पद स्वीकृत हो गए हैं। राज्य के 9 भा. व. से. अधिकारी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा 91 अधिकारी राज्य में विभिन्न पदों पर तथा दो अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान में अग्रतालिका अनुसार कार्यरत हैं:-

इस वर्ष भारतीय वन सेवा संवर्ग का 'कैडर रिव्यू' किया गया है। भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद का नियतन) नियमावली, 1966 में संशोधन करते हुए प्रदेश में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या 112 से बढ़ाकर 145 कर दी गई है। इस वृद्धि की अधिसूचना जुलाई, 2009 में गजट में प्रकाशित कर दी गई है। इस नियतन के अनुरूप राज्य में 2 पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 6 पद अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 21 पद मुख्य वन संरक्षक, 16 पद वन संरक्षक तथा 44 पद उप वन संरक्षक स्तर के कैडर पद हो गए हैं। इस वर्ष भा. व. से. की एक प्रशिक्षणार्थी सुश्री संदीप राज को अलवर में पदस्थापित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय वन सेवा के निम्न अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं:-



- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. श्री जी. पी. डी. व्यास - 31-7-2009 | 4. श्री एल. के. शर्मा - 31-12-2009 |
| 2. श्री आर. के. रैगर - 31-12-2009     | 5. श्री सुनयन शर्मा - 31-3-2010    |
| 3. श्री राजन माथुर - 31-12-2009       |                                    |

क्र. सं.	पद नाम	पद स्थापन का विवरण				
		कैडर में पद	रिक्त पद	एक्स कैडर में	रिक्त पद	कुल पद रिक्त
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	-	2	-	-
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	-	2	-	-
3.	मुख्य वन संरक्षक	21	-	6	-	-
4.	वन संरक्षक	16	1	6	-	1
5.	उप वन संरक्षक	44	17	6	1	17
	योग	89	17	22	1	18

### ● राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :

राजस्थान वन सेवा में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक (चयनित वेतनमान)	5	5
2.	उप वन संरक्षक	62	7
3.	सहायक वन संरक्षक	149	35
	योग	216	47

बस्सी अभ्यारण्य में सारस

छाया : मनोज पाराशर



### ● अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) :-

विभाग में अभियांत्रिकी पदों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिशासी अभियंता	4	2
2.	सहायक कृषि अभियंता / सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी)	8	5
3.	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि)	2	2

### ● वन अधीनस्थ सेवा (Forest Subordinate Service) :-

अधीनस्थ वन सेवा के क्षेत्रीय प्रथम, क्षेत्रीय द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल तथा वन रक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1.	क्षेत्रीय-प्रथम	264	245	19
2.	क्षेत्रीय-द्वितीय	185	173	12
3.	वनपाल	1000	953	47
4.	सहायक वनपाल	919	883	36
5.	वन रक्षक एवं गेम वाचर्स	4002	3040	962

अधीनस्थ वन सेवा के अन्य स्वीकृत 173 पदों में से 19 पद रिक्त चल रहे हैं।

### ● मंत्रालयिक सेवा (Ministerial Service) :-

मंत्रालयिक सेवा के कुल 1034 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें से 27 पद रिक्त चल रहे हैं।

### ● तकनीकी संवर्ग (Technical Service) :-

विभाग में तकनीकी संवर्ग के कुल 451 पद स्वीकृत हैं इनमें से 68 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों में अमीन, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन, ट्रैसर के सर्वाधिक 39 पद रिक्त हैं। सर्वेयर व अमीन के भर्ता व नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं।



मेवाड़ की सांस्कृतिक विरासत एवं चित्रकला शैली : दाहिनी ओर से प्रथम चौरों पर अंकित मृतक व्यक्ति को बधेरे ने मारा था जिसके प्रतीक स्वरूप बधेरे का सांकेतिक चित्र बनाया जाकर अंकित किया गया है कि “नाहर मारा था”।



## • वर्कचार्ज संवर्ग (Work Charge Service) :-

विभाग में वर्तमान में 165 दैनिक श्रमिक (न्यायालय आदेश के कारण) सहित 7155 कर्मकार वर्कचार्ज संवर्ग में कार्यरत हैं।

## • भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति :-

राज्य में वन रक्षकों के पदों पर भर्ती होने तक राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को कार्य पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की है। विभाग में तदनुसार 779 भूतपूर्व सैनिक कार्यरत हैं। ये भूतपूर्व सैनिक संविदा आधार पर कार्यरत हैं तथा वन रक्षकों की भर्ती होने तक इन्हें कार्य पर रखा जावेगा।

## प्रशासनिक कार्य :


- कार्मिक सम्बन्धी कार्य
- पदोन्नति :

वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही में निम्नानुसार पदोन्नतियाँ की गई हैं:

क्र. सं.	पदोन्नति	पदोन्नति वर्ष	पदों की संख्या
1.	कार्यालय सहायक से कार्यालय अधीक्षक	08-09	2
2.	वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक	08-09	10

## खजूर पर थोर

छाया : महेन्द्र सक्सेना



प्रकृति में कभी-कभी अनियमित रूप से ऐसी घटनाएं देखी गई हैं इसे Accidental Apithyism कहते हैं।

वर्ष 2009-10 में निम्नानुसार पदोन्नतियाँ की गई हैं :

क्र.सं.	पदोन्नति	पदोन्नति वर्ष	पदों की संख्या
1.	कार्यालय सहायक से कार्यालय अधीक्षक	09-10	1
2.	स्टेनो से निजी सहायक	08-09, 09-10	2
3.	कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक	05-06 से 08-09	67
4.	क्षेत्रीय-II से क्षेत्रीय-I	08-09, 09-10	22
5.	वनपाल से क्षेत्रीय-II	08-09 से 09-10	88



**Brown Vine Ahaetulla pelvulerentus Snake**

चालू वर्ष में निम्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई:-

- वनपाल अंतिम वरिष्ठता सूची 1-4-08 के अनुसार।
- ड्राफ्ट्समैन की 1-4-2008 व 1-4-2009 की स्थिति के अनुसार।
- निरीक्षक 1-4-2008 व 1-4-2009 की स्थिति के अनुसार।
- ओवरसियर/उप अभियन्ता की 1-4-2009 के अनुसार।
- निजी सचिव की 1-4-09 के अनुसार।
- कार्यालय अधीक्षक 1-4-09 के अनुसार।
- वरिष्ठ निजी सहायक 1-4-09 के अनुसार।
- क्षेत्रीय-II की प्रोविजनल व अंतिम 1-4-08 के अनुसार।
- शीघ्र लिपिक की 1-4-09 के अनुसार अंतिम।
- साद अवलोकक/साद विश्लेषक की 1-4-09 के अनुसार अंतिम।
- निजी सहायक की 1-4-09 के अनुसार अंतिम।
- क्षेत्रीय-I की 1-4-09 के अनुसार अंतिम।
- कनिष्ठ लिपिकों की 1-4-05 के अनुसार अंतिम।
- वरिष्ठ लिपिक, अंतिम वरिष्ठता सूची 1-4-09 के अनुसार।
- चालक की 1-4-06 के अनुसार अंतिम।
- अमीन की 1-4-07 के अनुसार प्रोविजनल व अंतिम।

- कार्यालय सहायक की अंतिम सूची।
- सर्वेयर/फील्डमैन संयुक्त सूची, प्रोविजनल 1-4-06 के अनुसार।

## ● विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के स्तर से इस वर्ष सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत कुल 41 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें से 5 प्रकरण धारा 16 के, 8 प्रकरण धारा 17 के तथा शेष 28 प्रकरण अपील के थे।

## ● अनुकम्पा नियुक्ति

विभाग में इस वर्ष 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक विभिन्न संवर्गों में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल 85 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन प्रकरणों में, आश्रितों को विभाग में 29 वनपाल, 4 वनरक्षक, 5 कनिष्ठ लिपिक, एक चालक तथा 5 चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया। अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी 41 प्रकरण कार्मिक विभाग में नियुक्ति हेतु प्रेषित किए गए।

## ● विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन

वित्तीय वर्ष 2009-10 में विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों व उनके प्रेषित उत्तरों व आश्वासनों की स्थिति इस प्रकार रही:

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लंबित
तारांकित प्रश्न	42	42	-
अतारांकित प्रश्न	66	66	-
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	13	13	-
अंतः सत्रकाल	5	5	0

12वीं विधान सभा के विभिन्न सत्रों में 221 तारांकित प्रश्न व 329 अतारांकित अर्थात् कुल 550 प्रश्न प्राप्त हुए थे। इन सभी के उत्तर विधान सभा को प्रेषित कर दिए गए हैं। 12वीं विधान सभा के 23 प्रश्न अंतः सत्रकालों में प्राप्त हुए थे। सभी के जबाब विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किए जा चुके हैं। 13वीं विधान सभा के सत्रों में 48 तारांकित व 69 अतारांकित कुल 117 प्रश्न तथा अंतः सत्रों के 5 प्रश्न प्राप्त हुए थे। सभी के उत्तर प्रेषित किए जा चुके हैं।

12वीं विधान सभा के विभिन्न सत्रों में 8 तथा 13वीं विधान सभा के तृतीय सत्र में 2 याचिकाएँ प्राप्त हुई थीं। सभी के जवाब भिजवाए जा चुके हैं।

इसी प्रकार 12वीं विधान सभा के विभिन्न सत्रों में 19 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा 13वीं विधान सभा के तृतीय सत्र में कुल 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सभी के सम्बन्ध में टिप्पणी भिजवाई जा चुकी है।

12वीं विधान सभा में कुल 22 विशेष उल्लेख प्रस्ताव तथा 13वीं विधान सभा के तृतीय सत्र में कुल 5 विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्राप्त हुए थे सभी प्रश्नों से संबंधित टिप्पणी विधान सभा को भिजवाई जा चुकी है।

### \* विधिक कार्य

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध व राज्य सरकार की ओर से दायर हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण व प्रबोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में चल रहे प्रकरणों की सूचना को संकलित/समेकित कराने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 12 प्रपत्र (Formats) तैयार करके जारी किये गये हैं, जिनको वेबसाइट का रूप दे दिया गया है। इस वेबसाइट को Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) का नाम दिया गया है।

वन विभाग द्वारा अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं व मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को निरन्तर न्याय विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा रहा है।

विभाग से संबंधित 5309 न्यायिक प्रकरणों में से वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 19, माननीय उच्च न्यायालय में 1294, ट्रिब्यूनल में 161 तथा अन्य न्यायालयों में 3835 प्रकरण विचाराधीन हैं।

### \* ‘‘सूचना का अधिकार’’ संबंधित कार्य:

राज्य सरकार ने दिनांक 3-5-2007 द्वारा सूचना के अधिकार नियम 2005 के अन्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 3-10-2005 को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 11-8-06 को संशोधित करते हुए वन विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी,

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर एवं लोक प्राधिकरण वन विभाग तथा अपीलेट अधिकारी प्रमुख शासन सचिव वन घोषित किए हैं।

इस क्रम में विभाग ने दिनांक 29 मई, 2007 को संशोधित आदेश जारी कर राज्य में 387 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 89 लोक सूचना अधिकारी व 10 अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

इस वर्ष दिसम्बर, 2009 तक सूचना चाहने सम्बन्धी 93 आवेदन पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के कार्यालय को प्राप्त हुए हैं जिनमें से 77 आवेदनकर्ताओं को सूचना के अधिकार नियम 05 के अन्तर्गत आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। शेष 16 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन लम्बित हैं।

### \* श्रम अनुभाग सम्बन्धी कार्य

- इस वर्ष श्रमिकों के विभिन्न न्यायालयों से 133 आदेश विभाग के पक्ष में तथा 11 आदेश विभाग के विरुद्ध पारित हुए हैं।
- विभाग द्वारा न्यायालय आदेशों से सम्बन्धित 15 प्रकरणों में शासन से नो रिट/नो अपील का विनिश्चय कराया गया तथा 9 प्रकरणों में श्रमिकों को पुनः कार्य पर लेने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृतियां प्राप्त हुई जिनमें श्रमिकों को पुनः कार्य पर लेने की कार्यवाही की गई।
- विभाग में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना हेतु 41 प्रकरणों में 16.00 लाख रुपये के वित्तीय भुगतान की स्वीकृतियां प्राप्त हुई जिनसे सम्बन्धित को भुगतान की कार्यवाही की गई।



## \* कार्य प्रगति अंकेक्षण व्यवस्था


### (Performance Audit) :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र में समस्त प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षकगण, उनके अधीनस्थ वन संरक्षकगणों एवं उप वन संरक्षकगणों के द्वारा किये गये सामयिक कार्य का समग्र ब्यौरा प्रतिमाह प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करते हैं जिसकी समीक्षा मुख्यालय पर अति प्र.मु.व.सं. (M&E) द्वारा की जाकर संबंधित अधिकारीगणों को उनकी निष्पति (Performance) के बारे में सूचित कर दिया जाता है। जहां सुधार (improvement) की गुंजाइश होती है, वहां संबंधित अधिकारीगण को मार्गदर्शन के साथ आगाह भी किया जाता है। उक्त रिपोर्ट का अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय पर्यवेक्षक अधिकारियों के द्वारा ध्यान रखा जाता है।

अधीनस्थ व मंत्रालयिक कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक व संभागीय मुख्य वन संरक्षक, दो ही स्तरों पर रखे जाने की व्यवस्था 14 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी की गई है।

## \* लेखा अनुभाग संबंधी प्रगति

लेखा अनुभाग में इस वर्ष समीक्षा समिति की बैठकों से बड़े पैमाने पर पैरा निस्तारण किया गया। चालू वर्ष में विभिन्न पैरा व आक्षेपों का निस्तारण तथा चोरी व गबन के मामलों का निस्तारण एक अभियान चलाकर किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रयास से वर्ष 2002 तक के अधिकांश पैराज झाप हो चुके हैं तथा



छाया : महेन्द्र सक्सेना

भाउण्ट आबू में चीड़ का वृक्ष

शेष विभागाध्यक्ष के स्तर पर निर्णित होकर प्रतिवेदन से हटा दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 (15 जनवरी, 2010 तक) में लेखा अनुभाग की विभिन्न प्रतिवेदनों एवं पैराज के निस्तारण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	1.4.09 को बकाया		नये प्राप्त		निस्तारण		लम्बित	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1.	सी.ए.जी. प्रतिवेदन	3	11	-	-	2	10	1	1
2.	ज.ले.स. प्रतिवेदन	7	36	-	-	7	36	NIL	NIL
3.	ड्रॉफ्ट पैरा	-	-	0	5	0	5	-	-
4.	तथ्यात्मक पैरा	-	-	-	3	-	3	-	-
5.	महालेखाकार आक्षेप	567	1732	35	169	158	721	444	1180
6.	निरीक्षण विभाग	65	472	3	61	2	70	66	472



## नीतिगत मामले


### 1. राजस्थान राज्य वन नीति

राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति जो प्रदेश के गठन के 63 वर्ष बाद बन रही है को दिनांक 17 फरवरी, 2010 को मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन कर दिया है। यह वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व संरचना के भीतर बनाई गई है। नीति में राज्य के वन प्रबन्ध में आने वाली चुनौतियों व उनसे निपटने की रणनीति का विस्तार से विवरण किया गया है। वन प्रबन्ध के क्षेत्र में राज्य की वनभूमि, अन्य राजकीय भूमि, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भूखण्डों पर वन सुरक्षा, विकास व संधारण की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। राज्य में वन उपज की मांग व आपूर्ति, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों की वनों पर निर्भरता कम करने व उन्हें आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने, राज्य के पशुधन के लिए चारे की समर्थ्या के समाधान करने सम्बन्धी प्रस्ताव नीति में प्रमुख रूप से शामिल है। नीति में राज्य में जैव विविधता के लघु भण्डार के रूप में पाए जाने वाले औरण व गोचर पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

### 2. राज्य की पारि-पर्यटन नीति

राज्य में पहली बार बनाई गई पारि-पर्यटन नीति को राज्य मंत्रिमण्डल ने दिनांक 3 फरवरी, 2010 को स्वीकृति प्रदान कर दी

छाया : गिरीश पुरोहित



पारि पर्यटन स्थल दूदालेश्वर (टाडगढ़ रावली अभयारण्य)

है। यह नीति, राज्य में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुई बनाई गई है कि पारि-पर्यटन को इस दृष्टि से प्रोत्साहित व निर्देशित किया जाए कि संरक्षण के लक्ष्य के साथ-साथ सतत रूप से स्थानीय जनता के लिए भी लाभकारी हो। इस पर्यटन नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

#### नीति के लक्ष्य

- राज्य के राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों/वन क्षेत्रों के किसी विशेष भाग को इस दृष्टि से विकसित किया जाए कि वे शिक्षा का माध्यम बन सकें;
- पारि-पर्यटकों को भ्रमण के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे प्रकृति का निरन्तर आनन्द ले सकें;
- आम जनता में प्रकृति संरक्षण के लिए चेतना जागृत करना;
- पर्यटकों हेतु शिक्षा व मनोरंजन के उद्देश्य से राज्य के मौजूदा जिलों, महलों व अन्य विरासत भवनों का संरक्षण करना; तथा
- स्थानीय जनता को पारि-पर्यटन प्रबन्धन करने के लिए सशक्त बनाना ताकि वे वैकल्पिक आजिविका के मिलने के कारण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित कर सकें।

नीति में पारि-पर्यटन के विकास व प्रबन्ध के लिए व्यापक सिद्धान्तों का निर्धारण कर रणनीति का विस्तार से वर्णन किया गया है। पारि-पर्यटन के लिए की जाने वाली कतिपय गतिविधियों, पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं, स्थानीय समुदायों को दिए जाने वाले लाभों आदि का भी नीति में विवेचन किया गया है।

### 3. जैव विविधता नियम

जैव विविधता (संरक्षण) अधिनियम 2002 के अन्तर्गत सृजित किए जाने वाले राज्य के नियमों को राज्य मंत्रिमण्डल ने परीक्षण हेतु विशेषज्ञ दल को सौंपा था। इस दल में श्री वी.डी. शर्मा, महेश शर्मा, श्री टी.आई. खान व अभिजीत घोष को



सम्मिलित किया गया। दल ने प्रस्तावित नियमों का अध्ययन कर अपनी सिफारिशों के साथ प्रारूप राज्य मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

#### **4. राजस्थान वन उपज (आरा मशीनों की स्थापना व नियमितीकरण) नियम 1983 में संशोधन**

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत बने उक्त नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए गए थे। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद इन नियमों में संशोधन हेतु राजस्थान वन उपज (आरा मशीनों की स्थापना व नियमितीकरण) (संशोधन) नियम-2008, 20 जनवरी, 2010 को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हो गए हैं। इन संशोधनों के माध्यम से नियम 2, 3, 6, 7, 7ए, 11 तथा प्रपत्रों में संशोधन किए गए हैं। इनके अतिरिक्त आवेदन पत्र व अनुज्ञा पत्रों के शुल्क को तर्क संगत बनाया गया है तथा एक नया नियम 11ए जोड़कर एक प्रबोधन समिति का गठन किया गया है, प्रत्येक जिले में बनने वाली इन समितियों का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को तथा निवाचित जिला स्वायत्तशासी निकाय के अध्यक्ष एवं पुलिस, विद्युत प्रसारण निगम, उद्योग, कारखाना व बायलर्स के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। जिले के उप वन संरक्षक को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

#### **5. राज्य कैम्पा का गठन**

राज्य सरकार ने 26 नवम्बर, 2009 को असाधारण राज पत्र में अधिसूचना प्रकाशित राज्य कैम्पा (राजस्थान राज्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं नियोजन प्राधिकार) CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management & Planning Authority) का गठन किया है। यह प्राधिकार राज्य कैम्पा कोष में एकत्र धन राशि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, बन क्षेत्रों की सुरक्षा व संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा व उससे सम्बन्धित मामलों का प्रशासन देखेगा। यह वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा तथा प्रबन्ध सम्बन्धी मामलों के लिए एकीकृत संरचना निर्धारित करने का कार्य भी करेगा। अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ राज्य कैम्पा युवा व विद्यार्थियों का संरक्षण गतिविधियों पर स्वैच्छिक आन्दोलन भी चलाएगा।

राज्य कैम्पा की शासकीय परिषद् (गवर्निंग बॉर्ड) के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होंगे तथा वन, वित्त एवं आयोजना के प्रभारी मंत्री एवं प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान तथा प्र.मु.व.सं. एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक इसके सदस्य होंगे। राज्य के प्रमुख सचिव वन 'गवर्निंग बॉर्ड' के सदस्य सचिव होंगे।

यह परिषद्, राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद् द्वारा राज्य कैम्पा के कार्यकरण के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यापक नीतिगत संरचना निर्धारित करेगी।

छाया सौजन्य : योगेन्द्र सिंह कालवी





राज्य कैम्पा प्राधिकार के अन्तर्गत एक संचालन समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। वन, वित्त एवं आयोजना विभागों के प्रमुख सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, प्र.मु.व.सं. एवं मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा एवं नोडल ऑफिसर एफ.सी.ए.), केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, दो अराजकीय संस्थाओं (दो वर्ष के लिए) को समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्य के अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) इसके सदस्य सचिव होंगे।

राज्य कैम्पा में एक कार्यकारी समिति भी बनाई गई है। इस समिति का नेतृत्व राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान करेंगे। समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार बनाए गए हैं— मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अति. प्र.मु.व.सं. (विकास), वन विभाग के वित्त सलाहकार, दो अराजकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि। राज्य के अति. प्र.मु.व.सं. (वन सुरक्षा) इसके सदस्य सचिव होंगे।

## 6. परिभ्रांषित वनों के लिए 'विजन डॉक्यूमेंट'

राज्य के परिभ्रांषित वनों के सुधार के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक 'विजन डॉक्यूमेन्ट फोर रिफॉर्मेशन ऑफ'

'डिग्रेड फॉरेस्ट' बनाया गया है। यह योजना दस्तावेज 35 वर्षों की अवधि के लिए बनाया गया है जिसमें सात चरणों में 17,150,00 हैक्टेयर परिभ्रांषित वनों पर पुनरारोपण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। योजना के प्रथम चरण वर्ष 2010-11 से वर्ष 1014-15 तक पांच वर्ष की अवधि में 1,50,000 हैक्टेयर क्षेत्र पर पुनरारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई है।

## 7. राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन

वन रक्षकों की भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों में भर्ती के नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिए गए हैं जो राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इनकी स्वीकृति के उपरान्त ही वन रक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी।

## 8. बाघ सुरक्षा बल का गठन

राज्य में बाघ सुरक्षा बल (टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स) के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। शीघ्र ही इस बल का गठन किया जाएगा।

○○○



# 3

## वन सुरक्षा

राज्य वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा वन क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन व अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं:-

### \* गश्तीदलों का गठन :

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में 28 गश्तीदल ( 12 वन्य जीव गश्तीदल) कार्यरत हैं।

### \* वायरलैस सेट्स की स्थापना:

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाके/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलैस सेट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 1010 वायरलैस सेट्स हैं जिनमें से फिकस्ड सेट्स की संख्या 663, वाहनों पर मोबाइल सेट्स 58 तथा हैण्डसेट्स 289 हैं।

### \* वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना:

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का भी वन कर्मियों को आतंकित करने हेतु उपयोग करने लगे हैं। विभाग में वर्तमान में 32

रिवाल्वर एवं 62 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को उपलब्ध करायी गई हैं। समय-समय पर पुलिस विभाग के सहयोग से हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता रहा है।

### \* अतिक्रमण

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 2869 प्रकरण दर्ज किये गये जो 3432.275 हैं। वन भूमि से संबंधित है। इस अवधि में पुराने लंबित प्रकरणों सहित कुल 2111 प्रकरण निर्णित कर 2542.45 हैं। वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई तथा बतौर शास्ति 15,13,100/- रुपये वसूल की गई।

इस वर्ष 1 अप्रैल, 09 से सितम्बर, 09 तक वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 416 प्रकरण दर्ज किये गये जो 503.505 हैं। वन भूमि से संबंधित हैं। इस अवधि में पुराने लंबित प्रकरणों सहित कुल 304 प्रकरण निर्णित कर 263.2782 हैं। वन भूमि





छाया : वी. सी. शर्मा



**अवैध बजरी का परिवहन रोकते वन उड़न दस्ते के कर्मचारी**

अतिक्रमण से मुक्त कराई गई तथा बतौर शास्ति 2,39,445/-  
रुपये वसूल किये गये।

### \* अवैध कटान

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक अवैध कटान के 3500 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 3,642 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 48,61,321/- वसूल किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक अवैध कटान के 3900 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 3523 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 49,40,568/- वसूल किया गया।

### \* अवैध चराई

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक 632 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 693 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 7,21,942/- जमा किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक 2,792 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 23,06,513/- जमा किया गया।

### \* अवैध खनन

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक अवैध खनन के 1285 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में 1267 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 55 17539/- जमा किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक अवैध खनन के कुल 1891 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में 1904 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 67,40,331/- जमा किया गया।

### \* वन्य जीव अपराध

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक 87 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 65 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 2,76,203/- जमा किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक 111 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 70 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 4,92,952/- जमा किया गया।

### \* अन्य वन अपराध

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक 959 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1,031 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 29,45,428/- जमा किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक 1,161 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1,056 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 46,31,644/- जमा किया गया।



## गश्ती दल, जयपुर की भूमिका

छाया : वी. सी. शर्मा



रात्रिकाल में गश्त कर बन उपज का अवैध कोयले का परिवहन करने वाले ट्रक की हरियाणा बोर्डर पर धरपकड़ करते गश्तीदल जयपुर के कर्मचारी भारी मुआवजा वसूली की गई है। गश्ती दल ने वर्ष 2005-06 में 45 मुकदमे दर्ज कर 80 प्रतिशत मुकदमों को फैसल किया तथा 4.67 लाख रुपए मुआवजा राशि वसूली। चालू वर्ष में गश्ती दल ने माह दिसम्बर, 2009 तक ही 298 मुकदमें दर्ज कर उनमें से 91.34 प्रतिशत मुकदमें फैसला करवाकर 22.73 लाख रुपये का मुआवजा वसूली की। इस प्रकार प्रकरण दर्ज करने व मुआवजा वसूली में क्रमशः 562% तथा 386% वृद्धि हुई है।

गश्ती दल ने राज्य वृक्ष खेजड़ी के अवैध कटान व कायेले के राज्य से बाहर परिवहन नियंत्रण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया परिणामस्वरूप खेजड़ी काटकर राज्य से बाहर भेजने के 15 प्रकरण तथा जूलीफलोरा का कोयला बनाकर राज्य से बाहर भेजने के पांच प्रकरण दर्ज कर क्रमशः 1,63,600/- रु. तथा

1,67,000/- रु. मुआवजा वसूली की गई। बन क्षेत्रों में अवैध कटान तथा खनन के 48 प्रकरण पकड़े गए जिनसे 3,29,051/- रु. मुआवजा वसूल किया गया।

छाया : वी. सी. शर्मा



उड़न दस्ता जयपुर ने विशेष कार्यवाही कर गंगानगर में अवैध कोयला बनाते हुए पकड़ा





## \* पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक 379 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 373 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 4,42,292/- जमा किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2009 से 30-9-2009 तक 942 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 676 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 9,79,534/- जमा किया गया।

## \* रीमा चिन्ह की तोड़फोड़ एवं परिवर्तन

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं होने से सूचना शून्य है।

राज्य में 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक 2 प्रकरण दर्ज किये जाकर पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1 प्रकरण निर्णित किया जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 1000/- जमा किया गया।

## \* अवैध परिवहन

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक 272 प्रकरण दर्ज किये जाकर पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 373 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 17,88,537/- जमा किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक 764 प्रकरण दर्ज किये जाकर पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 712 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 34,14,639/- जमा किया गया।

## \* अवैध आरामशीन

राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक 535 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 493 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 27,32,225/- जमा किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक 137 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 199 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 10,12,200/- जमा किया गया।



## वन अधिनियम में संशोधन

वन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में कठिपय संशोधन प्रस्तावित कर राज्य सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इनमें वन अपराध के शमन हेतु शास्ति में वृद्धि, अपराधों में प्रयुक्त वाहनों की जब्ती, जे.सी.बी. जैसे वाहनों से किए गए वन अपराधों का शमन विभागीय स्तर पर नहीं करने, वन उपज की जांच के लिए सर्च वारन्ट तथा साझा वन प्रबन्ध से संबंधित नवीन प्रावधान जोड़े जाना प्रस्तावित है।

## वनभूमि पर आदिवासियों के मालिकाना अधिकार (पट्टे)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के क्रम में वन भूमि पर आदिवासियों के मालिकाना अधिकार (पट्टे) के बाबत प्राप्त दावों की आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग के अनुसार माह दिसम्बर, 2009 तक 15391.83 हैक्टेयर भूमि से संबंधित 11,872 दावों का निष्पादन जिला स्तरीय समितियों ने किया है।

## वन भूमि डायवर्जन

12 जनवरी, 2009 तक राज्य वन विभाग में वन भूमि डायवर्जन हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से 157 आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनका विवरण अग्रांकित है। इस अवधि में प्रथम चरण की किलियरेस 94 प्रकरणों में जारी की गई है। माह दिसम्बर, 2009 में कुल 27 प्रकरणों में वन भूमि डायवर्जन की अन्तिम स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

एफ.सी.ए. (1980) के अनुसार 12-1-2009 को लम्बित प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	विभाग	कुल लम्बित प्रकरण	लम्बित प्रकरण				प्रथम चरण विलयरेस	दिसम्बर 09 तक जारी अन्तिम स्वीकृति
			यूजर एजेंसी	राज्य सरकार	भारत सरकार	वन विभाग		
1.	सिंचाई	30	26	-	4	-	21	-
2.	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी	10	4	-	-	6	2	1
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग पीएमजीएसवाई अन्य एनएचएआई/आरआईडीसीओआर	46 10 8	45 5 6	- - -	- 4 1	1 1 1	31 4 3	7 - 4
4.	शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना	4	4	-	-	-	3	-
5.	विद्युत प्रसारण निगम	9	4	-	2	3	4	6
6.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन	5	2	-	1	2	3	2
7.	भारतीय रेल	7	4	-	2	1	4	-
8.	अन्य	28	23	-	3	2	19	7
	कुल	157	123	-	17	17	94	27

### कैम्पा कोष (CAMPA Fund)

डायवर्जन की गई भूमि के बदले में प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि, दण्डात्मक राशि तथा एन. पी. वी. से प्राप्त राशि से एक कैम्पा फण्ड की स्थापना भारत सरकार के स्तर पर की गई है जिसमें संबंधित राज्यों, जहां से राशि प्राप्त होती है, की राज्य योजना के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है। दिसम्बर, 2009 तक इस तदर्थ कोष में राज्य के हिस्से के 575 करोड़ रु. जमा हो गये हैं। इस वर्ष राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य 'कैम्पा कोष प्राधिकरण' का गठन कर दिया है। तदर्थ कैम्पा कोष से 32 करोड़ 59 लाख 8 हजार रु. इसमें स्थानान्तरित कर दिया गया है।

### बुडन हैंडीक्राफ्ट

इस वर्ष जनवरी, 2009 तक 24'' की बुडन हैंडीक्राफ्ट आरामशीनों को लाइसेंस दिए जाने हेतु 1303 प्रकरणों का अनुमोदन कर दिया गया है।

राज्य में आरामशीन स्थान परिवर्तन के कुल 471 प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें से 195 प्रकरणों में स्थानान्तरण की अनुमति दी गई है। 89 प्रकरण अन्तर्जिला होने के कारण लम्बित हैं तथा 35 प्रकरण अन्य कारणों से वापस लौटा दिए गए हैं। राज्य में आरामशीनों से संबंधित नियमों में संशोधन किया जाना अपेक्षित था। इन संशोधनों को राज्य मंत्रिमण्डल की स्वीकृति उपरान्त अधिसूचना गजट में 20 जनवरी, 2010 को प्रकाशित हो चुकी है।



पत्थरों की अवैध निकासी करते ट्रैक्टर की जब्ती



## वानिकी विकास

राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भार है। प्रदेश का 9.56 प्रतिशत भू-भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.69 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्र के सम्पूर्ण भू-भाग का एक-तिहाई वन क्षेत्र होना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बना रहे तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सम्भव हो सके।

प्रदेश की प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय विषमताओं यथा दो-तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की न्यूनता एवं अत्यधिक जैविक दबाव इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए वनाच्छादित क्षेत्र की वृद्धि की अपरिहार्य आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रमुखता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की दयनीय स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं उत्तरोत्तर वानिकी विकास के जरिये सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

इसी के मध्येनजर विभाग द्वारा एक 20 वर्षीय “राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना” (State Forestry Action Plan), 1996

से 2016, तैयार की जाकर प्रदेश के 20 प्रतिशत भू-भाग को वनाच्छादित किये जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है।

इस अध्याय में प्रदेश में विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

### वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य :-

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमानता, प्रतिकूल जलवायु एवं दो-तिहाई मरु भूमि के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उड़ती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उड़ती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए

पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चरागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण-संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते हैं।

चालू वर्ष 2009-10 में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति अग्रानुसार है:-



कार्य का विवरण	लक्ष्य (लाखों में)	उपलब्धि (दिस., 09 तक)
बिन्दु सं. 52 (ए) पौधारोपण (हैक्टेयर में)	1.00	97693.11
पौधारोपण (लाखों में)	650	456.463

उपर्युक्त उपलब्धियों का, जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में वर्णित है।

राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण अग्रांकित है:-

## वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त जापान बैंक फोर इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन जे. बी. आई.सी., जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है।

### • राजरथान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना

जापान बैंक फोर इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2009-10 तक क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की कुल लागत 442.14 करोड़ रुपये है। परियोजना की अधिकांश गतिविधियाँ मार्च, 2008 तक पूर्ण हो चुकी हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत माला क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन की पुनर्स्थापना, जैव विविधता संरक्षण, मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण, मृदा की नमी धारण क्षमता में वृद्धि करना तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की उड़ती हुई बालु मृदा से सुरक्षा करना था। परियोजना राज्य के 18 जिलों यथा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, सीकर, पाली, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, झूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर तथा जैसलमेर में क्रियान्वित की गई।

परियोजना में लगभग 1.24 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है जिस पर गत वर्ष

2008-2009 तक 393.21 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 से मार्च, 2009 तक 1012 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:-

- साझा वन प्रबन्ध सुदृढ़ीकरण :- इस गतिविधि के अन्तर्गत ढाँचागत विकास कार्य, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु आय सृजन गतिविधियाँ तथा 14 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों में कॉर्पस फण्ड का सृजन कराया जा रहा है।
- संचार एवं प्रसार में 113 लाख रु. के वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2009 तक 36.72 लाख रु. व्यय कर प्रचार प्रसार गतिविधियाँ की जा रही हैं।
- चालू वर्ष में 45 लाख रु. प्रशिक्षण पर तथा 20 लाख रु. शोध कार्यों पर व्यय किए जा रहे हैं।
- आयोजना एवं प्रबोधन कार्य के लिए 30 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।
- कृषि वानिकी के अन्तर्गत 1.07 लाख पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। माह नवम्बर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित कर लिए गए हैं।

जैव विविधता एवं जीनपूल संरक्षण के उद्देश्य से चालू वर्ष में

छाया : के. आर. काला



निम्न स्थानों पर जैव विविधता एवं संरक्षण का कार्य प्रगति पर है।

- इस हेतु 510 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।
1. जैविक उद्यान
    - 1. नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर
    2. सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर

**लाभ :-** राज्य में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन से परियोजना अवधि में 303 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन हुआ है। परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों को उनकी ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से लगभग 13 करोड़ रु. मूल्य की एक लाख टन लघु वन उपज प्राप्त हुई है जिसमें से लगभग 10.60 करोड़ रु. मूल्य की 84,300 टन घास सम्मिलित है। मृदा संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से समीपवर्ती क्षेत्रों में भू-जल स्तर में सामान्यतया एक से दो मीटर की वृद्धि देखी गई है। परियोजना क्षेत्र के ग्रामवासियों की प्रति परिवार औसत आय में औसतन 4500 रु. की वृद्धि हुई है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय फेज के प्रस्ताव आर्थिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जापान सरकार को स्वीकृति हेतु 10.7.2008 को प्रेषित किए जा चुके हैं। इसकी अवधि छः वर्ष व लागत 569.53 करोड़ रु. की है।

## ● मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 1999-2000 से भारत सरकार द्वारा राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों यथा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनूं एवं सीकर में मरुस्थल विकास परियोजना के अन्तर्गत विशेष परियोजना मरु प्रसार रोक परियोजना (सी.डी.पी.) स्वीकृत की गई। योजना का प्रमुख उद्देश्य वनीकरण के माध्यम से टीबा स्थिरीकरण करना है ताकि उड़ते हुए टीबों से आबादी, यातायात एवं कृषि भूमि प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 75 प्रतिशत वित्तीय संसाधन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना में अब तक सात चरणों में विकास कार्य करवाए गए हैं। वर्ष 2006-07 से अष्टम चरण के कार्य आरम्भ हो गए हैं। योजना में माह मार्च, 2009 तक अष्टम चरण तक निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य कराए गए हैं:

उपलब्धि (मार्च 09 तक)

क्र.सं.	चरण संख्या	वृक्षारोपण (हैक्टर में)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	प्रथम	35985.50	12557.77
2.	द्वितीय	19220.50	6665.16
3.	तृतीय	16916.37	5018.05
4.	चतुर्थ	18695.45	5903.62
5.	पंचम	18951.75	6634.90
6.	षष्ठम	19078.00	6754.16
7.	सप्तम	28644.50	8552.10
8.	अष्टम	13278.30	4075.27
	योग	<b>170770.37</b>	<b>56161.03</b>

वर्ष 2009-10 में सी.डी.पी. योजना की दिसम्बर, 2009 तक की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टर में)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	जोधपुर	1553	872.41
2.	पाली	2770	872.56
3.	जालौर	710	395.98
4.	बाड़मेर	2720	751.63
5.	जैसलमेर	0	87.93
6.	सीकर	571	447.32
7.	चूरू	429	331.38
8.	झुंझुनूं	715	417.68
9.	नागौर	1404	864.25
10.	बीकानेर	535	113.91
	योग	<b>7753.00</b>	<b>2980.42</b>



छाया : के. आर. काला

### रोड साइड वृक्षारोपण हेतु सिंग पिट

मरु प्रसार रोक परियोजना में किये गये वृक्षारोपण से न केवल मरुस्थल का प्रसार रुका है बल्कि सड़क, रेल यातायात सुगम हुआ है। जिन टिब्बों के कारण कृषि भूमि पर खेती नहीं होती थी वहां खेती होना शुरू हुई है इससे निःसंदेह कृषि उपज बढ़ी है। वृक्षारोपण के कार्य से केवल स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि स्थानीय लोगों को चारा उपलब्ध होने से अकाल प्रभावित क्षेत्र में पशुधन को बहुत बड़ा सहारा मिला है तथा घास बीज आदि से अतिरिक्त आजीविका भी बढ़ने लगी है।

### \* भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

#### (Bakhra & Gang Canal Plantation)

प्रदेश के थार मरुस्थल को हरा भरा बनाने एवं आम जनता को बार-बार पड़ने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की, जिसे 'गंग नहर' कहा गया जो वर्तमान में 'बीकानेर नहर' कहलाती है। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखड़ा नहर, भाखड़ा नांगल बांध से निकलकर आती है जिससे हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 9,20,000 एकड़ क्षेत्र भू-भाग की सिंचाई होती है। दोनों नहरों के किनारे 2.2 लाख परिपक्व वृक्ष थे जिनके विदेहन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया।

इन दोनों नहरों के किनारों के वृक्षारोपण परिपक्व होने के कारण

विदेहन कर लिया गया था। अतः नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। पुनर्वनारोपण के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा वित्त उपलब्ध कराया गया है। भाखड़ा नहर का कार्य वन मण्डल हनुमानगढ़ व गंगनहर का कार्य वन मण्डल गंगानगर सम्पादित कर रहा है।

भाखड़ा नहर के दोनों ओर इस वर्ष 130.43 लाख रुपये व्यय किए जाकर 850 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराया जाना है जिसमें से माह दिसम्बर, 2009 तक 81.35 लाख रुपये व्यय किए जाकर 696 रो किमी. कार्य पूर्ण कराया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष 90.28 लाख रुपये व्यय किए जाकर 510 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराए जाने हैं। माह दिसम्बर, 2009 तक 66.99 लाख रुपये व्यय किए जाकर 465 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

### \* राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया है। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभियान के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभियान ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

राज्य में अब तक भारत सरकार से 33 वन विकास अभियान स्वीकृत करवाये जा चुके हैं।

इन वन विकास अभियानों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के

लिए 38,465 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 35120 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जा चुका है। राज्य के 23 वन विकास अभिकरणों ने अपना निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है।

वन विकास अभिकरणों के लिए इस वर्ष 4414.78 लाख रु. की राशि जारी की गई थी जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 3865.52 लाख रु. का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

### \* नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project)

नर्मदा नहर परियोजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से 2013-14 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य इस नहर परियोजना के क्षेत्र में जल भराव के कारण भूमि को खराब होने से बचाने एवं नहर में मिट्टी के भराव को रोकने के लिए शैल्टर बैल्ट वृक्षारोपण सृजित करने तथा क्षेत्र के समग्र पर्यावरण का सुधार करने के लिए नहर के समानान्तर भूमि में वृक्षारोपण करना है। परियोजना की कुल लागत 2865.13 लाख रुपये है। इस राशि से मुख्य नहर के किनारे 1280 रो किमी, तथा अन्य नहरों के किनारे 2087 रो किमी, क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुरूप क्रमशः 3.20 लाख तथा 5.22 लाख (कुल 8.42 लाख) पौधे रोपित किए जाएंगे।

परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में आवंटित राशि 329

छाया सौजन्य : तेजवीर सिंह



लाख रुपये के विरुद्ध 107.44 लाख रु. व्यय किए गए। वर्ष 2009-10 के माह अगस्त में आवंटित राशि 531.78 लाख रुपये के विरुद्ध माह जनवरी, 2010 तक 235.60 लाख रु. व्यय कर जालौर जिले में 233 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण व अन्य गतिविधियों के लक्ष्य अर्जित किए गए हैं।

### \* राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम

#### (National Bamboo Mission Programme)

यह योजना भारत सरकार के शत-प्रतिशत वित्तीय सहयोग से राज्य के उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वन विभाग को भी कार्य क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस धनराशि से राज्य के 11 वन विकास अभिकरणों यथा बांसवाड़ा, झूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद द्वारा निम्न चार प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं:

1. सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय पौधशाला;
2. किसान पौधशाला;
3. किसान प्रशिक्षण; तथा
4. क्षेत्र विस्तार (Captive Plantation)

राष्ट्रीय बम्बू मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में रुपये 50.32 लाख, वर्ष 2008-09 में 206.26 लाख रुपये व्यय किये जाकर 1636 हैं, में कैप्टिव प्लान्टेशन एवं अन्य कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 2009-10 के लिये 278.18 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जो प्रगति पर हैं।

### \* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, झूंगरपुर, झालावाड़ तथा करौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी

योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलेवार इस योजना के लिए पर्सप्रेक्टिव प्लान तैयार किये गए हैं जो क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर संशोधित किये जा सकेंगे।

विभाग द्वारा 'पर्सप्रेक्टिव प्लान' में अधिक से अधिक कार्य जल संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण के प्रस्तावित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गए हैं।

विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं:

- कन्दूर डाईक, ग्रेडोनी, कन्दूर ट्रेंच, बाक्स ट्रेंच, वी-डिच आदि का निर्माण;
- बांस के पौधों का कर्षण कार्य;
- वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तेन्दू, सालर, खेजड़ी, शीशम आदि के वृक्षों के नीचे की ओर ट्रेंच (खाई) खोदकर पुनरुत्पादन से वृक्षों की तैयारी;
- ट्रेंचों पर बीजारोपण;
- वन क्षेत्रों में रत्नजोत, कूमठा एवं अन्य उपयुक्त वृक्ष एवं घास प्रजातियों का बीजारोपण;
- प्राकृतिक पौधों के समीप औषधीय एवं आर्थिक महत्व की बेलों का बीजारोपण / पौधारोपण;
- विभागीय पौधशालाओं में सुधार कार्य;
- नए क्लोजर बनाना एवं इनमें सुधार कार्य;
- पुराने क्लोजर्स की दीवारों की मरम्मत व अन्य सुधार कार्य;
- पुराने वृक्षारोपणों का संधारण; तथा
- चरागाह क्षेत्रों का पुनर्विकास

चालू वर्ष में राज्य के 33 जिलों में 65,373.03 लाख रु. के 8,349 कार्यों के प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रेषित किए गए हैं जिनमें दिसम्बर, 2009 तक 47,65 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति

छाया : गिरीश पुरोहित



वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु रत्नजोत की लाइव हेज फेसिंग

जारी हो चुकी है। कुल 4,760 कार्यों को तकनीकी स्वीकृति जारी हुई तथा 30,156.62 लाख रु. के 4,158 कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हुई। अब तक 2,634 कार्य आरम्भ हो चुके हैं तथा 1,734 कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों पर 24,604 श्रमिक नियोजित हैं।

नरेगा योजना में कराए गए कार्यों से माह दिसम्बर, 2009 तक 44,35,280 मानव दिवसों का रोजगार सृजन हुआ है जिसमें से लगभग आधे अर्थात् 22,74,334 महिलाओं द्वारा सृजित कार्य दिवस हैं। कुल सृजित मानव दिवसों में से 1,30,096 मानव दिवस अनुसूचित जनजाति तथा 9,37,068 मानव दिवसों का रोजगार अनुसूचित जाति के लिए रोजगार सृजित हुआ है।

नरेगा में कराए जाने वाले कार्यों को स्थाई महत्व का बनाए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना में वन संरक्षण एवं इको रेस्टोरेशन के अन्तर्गत पक्की दीवारों के कार्य सम्प्रिलित करने के लिए सभी मुख्य वन संरक्षकों को निर्देशित किया गया है। पक्की दीवार के निर्माण से न केवल वन सीमाओं की सुरक्षा ही होगी अपितु दीवारों वन भूमि पर विद्यमान वनस्पति के पुनरुत्थान हेतु भी अतिआवश्यक है। चालू वर्ष में राज्य के 23 जिलों में 4054.44 लाख रु. से 170485 मीटर दीवार बनाए जाने के 220 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 20037.9 मीटर दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

## \* बारहवां वित्त आयोग

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में विभाग द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए पांच वर्ष हेतु 25.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण, वन क्षेत्र की सीमाओं पर मीनारें लगावाना, प्रशिक्षण केन्द्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास, वन अधीनस्थ कर्मियों (फ्रन्ट लाइन स्टाफ) का प्रशिक्षण तथा ई-गवर्नेंस सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं।

गत वर्ष 2007-08 में 709.54 लाख रुपये व्यय किए जाकर 44.32 किलोमीटर पक्की दीवार व 6950 सीमा स्तंभों (मीनारों) का निर्माण कार्य करवाया गया। चालू वर्ष में 18.81 किमी. पक्की दीवार बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर, 2009 तक 3.13 किमी. दीवार निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है।

## \* प्रकृति पर्यटन

गत वर्ष राज्य की प्रकृति पर्यटन नीति राज्य सरकार को प्रेषित की गई थी जिसे मंत्री मण्डल ने फरवरी, 2010 में स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पारी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष कुछ पर्यटन स्थल विकसित किये जाने की योजनाएँ बनाई गई हैं।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं साल गांव तथा माउण्ट आबू की परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए 2.61 करोड़ रु. तथा माउण्ट आबू के लिए 2.31 करोड़ रु. स्वीकृत कर दिए गए हैं।

इनके अतिरिक्त रणथम्भौर हेतु 8 करोड़ रु., सरिस्का हेतु 5 करोड़ रु. तथा कुम्भलगढ़ अभयारण्य हेतु 8 करोड़ रु. की पारि-पर्यटन योजनाएं बनाई जाकर अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी गई हैं जिनकी स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जाने की आशा है। कतिपय अन्य परियोजनाएं भी तैयार कर ली गई हैं जिन्हें शीघ्र प्रेषित कर दिया

जाएगा। इन परियोजनाओं के प्रारूप पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद ही शेष परियोजनाएं बनाई जाएंगी। इन योजनाओं में निम्न कार्य कराए जाएंगे:-

- ठहरने के स्थानों का विकास
- पर्यटक स्वागत केन्द्र
- पर्यटकों के कल्याण हेतु निर्माण कार्य
- वर्षा से बचाव हेतु 'शैल्टर' निर्माण
- 'ट्री-हट', अवलोकन एवं प्रेक्षण टॉवर
- 'इन्टरप्रिटेशन' केन्द्र का निर्माण
- पर्यटकों के बैठने हेतु बैंच व विश्राम स्थल उपलब्ध कराना
- सौन्दर्यीकरण हेतु जलाशय निर्माण
- सूचना एवं प्रदर्शन पट्ट
- इलेक्ट्रोनिक बैरियर
- किलों व महलों का जीर्णोद्धार
- वन्य जीव सम्बन्धी सूचनाओं के लिए कम्प्यूटर कियोस्क
- प्रकाश एवं ध्वनि के कार्यक्रमों के लिए थिएटर

## \* औषधीय पौधों का विकास

अरावली पर्वत माला क्षेत्र सतावरी, सफेद मूसली, कोली कांदा, आंवला, आंवल, तुलसी, नेगड़, मालकांगणी, गुडमार, एलोवेरा, रतनजोत, ब्राह्मी, वज्रदंती जैसे औषधीय पौधों का भण्डार है। औषधीय पौधों की खेती करके इनके उत्पादों के संग्रहण, भण्डारण एवं विपणन व पौधों के संधारण के संबंध में स्थानीय लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में जगह-जगह पर औषधीय उद्यानों की स्थापना की गई है।

गत वर्ष 6 औषधीय प्रजातियों के लिए सत्ता औषधीय पौध संरक्षण स्थलों का सुनियन



किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में संकटापन्न औषधीय प्रजातियों के आकलन हेतु 4,96,500 रु. की धनराशि प्राप्त हुई है जिसमें से माह अक्टूबर, 2009 तक 3,46,802 रु. व्यय किए जा चुके हैं। इसी प्रकार औषधीय क्षेत्र संरक्षण स्थलों हेतु कुल 93,88,500 रु. की धनराशि प्राप्त हुई है जिसके विरुद्ध माह अक्टूबर, 2009 तक 63,76,000 रु. व्यय किए जा चुके हैं।

## \* गूगल संरक्षण एवं विकास परियोजना

गूगल प्रदेश की एक मुख्य औषधीय प्रजाति है। राजस्थान में गूगल के संरक्षण व विकास के लिए केन्द्रीय औषधी पादप मण्डल के वित्तीय सहयोग से एक परियोजना 2008-09 से आरम्भ की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 679.00 लाख रु. है। इसमें से 210.00 लाख रु. मण्डल से प्राप्त हो गए हैं। परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 106.54 लाख रु. का उपयोग किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में माह अक्टूबर, 2009 तक 49.71 लाख रु. की राशि व्यय की गई है। इस राशि से निम्न गतिविधियाँ की गई हैं:-

**गूगल का बेस लाइन सर्वेक्षण :-** गूगल के पादपों की स्थिति व सघनता ज्ञात करने के लिए वर्ष 2008-09 में राज्य के 46 मण्डलों का सर्वेक्षण किया गया।

वर्ष 2009-10 में छः जिलों के 500 हैक्टेयर क्षेत्र में गूगल के पौधों का पौधारोपण निम्नानुसार किया गया:-

क्र. सं.	नाम मण्डल	क्षेत्रफल (हें. में)
1.	अजमेर	100
2.	बाड़मेर	50
3.	पाली	50
4.	जालौर	100
5.	राजसमंद	100
6.	सिरोही	100
	योग	500

● **गूगल के संरक्षित क्षेत्रों का सृजन :-** जोधपुर व बाड़मेर



जिलों में गूगल के संरक्षित क्षेत्र सृजित किए जा रहे हैं।

● **गूगल के पौधों का वितरण :-** आम जनता में वितरण हेतु राज्य की 32 पौधशालाओं में 4.75 लाख पौधे गूगल के तैयार किए जा रहे हैं।

● **क्लोनल पौधों हेतु उद्यान :-** भविष्य में गूगल के क्लोनल पौधे तैयार करने हेतु 16 उच्च तकनीक पौधशालाओं में 16 गूगल उद्यान तैयार किए जा रहे हैं।

**नवीन परियोजना :-** विश्व में किए गए आकलन से ज्ञात हुआ है कि फूलदार पौधों की 4,22,000 प्रजातियों में से 50,000 प्रजातियाँ औषधीय पादप हैं। इसी प्रकार देश में पाई जाने वाली 20,000 फूलदार प्रजातियों में से 3,000 औषधीय पादप हैं। प्रदेश के उदयपुर संभाग के वनों में भी अनेक प्रकार के औषधीय पादप हैं। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 33 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनकी व्यापारिक मांग अत्यधिक है। अतः इस क्षेत्र की संकटापन्न/लुप्त औषधीय पौधों के संरक्षण व विकास हेतु बन विभाग ने एक परियोजना बनाई है जिसे स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप मण्डल को भेजा गया है जिसकी शीघ्र स्वीकृति की संभावना है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य कराए जाएंगे:-

**संकटापन्न/लुप्त प्रायः औषधीय पौधों की कृषि, वृक्षों के साथ-साथ ज्ञाड़ियाँ व बेलों का संवर्धन, आदिवासियों को शीघ्र लाभ देने के लिए औषधीय पौधों की उपलब्धता बढ़ाने, शोध एवं शिक्षण, आजीविका एवं रोजगार सृजन, सटीक संसाधन सूची तैयार करना, पौधों के अंगों का सतत संकलन सुनिश्चित करना**

तथा तकनीक ज्ञान में वृद्धि करना आदि-आदि। यह परियोजना वर्ष 2010 से 2015 अर्थात् 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। परियोजनान्तर्गत 900 हैक्टेयर वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

### \* राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना

राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजनान्तर्गत राज्य की छः झीलों पर संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। ये झीलों हैं— आना सागर अजमेर, पुष्कर सरोवर, नक्की झील, माउण्ट आबू, पिछोला एवं फतेह सागर, उदयपुर। इन झीलों के आवाह क्षेत्र को उपचारित करने का कार्य वन विभाग को सौंपा गया है। इनमें से आना सागर व पुष्कर

2511 घनमीटर चैक डैम, 630 हैक्टेयर क्षेत्र में 30,000 नोचिंग, एक पौधशाला का विकास, 1000 रनिंग मीटर सड़क मार्ग वृक्षारोपण तथा कुल 300 गैबियन स्ट्रक्चर बनाए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 1805 रनिंग मीटर पक्की दीवार, 2511 घनमीटर चैक डैम, 270 रनिंग मीटर सड़क मार्ग वृक्षारोपण, 40 गैबियन स्ट्रक्चर तथा एक पौधशाला का विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पिछोला व फतेहसागर झील पर 100-100 मीटर पक्की दीवार का निर्माण कार्य करवाया गया है किन्तु राशि रिलीज नहीं होने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया।

### \* दीवार निर्माण

जयपुर के वन खण्ड, झालाना एवं आमेर 54 की अधिकांश वन भूमि शहरी क्षेत्र से सटी हुई है जिस पर अतिक्रमण की सबसे अधिक समस्या है वन भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी जिसके अन्तर्गत वन खण्ड आमेर 54 एवं झालाना में पक्की दीवार, लूज स्टोन चैक डैम, एनीकट, वाटर स्टोरेज टैंक इत्यादि कार्यों के प्रस्ताव शामिल किए गए थे।

इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 9000 रनिंग मीटर दीवार बनाए जाने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 8575 रनिंग मीटर दीवार का निर्माण कार्य कर लिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में भी 9000 रनिंग मीटर दीवार निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 3718 रनिंग मीटर दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

### \* एकीकृत वन सुरक्षा योजना

उक्त योजना के तहत इस वर्ष फायर वार्चस, फायर लाइन क्रिएशन, फायर लाइन संधारण, वाच टॉवर, वाटर स्टोरेज टैंक, भवन निर्माण फार ट्रांजिट कैम्प फोरेस्ट स्टाफ, फेयर वेदर रोड, संचार प्रसार कार्य, वायरलैस सेट क्र्य इत्यादि हेतु कुल राशि 250.00 लाख रु. आवंटित किए गए थे जिनके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक राशि 11.43 लाख रु. व्यय हो चुके हैं तथा मुख्य रूप से निम्न कार्य सम्पादित किए जा रहे हैं:-

- प्रचार-प्रसार सामग्री क्र्य 4.80 लाख रु.



छाया : के. आर. काला

सरोवर के आवाह क्षेत्र के उपचार का कार्य वन मण्डल, अजमेर द्वारा करवाया जा रहा है। उपचार कार्यों में वृक्षारोपण, चैकडैम, गैबियन स्ट्रक्चर, पक्की दीवार निर्माण कार्य व झील के फ्रिंज ऐरिया में पौधा रोपण कार्य सम्मिलित है।

आना सागर झील में 6.82 लाख रु. व्यय कर 120 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्की दीवार बनाई जाकर क्लोजर बनाने, 400 पौधों के रोपण व 31 चैक डैम बनाए जाने के प्रस्तावित लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 22 चैक डैमों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पुष्कर झील में चालू वर्ष में 380 लाख रु. व्यय कर 2500 रनिंग मीटर पक्की दीवार, 6000 रनिंग मीटर पत्थर की दीवार,

- 
2. कम्प्यूटर क्रय 15 नग
  3. सर्वेक्षण हेतु आवश्यक उपकरण-4 जी.पी.एस. सिस्टम
  4. हथियार एवं बारूद 10-10 लाख रु. मूल्य के क्रय किये जा रहे हैं।
  5. 3400 सीमा स्तम्भों को लगाना
  6. 5 जल संग्रहण संरचनाएं प्रत्येक 30,000 ली. क्षमता की
  7. वन सुरक्षाकर्मियों के लिए बैरक निर्माण-10
  8. रेंज कार्यालय सह रेन्जर निवास-5
  9. 5 लाख रु. मूल्य के अग्नि नियंत्रक उपकरण
  10. प्रशिक्षण व जन चेतना कार्यक्रम
  11. 50 वन खण्डों का डिजिटाइजेशन
  12. 4 वाच टॉवर का निर्माण

13. 100 किमी. फायर लाइन बनाना

14. 300 किमी. फायर लाइन का संधारण

## \* राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

प्रदेश में रियासत काल में कतिपय क्षेत्र घास-बीड़ के नाम से आरक्षित किए गए थे जहां घास का उत्पादन व संग्रहण होता था। स्वतंत्रता के पश्चात् ये घास बीड़ वन विभाग को हस्तान्तरित हो गए। इन घास बीड़ों पर विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा) तथा लैन्टाना का कचरा बड़े पैमाने पर उगा आया। इससे इन बीड़ों से घास की उत्पादकता गिर गई। विभाग के पास पर्याप्त वित्त नहीं होने के कारण ये बीड़ सही प्रकार से प्रबन्धित नहीं हो सके और इन घास-बीड़ों से कृषकों की आवश्यकतानुसार घास का उत्पादन सम्भव नहीं रहा। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान के विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र से पूर्व में वर्ष पर्यन्त सेवन घास का उत्पादन होता था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे घास उत्पादक क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर,

## पाली में घास बीड़ों का जीणोद्धार

पाली जिले में अनेक घास बीड़ हैं। रियासत काल में इन बीड़ों में उन्नत किस्म की धामण करड़ घास का उत्पादन कर जोधपुर रियासत के रिसाले (घोड़ों) के लिए भिजवाया जाता था। करड़ घास घोड़ों के लिए अत्यन्त लाभप्रद मानी जाती है। शनैः शनैः अनेक कारणों से इनकी प्रबन्ध व्यवस्था सही नहीं रह पाई और इन घास बीड़ों में बड़े पैमाने पर विलायती बबूल पनप गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत घास बीड़ों के अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए इस वर्ष पाली जिले के 900 हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य आवंटित किया गया था।

इस कार्यक्रम से एक ओर तो सरकार को भारी राजस्व प्राप्त हुआ। दूसरे, स्थानीय ग्रामीणों व गौशालाओं को निशुल्क घास प्राप्त होगी। तीसरे, परम्परागत रूप से क्षेत्र में पाई जाने वाली करड़ व धामण घास की बुवाई से घास उत्पादन बढ़ेगा। चौथे, सिल्वी पैस्ट्रोल मॉडल में 200 पौधे प्रति हैक्टेयर चारा देने वाले वृक्ष रोपित किए जाएंगे। इस प्रकार पाली जिले के घास बीड़ पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटने लगेंगे।



पाली जिले के घास बीड़ों में विलायती बबूल का उन्मूलन

छाया : अजय गुप्ता

जोधपुर व बीकानेर आदि जिलों में टुकड़ों के रूप में फैले हुए हैं। बाद में इन क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आने के कारण इन क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया और घास की प्रजातियां गायब हो गईं।

कृषकों की घास की मांग की आपूर्ति करने के लिए घास उत्पादक क्षेत्रों का जीर्णोद्धार आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य का दायित्व वन विभाग को सौंपा कि विभाग मरुस्थलीय क्षेत्रों में तृण भूमि का विकास करें ताकि गांवों में चारे की पर्याप्त आपूर्ति हो सके साथ ही साथ मरुस्थलीय जिलों से राज्य के पूर्वी भागों व अन्य निकटवर्ती राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र आदि के पशुधन का आव्रजन नहीं हो।

अतः घास बीड़ों के सुधार के लिए एक पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई।

## योजना के प्रमुख उद्देश्य

- मरुस्थलीय जिलों के राज्य वन विभाग के नियंत्रण वाली तृण भूमियों में सिल्वी पैस्ट्रोल मॉडल अपनाया जाकर उत्पादन बढ़ाना,
- साझा वन प्रबन्ध के माध्यम से गाँव के कृषकों को इतना सशक्त बनाना ताकि वे इन तृण भूमियों का प्रबन्धन कर सकें,
- अकाल की समस्या के स्थाई समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई चारा बैंकों का सृजन,
- पश्चिमी राजस्थान के तृणभूमियों का विकास कर पशुओं का आव्रजन रोकना, तथा
- आजीविका अर्जन के वैकल्पिक स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का उन्नयन व रोजगार सृजन।

**क्षेत्र-** इस परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के पश्चिमी जिलों हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पाली तथा जालोर में आगामी पाँच वर्षों में 10,000

हैकटेयर तृण-भूमि उपचारित की जाएगी। आगामी चरण की योजना का विस्तार किया जा सकता है।

**प्रविधि-** इन छ: जिलों में उन भूखण्डों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें पूर्व में घास उत्पादन की दृष्टि से विकसित किया गया था। यदि इनमें विदेशी वनस्पति प्रजातियां बहुतायत से उग आई हों तो उन्हें हटाया जाएगा। इस तरह से सफाई का कार्य खुली निविदाएं आमंत्रित करके अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में स्थानीय श्रमिक लगाकर करवाया जाएगा। ऐसी निम्न गुणवत्ता की वनस्पति मानवीय प्रयासों से जड़ सहित निकाली जाएगी तथा उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके पश्चात् इस क्षेत्र का विकास सिल्वी पैस्ट्रोल मॉडल तकनीक से किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों के दीर्घावधि प्रबन्ध को सुचारू रूप से करने के लिए साझा वन प्रबन्ध के अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीणों की समितियां गठित की जाएंगी और उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे आरम्भ से ही तृण-भूमि का उचित प्रबन्धन कर सकें। ग्रामीणों को घास काट कर ले जाने की अनुमति होगी। बड़े वृक्षों से पत्तियों का चारा वैज्ञानिक विधि से इस प्रकार काटा जाएगा ताकि वे भविष्य में निरन्तर उपज देते रहे।

प्रथम चरण में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा जालौर जिलों में प्रत्येक में 1400 हैकटेयर तथा जैसलमेर, जोधपुर व पाली प्रत्येक में 1800 हैकटेयर क्षेत्र का सुधार कार्य हाथ में लिया जाएगा। इस हेतु पाँच वर्षों में 25 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

छाया : गिरीश पुरोहित



योजना अन्तर्गत प्रथम वर्ष के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	नाम मण्डल	लक्ष्य (है.)		उपलब्धि (दिसम्बर तक)	
		अग्रिम कार्य	अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण	अग्रिम कार्य	अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण
1.	जोधपुर	900	210	50	0
2.	पाली	900	210	110	110
3.	जालौर	900	210	210	210
4.	डी.ए.पी.डी. जैसलमेर	900	210	210	200
5.	हनुमानगढ़	700	80	181	60
6.	गंगानगर	700	80	-	-
	योग	5000	1000	761	580

गंगानगर जिले में वांछित प्रजाति के पौधे व घास स्लिप तैयार नहीं होने के कारण इस वर्ष कार्य सम्भव नहीं हो पाया। उक्त कार्यों पर माह दिसम्बर, 2009 तक स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य 500 लाख में से 104 लाख रुपये की राशि रिलीज हुई।

राज्य सरकार ने Biomass Gassifier Plant विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को दिया है। उन्हें इस हेतु ईंधन उपलब्ध कराने के लिए अब घास बीड़ों से विलायती बबूल का उन्मूलन नीलामी से न कर बिजली कम्पनियों को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है जो बीड़ों से खड़े विलायती बबूल को यांत्रिक साधनों से उखाड़ेगा। ऐसी विलायती बबूल को इस वन उपज के बदले 720/- रुपये प्रति टन सरकारी खजाने में जमा कराने होंगे। विलायती बबूल उखाड़ने व परिवहन में लगी सम्पूर्ण लागत सम्बन्धित कम्पनी को वहन करनी होगी। तत्पश्चात ऐसी घास बीड़ों पर चरागाह विकास रा.कृ.वि. योजना एवं अन्य योजना से ही किया जा सकता।

### \* जे. डी.ए. द्वारा वित्त पोषित

जयपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से विकसित स्मृति वन, जयपुर के संधारण के लिए प्राधिकरण से इस वर्ष 12 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध

कराई गई है। इस राशि से स्मृति वन का रखरखाव कार्य किया जा रहा है।

### परियोजना सूचीकरण

वानिकी विकास के लिए इस वर्ष माह दिसम्बर तक निम्न परियोजनाएं बनाई गई हैं जो विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति हेतु लम्बित हैं।

- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना

छाया सौजन्य : तेजवीर सिंह





**(Rajasthan Forestry & Bio-Diversity Project) :-** राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण की परियोजना, जिसकी अवधि 6 वर्ष एवं लागत 569.53 करोड़ रु. की होगी, की स्वीकृति के प्रयास विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।

- **थार मरुस्थल में चारा विकास (Pasture Development in Thar Desert (Under Rajasthan Krishi Vikas Yojana)) :-** इस परियोजना में 10 हजार है. भूमि पर चरागाह विकास का कार्य किया जायेगा। इस हेतु 25 हजार प्रति है. की दर से 10 हजार है. हेतु पांच वर्षों में रु. 25 करोड़ की आवश्यकता रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर व पाली जिलों में चरागाह विकास का कार्य किया जायेगा। यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु अग्रेषित की गयी है।

- **राजस्थान के राष्ट्रीय/राज्य मार्गों पर वृक्षारोपण की योजना (Afforestation on National/State Highways of Rajasthan) :-** नरेगा के अन्तर्गत सड़क किनारे रिंग पिट विधि द्वारा वृक्षारोपण हेतु मॉडल लागत अनुमान तैयार किये गये हैं। जिसमें एक आर. के. एम. में 100 पौधे रोपित किये जायेंगे तथा 5 वर्ष में 192973 रुपये की लागत आयेगी व 1423 मानव दिवस का सृजन होगा।

- **वन मित्र योजना (Van Mitra Yojana) :-** ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति की अनुशंसा अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पर्यावरण, वन संरक्षण व वन्य जीव संरक्षण में रुचि रखने वाले युवक/युवती जो कि ग्राम क्षेत्र का मूल निवासी हो एवं उसकी आयु 20-25 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आठवीं पास हो, का चयन वन मित्र के रूप में किया जावेगा। चयन समिति में ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, पंचायत में आने वाले अन्य

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के अध्यक्ष, संबंधित सरपंच एवं ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, सदस्य सचिव (संबंधित वनपाल) – सदस्य सचिव की समिति द्वारा चयन किया जावेगा। वन मित्र को एक वर्ष के अनुबंध पर रखा जावेगा एवं वन मित्र को प्रतिमाह 1500 रुपये का स्टाइपेंड समिति द्वारा किये गये अनुबंध अनुसार देय होगा। वन मित्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

- **राज्य के दस जिलों में वन एवं निकटवर्ती गैर वन क्षेत्र के उपचार के लिए योजना (Concept note for treatment of forest areas and adjoining non-forest land in rainfed areas of 10 districts of Rajasthan) :-** इस योजना के अन्तर्गत जयपुर दौसा, अलवर, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, छूंगरपुर, बांसवाड़ा कुल दस जिलों के 2,96,996 हैक्टेयर भूमि जिसमें 62,452 हैं। वन भूमि तथा 2,34,544 हैं। गैर वन भूमि को उपचारित किया जायेगा जिस हेतु वृक्षारोपण मृदा व जल संरक्षण के कार्य, परिभ्रांषित वनों का उपचार, कृषि एवं घरेलू पशुधन सुधार के कार्यक्रमों को लिया जावेगा। इस हेतु प्रत्येक हैक्टेयर भूमि पर रुपये 16 हजार व्यय होगा। परियोजना के लिए रुपये 475.19 करोड़ की योजना प्रस्तावित की गयी है।

- **विकेन्द्रित पौधशालाएँ (Decentralised Nurseries (I)) :-** प्रदेश में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.5% क्षेत्र ही है जिसमें सघन वनाच्छादित क्षेत्र लगभग 4.62 प्रतिशत है। वन क्षेत्र के बाहर 2.85 प्रतिशत क्षेत्र पेड़ों से आच्छादित है। इस प्रकार 7.8 प्रतिशत क्षेत्र ही वृक्षाच्छादित है। राष्ट्रीय वन नीति अनुसार इस क्षेत्र को 20 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने को व्यावहारिक माना गया है। अर्थात् प्रदेश में 12.92 प्रतिशत क्षेत्र में अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना है जो कि अनुमानित 44 हजार वर्ग कि.मी. होगा जिसके वृक्षारोपण के लिए प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ पौधे लगाने होंगे। जिस हेतु वन विभाग की पौधशाला में पौध तैयार की जायेगी परन्तु इतनी बड़ी संख्या में विभाग द्वारा पौध तैयार किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। अतः पूरे राज्य में 1000 अतिरिक्त पौधशालाएँ निजी क्षेत्र में विकसित किये जाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए यह योजना तैयार की गयी है।

- **स्मृति वन योजना (Smariti Van Yojana (Amrita Kunj)) :-** हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा



प्रदेश के प्रत्येक गांव में 5 हैं, सिवाय चक भूमि पर स्मृति वन स्थापित करने की योजना बनायी गयी है। शुरुआत में पंचायत समिति के मुख्यालय में 249 गांवों में यह कार्य शुरू किया जावेगा। शेष 8918 ग्राम पंचायतों में नरेगा के माध्यम से राशि का प्रावधान करके स्मृति वन योजना को निरन्तर चलाया जायेगा। इस योजना के लिए एक हैक्टेयर वृक्षारोपण हेतु एक आदर्श लागत अनुमान तैयार किया गया है। इस प्रकार 5 वर्ष में प्रत्येक ग्राम में 5 हैक्टेयर सिवाय चक भूमि पर स्मृति वन स्थापित करने के लिए रुपये 43.3 लाख व्यय होगा।

## गरीबी उन्मूलन पर राष्ट्रीय कार्यशाला

वनों व गरीबी में सह सम्बन्ध होने के कारण वन सुरक्षा के साथ गरीबी हटाने पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है अतः इस विषय पर चिन्तन करने के लिए उदयपुर में एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला माह 19-21 फरवरी तक आयोजित की गई।

कार्यशाला का विषय "Nation Workshop on Sustainable Forest Management for Poverty Alleviation & Livelihood Improvement" था। कार्यशाला में देश के सभी राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षकागण, जापानी बैंक के प्रतिनिधि, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी व राज्य के वन अधिकारियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में विचार-विमर्श के मुख्य बिन्दु इस प्रकार रहे :

- वैकल्पिक आजीविका स्रोतों का स्थायित्व
- जैव विविधता संरक्षण
- विकास कार्यों में एकरूपता

कार्यशाला में संभागीयों ने उक्त बिन्दुओं पर तीन दल गठित कर विचार-विमर्श किया।

○○○

छाया : गिरीश पुरोहित





# 5

## हरित राजस्थान

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के मुख्य उद्देश्य में से एक पर्यावरण की रक्षा करना भी है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्यों को जल संरक्षण एवं जल संचय के पश्चात् प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर रखा गया है। राज्य वैसे भी लगातार अकाल की त्रासदी को झेलता रहा है। वृक्षों के अंधाधुंध कटाव से जहां पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है, वहीं पशु-पक्षियों के समक्ष चारे की भी समस्या उत्पन्न हुई है। राज्य में वन क्षेत्र में कमी हुई है एवं इसके कारण वर्षा की मात्रा एवं वर्षा के दिनों में भी कमी हुई है। पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण गरीब जनता होती है।

अतः राज्य सरकार ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के लिए एक पंचवर्षीय योजना 'हरित राजस्थान' आरम्भ की है। योजना का उद्देश्य राजस्थान प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए जन-जन के सहयोग से वृक्षारोपण करना है। यह अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को 'नरेगा' के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त सभी स्थानों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, आवासीय क्षेत्रों तथा सरकारी एवं निजी संस्थाओं के खाली पड़े अहातों व खाली पड़े

भू-खण्डों, सरकारी भूमि, वन एवं चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास किया जाएगा।

राजकीय स्तर पर नोडल विभाग के रूप में राज्य का ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि 'नरेगा' एवं नगरीय विकास विभाग एवं अन्य शहरी निकाय उपलब्ध करा रहे हैं।



**60वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में हरित राजस्थान कार्यक्रम का औपचारिक शुभारम्भ करते माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं श्रीमती सुनीता गहलोत**

वन विभाग योजना के लिए पौधे उपलब्ध कराने के साथ-साथ वन भूमि तथा मार्गों पर वृक्षारोपण, कलस्टर वृक्षारोपण एवं उनके रख-रखाव का कार्य कर रहा है। राज्य के अन्य विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण व उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस योजना में अराजकीय संस्थाओं को भी सहभागी बनाया गया है।

योजनान्तर्गत जिला स्तर पर सभी कार्यों के लिए जिला कलेक्टरों को उत्तरदायी बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रबोधन राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।

इस योजना का आगाज माननीय मुख्यमंत्री ने 18 जून, 2009 को शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर में पौधारोपण कर किया। मुख्यमंत्री महोदय के साथ राज्य के सभी मंत्रियों व आगन्तुक

अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया। इस दिन राज्य के सभी कलेक्टरों व उप वन संरक्षकों की एक बैठक भी बुलाई गई। इसके एक माह बाद 19 जुलाई, 2009 को राज्य भर में एक ही दिन वन



महोत्सव आयोजित किए गए। जयपुर में राज्य के मुख्यमंत्री ने बाड़ा वाली ढाणी में 60वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में पौधारोपण कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

चालू वर्ष 2009-10 के लिए वन विभाग को सभी जिलों में मार्ग वृक्षारोपण छोड़कर 78967.7 हैक्टेयर क्षेत्र में 31684309 पौधे रोपित करने के लक्ष्य दिए गए थे जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2009 तक विभाग द्वारा 73978 है। क्षेत्र में 31138171 पौधे रोपने का लक्ष्य अर्जित कर लिया है। रोड साइड वृक्षारोपण के लिए विभाग को 4334 रो किमी. में 559740 वृक्ष रोपने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध विभाग ने दिसम्बर, 2009 तक 1481.24 रो किमी. में 166851 पौधे का रोपण कार्य पूर्ण कर लिया है।

वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों और संस्थाओं को 43440.7 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण (रोड साइड अतिरिक्त) कर 23105834 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध अन्य विभागों ने माह दिसम्बर, 2009 तक 23059 हैक्टेयर क्षेत्र में 12819178 पौधे रोपित करने का लक्ष्य अर्जित कर लिया है।

अन्य विभागों व संस्थाओं को रोड साइड वृक्षारोपण के लिए 5667.1 रो किमी. में 7,46,810 पौधे रोपित करने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 898.36 रो किमी. में 117437 पौधे रोपित करने का लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है।

प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे इस अभिनव कार्यक्रम में देश के अनेक गणमान्य राजनेताओं, उच्चाधिकारियों व सेना ने भी भाग लिया है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय डॉ. मनमोहन सिंह ने 20 अगस्त, 2009 को बाड़मेर जिले के रामसर कर्से के पास स्थित नाड़ी की पाल पर पौधारोपण किया।

हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के झूंगरपुर जिले के खमेरु गांव में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ही दिन में 6 लाख से अधिक पौधे रोपित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम को गिनीज बुक में भी सम्मिलित किया गया है।

हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में मार्गों के किनारे 'रिंग-पिट' बनाए जाकर पौधारोपण का सफल कार्य किया जा रहा है। मरुस्थलीय जिलों में भी इसके सुफल प्राप्त हो रहे हैं।

अनेक राजकीय संगठन भी पौधारोपण के इस कार्यक्रम से जुड़ने लगे हैं। इस वर्ष जयपुर जिले में जामडोली के समीप रावली बीड़ में 10 हैक्टेयर वन भूमि विभाग को हस्तान्तरित हुई थी, में राजस्थान ब्रेवरीज कारपोरेशन के वित्तीय सहयोग से 10,000 चौड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण किया गया है। पाली जिले में खीमावत ट्रस्ट रोड साइड पर वृक्षारोपण का कार्य कर रहा है।

अराजकीय संगठनों की हरित राजस्थान में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से जयपुर में वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों व अराजकीय संगठनों के प्रतिनिधियों की जून, 2009 में एक बैठक बुलाई जाकर गहन विचार विमर्श किया गया।

हरित राजस्थान में अच्छे पौधों की उपलब्धता में वृद्धि के उद्देश्य से वन विभाग ने एक मार्गदर्शिका तैयार की है। इस मार्गदर्शिका के अनुरूप नरेगा योजना में विकेन्द्रित पौधशालाएं स्थापित की जा सकेंगी। मार्गदर्शिका में निजी व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूहों/विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा विकेन्द्रित पौधशाला की स्थापना के प्राक्कलन, विभाग द्वारा तैयार पौधे क्रय करने की दरें तथा आवश्यक अहर्ताएं व शर्तें दी गई हैं। उपरोक्त में से कोई भी जिले के उप वन संरक्षक के यहां पौधशाला स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदक को 100 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबन्ध भी करना होगा। आगामी चार वर्षों में विकेन्द्रित पौधशालाओं से 100 लाख पौधे तैयार कराए जाने का लक्ष्य है।

विभागीय पौधशालाओं में हरित राजस्थान कार्यक्रम हेतु अब तक 142.15 लाख पौधे तैयार किए जा चुके हैं जिनमें से 78.54 लाख नरेगा योजना में, 22.43 लाख आयोजना भिन्न मद में तैयार किए जा रहे हैं। 23.42 लाख पौधे विभागीय वृक्षारोपण हेतु तैयार किए जा रहे हैं।

इस वर्ष हरित राजस्थान के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में 5 हैक्टेयर भूमि में अमृता स्मृति कुंज स्थापित किए जाने की योजना नरेगा के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है। योजना के प्रथम चरण में 249 पंचायत समिति मुख्यालयों पर यह कार्य आरम्भ किया जाएगा। तत्पश्चात् शेष 8918 गांवों में भी स्मृति कुंज विकसित किए जाएंगे। इस प्रकार मात्र स्मृति कुंजों की स्थापना से ही 45835 हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण हो सकेगा।



## हरित राजस्थान की झालकियाँ



रामसर नाड़ी, बाड़मेर में पौधारोपण करते माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह



सरिस्का में पौधारोपण करते माननीय केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयराम नरेश



माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा हरित राजस्थान कार्यक्रम का शुभारम्भ



माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत मुनाबाब रेलवे स्टेशन पर पौधारोपण करते हुए



माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा जैसलमेर में कार्यक्रम का शुभारम्भ



माननीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री रामलाल जाट स्मृति वन में पौधारोपण करते हुए



माननीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री  
श्री रामलाल जाट पोस्टर का विमोचन करते हुए



सांसद श्री बद्री जाखड़ पौधारोपण से पूर्व  
हवन करते हुए



माननीय शिक्षा मंत्री श्री भंवरलाल मेघवाल द्वारा  
नागौर में कार्यक्रम का शुभारम्भ



विधायक पोकरण साले मोहम्मद  
पौधारोपण करते हुए



प्रमुख वन सचिव श्री बी. ए.ल. आर्य  
पौधारोपण करते हुए



छाया : अजय गुप्ता  
हरित राजस्थान कार्यक्रम में सेना की  
सहभागिता



छाया : अजय गुप्ता  
हरित राजस्थान कार्यक्रम में आम जनता की  
सहभागिता



हरित राजस्थान के अन्तर्गत रैली जिसमें 30 विद्यालयों  
के विद्यार्थियों व आठ स्कूली बैंड ने सहभागिता की



हरित राजस्थान के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में  
विशाल रैली



छाया : अजय गुप्ता  
वृक्ष लगाने व बचाने हेतु स्काउट, गाइड आदि  
शपथ लेते हुए



हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर रिंग पिट विधि से वृक्षारोपण



रिंगपिट विधि से वृक्षारोपण (नागौर जिला) के एक वर्ष के परिणाम



शाला परिसर में हरित राजस्थान के अन्तर्गत  
पौधारोपण

पौधारोपण में निजी क्षेत्र की सहभागिता :  
किशोर सिंह खीमावत ट्रस्ट, पाली द्वारा मार्ग वृक्षारोपण



# 6

## मृदा एवं जल संरक्षण

भारत सरकार द्वारा मैक्रोमोड मैनेजमेंट के तहत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी एवं नदी घाटी परियोजनाएं संचालित हैं। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी एवं साभर नम भूमि उपचार योजना का कार्य मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाया जा रहा है तथा इनके अधीन भू-संरक्षण अधिकारी (वानिकी), टोंक, भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि), टोंक, भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि), सवाई माधोपुर तथा भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि), सोजत (जिला पाली) में कार्यालय कार्यरत हैं। नदी घाटी परियोजना के कार्य मुख्य वन संरक्षक नदी घाटी परियोजना, कोटा के नियंत्रण में कार्य करवाये जा रहे हैं। इनके अधीन भू-संरक्षण अधिकारी, बेरू भू-संरक्षण अधिकारी, बांसवाड़ा एवं भू-संरक्षण अधिकारी, आबूरोड में कार्यालय कार्यरत हैं।

उक्त तीनों परियोजनाओं के तहत मुख्यतया चम्बल, माही, दांतीवाड़ा, साबरमती, बनास, लूणी एवं इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।



छाया : योगेश शर्मा

मिडिल रीच स्ट्रक्चर पर आईपोमिया की कार्टिंग

**इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य :** जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकने, जल ग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने तथा **water holding capacity**, आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना; अनुकूल भूमि उपयोग (appropriate land use) प्रोत्साहित करना; नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत जल प्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह

आयतन कम करना; जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबन्ध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

सभी नदी घाटी परियोजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 979.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से माह दिसम्बर तक 969.02 लाख रु. व्यय किए जा चुके हैं।

परियोजना क्षेत्र में पूर्व में बनाई गई 13 संरचनाओं के संधारण पर 7.60 लाख रु. व्यय किए गए हैं।

परियोजनाओं में कार्यरत समितियों के खातों में कॉर्पस फण्ड में निम्नानुसार राशि जमा कराई गई है:-



गैबियन स्ट्रक्चर, उपजलग्रहण क्षेत्र, बोरीबुज

छाया : योगेश शर्मा



क्र. सं.	विवरण	मार्च, 2009	वर्ष 2009-10 के दौरान	योग
1.	केन्द्रीय अंशदान	93.87	11.50	105.37
2.	राज्य अंशदान	64.40	0.00	64.40
3.	लाभान्वित होने वाले का अंशदान	6.39	0.00	6.39
	योग	<b>146.66</b>	<b>11.50</b>	<b>158.16</b>

**चम्बल परियोजना :** चम्बल परियोजना का आवाह क्षेत्र नोन टी. एस. पी. क्षेत्र में आता है। इस परियोजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में पूर्व के अवशेष रहे तथा चालू वर्ष में 130 जल ग्रहण क्षेत्रों के कुल 3269 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि का उपचार तथा 476 संरचनाएं 244.03 लाख रु. व्यय कर बनाए जाने का लक्ष्य था जिसमें से

परिसम्पत्तियां सृजित की गई हैं।

**माही नदी परियोजना :-** माही नदी का आवाह क्षेत्र टी. एस. पी. के अन्तर्गत आता है। चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना में 352.59 लाख रु. व्यय कर 3251 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित करने व 2375 संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जिसके



एस. डब्ल्यू. एस., देयाना

माह दिसम्बर, 2009 तक 191.20 लाख रु. व्यय कर 2144 हैक्टेयर भूमि का उपचार कार्य तथा 456 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। इन विकास कार्यों से अब तक 139814 मानव दिवस सृजित हुए हैं। परियोजना की 78 जलग्रहण समितियों में कॉर्पस फण्ड की राशि जमा करा दी गई है। परियोजना क्षेत्र में उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत आम, पपीता व आंवले के कुल 1500 पौधों का वितरण किया गया। चम्बल परियोजना में 3.33 लाख रु. व्यय कर प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के अन्तर्गत चबूतरे एवं पानी की टंकी जैसी

विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 178.45 लाख रु. व्यय किए जाकर 50 जलग्रहण क्षेत्रों का 2980 हैक्टेयर भू-भाग का उपचार तथा 1304 संरचनाएं बनाई गई हैं। इन कार्यों से परियोजना क्षेत्र में कुल 109407 मानव दिवसों का सृजन किया गया है। क्षेत्र की कुल 38 समितियों में कॉर्पस फण्ड की राशि जमा करा दी गई है। उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी योजना में आम, बेर, नीबू तथा पपीता के 17477 पौधे कृषकों में वितरित किए गए हैं। माही परियोजना क्षेत्र में 1.79 लाख रु. व्यय कर प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत उप जलग्रहण क्षेत्र तेजपुर, तिलगारी,

थैसला, बिजौरी, बड़ी करौली एवं मनोहरगढ़ में सोलर लाइट, हैण्डपम्प निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय तथा चबूतरा निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकतानुसार कराए गए हैं।

**दांतीवाड़ा परियोजना :-** इस परियोजना का क्षेत्र भी टी. एस. पी. के अन्तर्गत आता है। चालू वित्तीय वर्ष में 250.18 लाख रु. व्यय किए जाकर 3017 हैक्टेयर भू-भाग को उपचारित करने तथा 1436 संरचनाएं बनाए जाने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 226.42 लाख रु. व्यय कर 67 जलग्रहण


क्षेत्रों के 2832 हैक्टेयर भू-भाग का उपचार तथा 1371 संरचनाएं बनाई गई हैं। परियोजना की 36 समितियों में कॉर्पस फण्ड की राशि जमा कराई जा चुकी है। परियोजनान्तर्गत 10064 फलदार पौधों का वितरण कृषकों को किया गया है। परियोजना क्षेत्र के 8 उप जलग्रहण क्षेत्रों में कृषकों को उन्नत किस्म का मक्का बीज, डी. ए. पी. तथा यूरिया खाद भी वितरित किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2009 तक 112 कृषक लाभान्वित हो चुके हैं।

**साबरमती परियोजना :-** साबरमती परियोजना में चालू वर्ष में 98.52 लाख रु. व्यय कर 1391 हैक्टेयर भू-भाग को उपचारित करने तथा 117 संरचनाएं बनाए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 89.57 लाख रुपए व्यय कर 5 जलग्रहण क्षेत्रों के 1343 हैक्टेयर भू-भाग का उपचार तथा 117 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कृषि वानिकी एवं उद्यानिकी योजना में परियोजना के कृषकों को 2300 फलदार पौधों का वितरण किया गया है। परियोजना क्षेत्र की सात समितियों में कॉर्पस फण्ड की राशि जमा करा दी गई है।

दांतीवाड़ा व साबरमती नदी परियोजना में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में कुल 181634 मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

वर्ष 2009 वर्षाकाल में परियोजना में निम्नानुसार साद स्थलों का चयन कर साद अध्ययन कार्य करवाया गया:-

नाम परियोजना	साद अध्ययन हेतु चयनित साद स्थलों की संख्या
चम्बल	7
माही	7
दांतीवाड़ा/साबरमती	4
योग	18



उप जलग्रहण क्षेत्र दोयाना

संकलित साद आंकड़ों का संकलन कार्य अंतिम चरण में है एस. पी. क्यू. एस. डेटा कृषि मंत्रालय भारत सरकार को इसी माह में भिजवा दिया जावेगा। इसके साथ केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग, पूना से

छाया : योगेश शर्मा

अनुबंधित दो मौसम वैधशाला चारभुजा (रावतभाटा) एवं प्रतापगढ़ में संकलित मौसम डेटास भी पीरियड ix (2009) तक आई. एन. डी., पूना को भिजवाये जा चुके हैं।

#### बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनायें

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत बाढ़ सम्भावित बनास तथा लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैक्रो मैनेजमेंट मोड के तहत केन्द्र व राज्य सरकार की आनुपातिक हिस्सा राशि क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है। बाढ़ सम्भाव्य बनास तथा लूनी नदी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में 1663.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान अनुमोदित है। जिसके विरुद्ध 90 प्रतिशत अंशदान के रूप में 1496.70 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त होने हैं तथा 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में राज्य सरकार से 166.30 लाख रुपये प्राप्त होने हैं। इसमें एफपीआर बनास की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सा



राशि क्रमशः 1170.00+130.00 कुल 1300.00 लाख रुपये तथा लूनी परियोजना की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि क्रमशः 326.70+36.30 कुल 363.00 लाख रुपये हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 में उक्त प्रावधान से बनास नदी परियोजना में कुल 13000 हैक्टेयर तथा लूनी नदी परियोजना में 4000 हैक्टेयर में कार्य कराया जाना है। इस प्रकार दोनों परियोजनाओं में कुल 17000 हैक्टेयर में कार्य कराया जाना है।

गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में बनास नदी क्षेत्र में 25895 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार तथा 4247 संरचनाओं का निर्माण किया गया। लूनी नदी में 4605 हैक्टेयर भू-भाग का उपचार तथा 993 संरचनाएं निर्मित की गई।

बनास परियोजना में चालू वर्ष के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना व

योजना मद में 1133.00 लाख रु. के वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 988.73 लाख रु. व्यय किए जाकर 50 उप जलग्रहण क्षेत्रों के 7085 हैक्टेयर भू-भाग का उपचार तथा 1297 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। लूनी नदी परियोजना में केन्द्र प्रवर्तित व योजना मद में चालू वर्ष में 302.00 लाख रु. के वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक 283.10 लाख रु. व्यय कर सात जलग्रहण क्षेत्रों के 2795 हैक्टेयर भू-भाग का उपचार तथा 436 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है।

#### अनुसंधान/प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियां

प्रशिक्षण के महत्त्व के मद्देनजर वर्ष 2008-09 में बनास एवं लूनी नदी में ट्रैनिंग एवं वर्कशॉप पर 4.61 लाख रुपए तथा चालू वर्ष में माह दिसम्बर तक 1.10 लाख रु. व्यय किए गए हैं।



उप जलग्रहण क्षेत्र दोयात्रा

छाया : योगेश शर्मा



## मूल्यांकन एवं प्रबोधन

विभिन्न विभागीय योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग एवं विकास कार्यों के यथेष्ट परिणाम प्राप्ति की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर वानिकी कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन की आवश्यकता प्रतिपादित की जाती रही है। अतः वन विकास कार्यक्रम का सामयिक प्रबोधन एवं कार्य सम्पादन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार सुनिश्चित करना ही समवर्ती मूल्यांकन का मूल ध्येय है। इस हेतु विभाग में चार मूल्यांकन इकाइयां कार्यरत हैं।

विभाग द्वारा किये गये विभिन्न वृक्षारोपण गतिविधियों के समय-समय पर मूल्यांकन हेतु मुख्यालय स्तर एवं परियोजना स्तर पर मूल्यांकन एवं प्रबोधन प्रकोष्ठ सृजित है। इन इकाइयों द्वारा चयनित कार्यस्थलों पर सम्पादित सभी कार्यों का शत प्रतिशत/सैम्पलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य एवं साझा वन प्रबन्ध गतिविधियों के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में जन सहभागिता का सामाजिक अंकेक्षण कार्य भी किया जाता है। सभी मूल्यांकन प्रकोष्ठों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं।

### मूल्यांकन एवं प्रबोधन

इस वर्ष से राज्य वन प्रशासन में संभागीय मुख्य वन संरक्षक की



व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक संभागीय मुख्य वन संरक्षक को सहायता देने के लिए उनके कार्यालय में एक उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन कार्यों के निष्पादन हेतु लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश प्रसारित होने तक आयोजना एवं प्रबोधन सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु समुचित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंतरिम व्यवस्था के तौर सितम्बर, 2009 से निम्न व्यवस्था की गई है:-

क्र.सं.	वर्तमान कार्यालय	नवीन कार्य आवंटन
1.	उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन (एस.एफ.), जयपुर	उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन, जयपुर
2.	उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन एफ.डी.पी., जयपुर	उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन, अजमेर
3.	उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन ए.ए.पी., जयपुर	उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन, जोधपुर

इनके अतिरिक्त बीकानेर संभाग मुख्यालय पर पूर्व से ही उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन कार्यरत है। शेष संभागों में अन्य अधिकारियों के आयोजना एवं प्रबोधन का कार्य अग्रानुसार सौंपा गया है:-



क्र.सं.	वर्तमान पद नाम	नवीन कार्य आवंटन
1.	उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, वन संरक्षक, वा.वि.परि., जयपुर	उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन, भरतपुर
2.	उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन, उदयपुर
3.	उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, वन संरक्षक, कोटा	उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन, कोटा

राज्यादेश होने तक इन सभी अधिकारियों के मुख्यालय अपरिवर्तित रखे गए हैं। उक्त समस्त उप वन संरक्षकगण वन संरक्षक समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर/ अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मूल्यांकन एवं प्रबोधन, जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहकर उनके निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं।

### मूल्यांकन इकाइयों के कार्य

राज्य की मूल्यांकन इकाइयों ने वर्ष 2008-09 में जिन 151 साइटों का मूल्यांकन कार्य किया था उनकी रिपोर्ट चालू वर्ष में तैयार हो पाई है इनका विवरण अग्रांकित तालिका में दृष्टव्य है :-

### मूल्यांकन प्रगति

वर्ष 2008-09

क्र.सं.	मण्डल का नाम	मूल्यांकन हेतु साइटों का चयन			औसत जीवितता				
		शत प्रतिशत	प्रतिदर्श पद्धति	योग	80% से अधिक	60-80%	40-60%	40% से कम	योग
1.	करौली	4	4	8	2	3	3	-	8
2.	आबूरोड़	1	1	2	-	1	1	-	2
3.	श्रीगंगानगर	5	4	9	6	3	-	-	9
4.	जैसलमेर	8	9	17	9	8	-	-	17
5.	टोंक	4	4	8	4	4	-	-	8
6.	जयपुर(मध्य)	8	7	15	6	5	4	-	15
7.	बूंदी	7	7	14	1	7	4	2	14
8.	झंगरपुर	2	2	4	2	2	-	-	4
9.	उदयपुर(दक्षिण)	1	5	6	6	-	-	-	6
10.	नागौर	28	28	56	44	11	1	-	56
11.	उदयपुर(उत्तर)	1	5	6	6	-	-	-	6
12.	उदयपुर(मध्य)	1	5	6	2	4	-	-	6
	योग	70	81	151	88	48	13	2	151



इस प्रकार गत वर्ष मूल्यांकित की गई कुल 151 साइटों में से 88 स्थलों पर पौधों का जीवितता प्रतिशत 80% से अधिक पाया गया। शेष स्थानों में 48 साइटों का जीवितता प्रतिशत 60 से 80 प्रतिशत तथा 13 साइटों का 40 से 60 प्रतिशत रहा। मात्र 2

साइटों पर जीवितता प्रतिशत 40% से कम पाया गया।

वर्ष 2009-10 में मूल्यांकित क्षेत्रों में अभी तक चार वन मण्डलों की रिपोर्ट तैयार हो पाई है जिसका विवरण अग्रांकित है:-

वर्ष 2009-10

क्र.सं.	मण्डल का नाम	मूल्यांकन हेतु साइटों का चयन			औसत जीवितता				
		शत प्रतिशत	प्रतिदर्श पद्धति	योग	80% से अधिक	60-80%	40-60%	40% से कम	योग
1.	दौसा	5	5	10	2	7	1	-	10
2.	झुन्झुनूं	20	22	42	20	18	4	-	42
3.	धौलपुर	2	2	4	-	3	1	-	4
4.	सिरोही	2	2	4	-	4	-	-	4
	योग	29	31	60	22	32	6	0	60

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि चारों वन मण्डल की कुल मूल्यांकित 60 साइटों में से 22 साइटों का जीवितता प्रतिशत 80

से अधिक, 32 साइटों का 60 से 80 के बीच तथा 6 साइटों का 40 से 60 प्रतिशत तक पाया गया। किसी भी साइट का जीवितता प्रतिशत 40% से कम नहीं पाया गया।

छाया : के. आर. काला



### हरित राजस्थान का मूल्यांकन

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष आरम्भ की गई अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना हरित राजस्थान के मूल्यांकन का कार्य भी विभाग की मूल्यांकन इकाइयों ने आरम्भ कर दिया है। अभी तक पांच वन मण्डलों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया है जिनका जीवितता प्रतिशत 85.59 से 92.1 प्रतिशत तक पाया गया है। स्थिति का अवलोकन अग्रांकित सारिणी में द्रष्टव्य है:-

क्र.सं.	नाम जिला	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	पौधे	मूल्यांकित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	औसत जीवितता प्रतिशत
1.	सीकर	2365	865500	107	89.61
2.	पाली	2420	1169500	255+25 RKM	85.59
3.	जालौर	1725	985340	375+84 RKM	89.74
4.	झुन्झुनूं	2364	395010	397	91.1
5.	दौसा	500	100000	310+16.5 RKM	86.85



# 8

## वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश-विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभ्यारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान (केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान) तथा 25 अभ्यारण्य हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9161.21 वर्ग किमी. है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विवरण परिशिष्ट-7 पर दृष्टव्य है।

वन्य जीवों के संरक्षण के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से राशि प्राप्त कर विकास कार्य कराये जा रहे हैं। वर्ष 2009-10 के बजट में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के लिये 2472.02 लाख रु. का प्रावधान है तथा राज्य योजना मद में 4137.13 रु. का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत ग्राम विस्थापन करने हेतु 102.60 करोड़ रु. का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत हुआ है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र

मुख्यतः अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर भी आसपास विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस दबाव के कारण वन्य जीव प्रबन्धकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य निरन्तर संघर्ष होता है। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों की इन संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर हास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों को पानी, आवास

एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में 'हैबिटाट' सुधार, पानी स्थलों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वर्ष 2009-10 में वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. राज्य के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा चिड़ियाघरों को क्रमशः नाहरगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, माचिया जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इनका मास्टर ले-आउट प्लान स्वीकृत करवा लिया गया है। स्वीकृत मास्टर ले आउट प्लान के अनुसार सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की विस्तृत परियोजना राशि रु. 9.30 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान एवं





सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। माचिया एवं अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क में डी. पी. आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

2. रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भूतपूर्व सैनिकों एवं गृह रक्षकों (होम गार्ड्स) की तैनाती की गई है।

3. रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाये गये सुरक्षात्मक उपायों के फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। नवीनतम गणना के अनुसार रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में 41 बाघ पाये गये हैं।

4. सरिस्का बाघ परियोजना से दो गांवों (भगानी एवं कांकवाड़ी) को बड़ोद रुंध में विस्थापित करने हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। भगानी गांव को माह नवम्बर, 2007 में सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है। ग्राम कांकवाड़ी एवं उमरी गांव को विस्थापित करने हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है। ग्राम कांकवाड़ी के 170 परिवारों में से 67 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। ग्राम उमरी के 82 परिवारों में से 17 परिवार विस्थापित किये जा चुके हैं। शेष परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है।

5. रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से माह मार्च, 2009 में ग्राम इण्डला को 330 लाख रुपये व्यय किये जाकर पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया है। वनमण्डल (बफर) करौली के अन्तर्गत ग्राम माचनकी के विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 2009-10 में रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु 104 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। इस वित्तीय प्रावधान से 10 ग्रामों को विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसकी कार्यवाही प्रगति पर है।



छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

अण्डों से निकले नवजात शिशुओं को उत्सुकतावश देखती मादा 'स्टार टोस्टोर्ज' (तारा कछुआ)

6. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन से पानी लिफ्ट कर पहुंचाने हेतु एक परियोजना राशि रु. 65 करोड़ की तैयार की गई है। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 29-1-2009 से राशि रु. 56.22 करोड़ की आयोजना मद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। भारत सरकार से इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 53.80 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है जिसके विरुद्ध 50.76 करोड़ रु. की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

7. रणथम्भौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण फाउण्डेशन की स्थापना : राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबन्धन को सरल, सहायक और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउण्डेशन की स्थापना की जा रही है। फाउण्डेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव



जंगली मुर्गे एवं तीतर की लड़ाई के दृश्य



छाया : मनोज पाराशर



छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा



दक्षिणी राजस्थान में रंग बदलने वाला गिरगिट

विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबन्धन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है। फाउण्डेशन के गठन से बाघ रिजर्व के प्रबन्धन हेतु वांछित धनराशि का राज्य सरकार, भारत सरकार, इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्था एवं अन्य से आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता की प्राप्ति होगी। फाउण्डेशन के गठन से अति आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था होगी एवं क्रियान्वयन हेतु आदेशों/निर्णयों में त्वरित कार्यवाही हो पायेगी।

**8. टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा पोषित वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनायें :** राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर, सरिस्का, सवाईमानसिंह एवं कैवलादेवी अभ्यारण्यों में वन्य जीवों विशेषतः बाघ हेतु पानी की समस्या के निराकरण हेतु नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनायें स्वीकृत की गई है। इन क्षेत्रों में 83 जल संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई है जिन पर कुल 40.99 करोड़ की राशि व्यय की जावेगी।

**9. वर्ष 2009-10 के दौरान प्रथम बार आरक्षित क्षेत्रों के बाहर (Outside Protected Areas) के लिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वन्य जीव प्रबन्धन हेतु दो क्षेत्र क्रमशः मरुस्थलीय जिले एवं कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सैटेलाइट वेटलैण्ड्स हेतु 65.68 लाख की**


राशि स्वीकृत करायी जाकर कार्य प्रारम्भ किये गये।

**10. वर्ष 2009-10 के दौरान वन्य जीव क्षेत्रों में इको-ट्र्यूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पांच परियोजनाएं रणथम्भौर, सरिस्का, कैवलादेव, माउण्ट आबू एवं कुम्भलगढ़ केन्द्र सरकार को भेजी गईं। केन्द्र सरकार द्वारा माउण्ट आबू हेतु 2.31 करोड़ एवं कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हेतु 2.61 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।**

**11. तालछापर अभ्यारण्य के विकास के लिये राज्य योजना में वर्ष 2009-10 के लिये राशि रु. 298.13 लाख स्वीकृत किये गये हैं। इस राशि से कर्मचारियों हेतु आवास, सार्वजनिक शौचालय, गार्ड हॉस्टल आदि का निर्माण किया जाएगा।**

**12. बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से एक बाघ एवं दो बाघिनों को क्रमशः दिनांक 8-6-08, 4-7-08 एवं 25-2-2009 को वायु सेना के हैलीकॉप्टर से लाया जाकर सफलतापूर्वक सरिस्का में विस्थापित कर दिया गया है। दो और बाघों को सरिस्का में शीघ्र पुनर्स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।**

**13. राज्य में समस्त राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्यों के**



छाया : मनोज पाराशर

सरिस्का में ब्लैक स्टॉर्क एवं बार हैडेड गीज



प्रबन्धन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सोसायटी 'राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जरवेशन सोसायटी' गठित की गई।

**14. लुप्त प्रायः:** प्रजाति गोडावण के संरक्षण के लिये एक परियोजना तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की गई। इससे विलुप्त प्रायः पक्षी गोडावण का संरक्षण हो पायेगा।

**15. राज्य के माउण्ट आबू क्षेत्र को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इको-सेन्सेटिव जोन घोषित किया है।**

**16. राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन्य जीवों द्वारा धायल किये जाने पर निम्नानुसार मुआवजा राशि दी गई:-**

(i) वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 2009 तक) में जन श्रेणी में हानि 1.00 लाख रु. एवं धायल होने के मामलों में राशि रु. 0.96 लाख का मुआवजा स्वीकृत किया गया।

(ii) वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 2009 तक) में पशु हानि मामले में मुआवजा रु. 1.92 लाख स्वीकृत किया गया है।

**17. दिनांक 25 व 26 जुलाई, 2009 को देश की सभी बाघ परियोजनाओं के निदेशकों की एक बैठक सरिस्का अभ्यारण्य में बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने की। बैठक में बाघ परियोजना प्रबन्धन पर विस्तार से चर्चा हुई व इन परियोजनाओं के प्रबन्ध हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।**

इसी सम्मेलन के दौरान राज्य में बाघ संरक्षण हेतु केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य एक सहमति-पत्र (MOU) हस्ताक्षरित किया गया। ऐसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है।

**18. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग परिषद् के सदस्य राष्ट्रों के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों ने भी अक्टूबर माह में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन के बाद बाघ परियोजना सरिस्का का भ्रमण किया।**

### नीतिगत निर्णय एवं उनकी आज दिनांक क्रियान्विति की स्थिति :-

- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को वर्ष 2009-10 से प्रति वर्ष माझे व जून में पर्यटकों के भ्रमण हेतु पुनः खोलने के आदेश जारी किये गये।
- पर्यटकों की सुविधा के लिए सरिस्का अभ्यारण्य एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ऑन लाइन टिकिट बुकिंग का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

### अवार्ड

- रणथम्भौर बाघ परियोजना की मछली बाघिन को ब्रिटिश हाई कमीशन, दिल्ली द्वारा 24 अप्रैल, 2009 को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।



फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में मिला 'ईसाबेलाइन व्हिप स्नेक' जो वृक्षों पर निवास करता है



## कृष्ण मृग अभयारण्य तालछापर (चूरू) में विकास के नये आयाम

ब्रिटिश काल में तालछापर अभयारण्य बीकानेर महाराजा का शिकारगाह था। 1962 में इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में इस अभयारण्य का क्षेत्रफल मात्र 719 हैक्टेयर है। घास का यह समतल मैदान कृष्ण मृगों का प्राकृतिक आवास स्थल है। वर्तमान में इसमें लगभग 1800-1900 कृष्ण मृग हैं। काले हिरणों के अतिरिक्त इसमें लोमड़ी, जंगली बिल्ली, खर्राश, चिंकारा, रोज, लिजार्ड्स आदि प्रवासी एवं अप्रवासी पक्षी डेमोजियल क्रेन (कुरंजा) बारहैडेड गूज (राजहंस) क्रॉमन क्रेन, व्हाइट स्टॉकर्स, लॉकर्स, रोजीस्टरलिंग आदि पाए जाते हैं। तालछापर

योजनान्तर्गत करवाये गये हैं।

वर्तमान में तालछापर वन्य जीव अभयारण्य के समग्र विकास हेतु योजना के अन्तर्गत पर्यटकों हेतु स्वागत केन्द्र कार्यालय भवन, कम्युनिटी सेंटर, क्राफ्ट शॉप, एम्फीथिएटर, स्टाफ हाउसिंग, गेस्ट हाउस, लैण्डस्केपिंग, पार्किंग, वॉच टॉवर इत्यादि विभिन्न कार्य करवाये जा रहे हैं।

योजनान्तर्गत अभयारण्य में करवाये गये हैबिटाट इम्प्रूवमेंट कार्यों के परिणाम :-

हैबिटाट इम्प्रूवमेंट कार्य करवाये जाने के उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। कुत्तों से होने वाली कैज्यूल्टीज में कमी हुई है। प्रभावी सुरक्षा होने से इस वर्ष लगभग 300-350 हिरणों ने बच्चों को जन्म दिया है। अभयारण्य के तालाबों में लगातार पानी रहने की वजह से इस वर्ष करीब 150-200 की तादाद में बारहैडेड गीज देखे जा सकते हैं। कुरंजा पक्षी भी इस वर्ष 1500-2000 की संख्या के करीब हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्षी गिद्ध, जो विलुप्ति के कगार पर है, इस वर्ष करीब 5-6 तरह की प्रजातियों के लगभग 100 गिद्ध अभयारण्य के तालाबों में नहाते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले वर्ष रेड डाटा बुक में

शामिल किंग वल्चर ने अभयारण्य में घोंसला

बनाया था जिसमें एक बच्चा भी निकला जिसे अभी भी अभयारण्य में देखा जा सकता है। इस वर्ष फिर किंग वल्चर द्वारा घोंसला बनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में लॉकर्स भी अभयारण्य में देखी जा सकती है। इस वर्ष पहली बार 1 अगस्त से 4 अगस्त तक राज्य पक्षी गोडावण का एक जोड़ा अभयारण्य में देखा गया, जो स्पष्ट तौर पर अभयारण्य के प्राकृतिक आवास में बढ़ोतरी का ही परिणाम है। गोडावण के अलावा इस वर्ष अभयारण्य में कुछ पक्षियों की ऐसी प्रजातियां जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की हैं और विलुप्ति के कगार पर हैं, को भी देखा गया। जैसे स्टॉलिजका बुशचेट, थेलो आइडपिजन, कैस्पियन प्लॉवर रूफस्टेलड स्कर्ब रोबिन

छाया : आनन्द आर्य

इस वर्ष तालछापर में पहली बार गोडावण देखे गये



अभयारण्य के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा एक पंचवर्षीय विशेष परियोजना राशि रु. 590.00 लाख वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के लिए स्वीकृत की गई थी। उक्त परियोजना अन्तर्गत हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के अन्तर्गत दीवार निर्माण, चैनलिंक फैसिंग, चारागाह विकास, वाटर स्टोरेज टैंक, चारा डिपो निर्माण, वाटर हॉल निर्माण, रेस्क्यू सेन्टर निर्माण, तालाबों का स्टोन पिचिंग आदि कार्य करवाये जा चुके हैं।

इसके अलावा विलायती बबूल निकालने का कार्य, चारा संग्रह, पशु चिकित्सा शिविर आस-पास के गांवों में वाटर सप्लाई कनेक्शन, फैसिंग रिपेयर आदि अन्य कार्य भी उक्त



स्पोटेड क्रीपर, इम्पीरियल एवं ग्रेटर स्पोटेड ईगल आदि भी देखी गई हैं। इस वर्ष ग्रेटर फ्लेमिंगों भी पहली बार देखे गए हैं।

### तालछापर अभयारण्य क्षेत्र का विस्तार :-

तालछापर अभयारण्य का क्षेत्रफल वर्तमान में 719 हैक्टेयर है, इसे बढ़ाने हेतु नमक क्षेत्र से लगती हुई 195.12 बीघा भूमि अवाप्त की गई है तथा इस हेतु खातेदारों को अवार्ड के अनुसार 168.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

अभयारण्य क्षेत्र से लगती हुई नम भूमि जिन पर अभी तक नमक का खनन नहीं हो रहा है तथा जो भूमि उद्योग विभाग के नाम है, के आवंटियों के पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं तथा इस भूमि को अभयारण्य में शामिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अभयारण्य विस्तार हेतु चाड़वास तालाब के कैचमेंट की 112 बीघा भूमि भी अभयारण्य हेतु आवंटित कर दी गई है। इसमें अभयारण्य का क्षेत्रफल 719 हैक्टेयर से बढ़कर लगभग 796 हैक्टेयर हो जायेगा।

### पर्यटन विकास के कार्य :-

अभयारण्य के निकटवर्ती खसरा नं. 120 में बीकानेर महाराजा का शिकारगाह स्थित है, जिसमें वर्तमान में राजकीय विद्यालय चल रहा है। उक्त शिकारगाह को हैरिटेज होटल में परिवर्तित करने तथा स्कूल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा स्कूल बाबत जगह 16 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई है।

### स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा वन उपज से वस्तुओं का निर्माण व विक्रय :-

अभयारण्य के निकटवर्ती ग्राम चाड़वास, गोपालपुरा, सुरवास व रामपुरा में महिलाओं के 4 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर वन उपज से विभिन्न वस्तुएं बनाकर इनके विक्रय का कार्य किया जा रहा है। उक्त समूहों का फैडरेशन बनाया जाकर फैडरेशन के माध्यम से कार्य किये जा रहे हैं। ये कार्य रुड़ा की देख-रेख में चल रहे हैं। वन विभाग द्वारा उक्त गांवों में गठित वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के खाते में 1.00 लाख रुपये

उपलब्ध करवाये गये हैं, जिनका उपयोग स्वयं सहायता समूह के द्वारा रिवोल्विंग फण्ड के रूप में किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पाद विभिन्न मेलों, प्राइवेट एवं सरकारी अभिकरणों को बेचे जा रहे हैं।

अभयारण्य के प्रशासनिक परिसर में एक क्राफ्ट शॉप विकसित की जा रही है जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को पर्यटकों के लिए विक्रय हेतु रखा जायेगा।



तालछापर में प्राकृतिक आपदा : अतिवृष्टि

### तालछापर अभयारण्य में आई प्राकृतिक आपदा:-

दिनांक 28, 29 व 31 मई, 09 की रात्रि में लगातार तेज तूफान, ओले, बरसात की चपेट में आने से दहशत के कारण अभयारण्य में 75 हिरणों की मौत हो गई थी। ज्यादातर वृद्ध, कमजोर एवं हिरणों के छोटे बच्चे इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए।

अभयारण्य में कन्टूर बंधों के पुख्ता कार्यों के परिणामस्वरूप घास व अन्य झाड़ियाँ इतनी अधिक मात्रा में आई कि अब तक भयंकर सूखे के बावजूद सूखा घास पर्याप्त मात्रा में हिरणों को मिल रहा है। साथ ही 300-400 नवजात बच्चों का जन्म भी इसी अच्छे चारे का परिणाम है।



## कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त के क्षेत्र में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-


- (अ) कार्य आयोजना अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही कार्य आयोजना के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- (ब) वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण की कार्यवाही करवाना।

(स) कार्यालय संबंधित अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का प्रावैधिक सहायक से निस्तारण करवाना।

**कार्य आयोजना :-** वानिकी कार्य आयोजना जिले के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु 10 वर्ष के लिए तैयार की जाती है। वर्तमान में निम्न वन क्षेत्रों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत एवं क्रियान्वयन में है।

क्र. सं.	नाम जिला अथवा क्षेत्र	स्वीकृत कार्य आयोजना अवधि
1.	जयपुर	1-4-2000 से 31-3-2010 तक
2.	इं.गां.न.प. स्टेज द्वितीय क्षेत्र	2009-10 से 2018-19 तक
3.	उदयपुर	2009-10 से 2018-19 तक
4.	बांसवाड़ा	2008-09 से 2017-18 तक

कार्य आयोजना तैयार करने हेतु पूर्व में प्रदेश में कुल चार कार्य आयोजना अधिकारियों के पद ही स्वीकृत थे। ये कार्य आयोजना अधिकारी जिन जिलों की स्वीकृत कार्य आयोजना अवधि समाप्त हो जाती थी क्रमशः उन कार्य आयोजनाओं को पुनः तैयार करने का कार्य करते थे। एक जिले की कार्य आयोजना का कार्य पूर्ण होने पर दूसरे जिले की कार्य आयोजना तैयार करने हेतु कार्यालय का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा किये जाने तथा कार्य आयोजना अधिकारी एवं अन्य स्टाफ पदस्थापन किये जाने पर उस जिले की कार्य आयोजना का पुनरावलोकन कर आगामी दस वर्ष के वानिकी प्रबन्धन हेतु कार्य आयोजना तैयार करने का कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाता था। वर्तमान में चार भारतीय वन सेवा के कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर, कोटा एवं जयपुर के स्थाई रूप से स्वीकृत हैं तथा तीन राजस्थान वन सेवा के कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर को स्थाई रूप से स्वीकृत कराया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले





की कार्य आयोजना मार्च, 2008 में तैयार कर अनुमोदन हेतु भारत सरकार को क्रमशः पत्रांक 1105 दिनांक 6-5-08 एवं पत्रांक 1435 दिनांक 26-4-08 से प्रेषित की जा चुकी है। जिसका अनुमोदन भारत सरकार से होना अभी अपेक्षित है कार्य आयोजना अधिकारी उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर के पद रिक्त हैं अथवा पदस्थापन नहीं हुआ है। कार्यालय कार्य आयोजना अधिकारी कोटा, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में अधीनस्थ स्टाफ का पदस्थापन भी अभी नहीं हुआ है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 12(24)वन/08 दिनांक 22-06-2009 से ही कार्यालय कार्य आयोजना अधिकारियों का कार्यालय संबंधित संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण के अधीन कर दिया गया है।

**वन बन्दोबस्त :-** वन विभाग के नियंत्रण अधीन विभिन्न वन क्षेत्रों को राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किया जाकर उन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम अमलदरामद कराया जाता है। मौके पर वन सीमा पर मिनारें बनाकर इन वन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

**राजस्थान वन अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन :-** किसी वन क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम की धारा 4 अथवा



छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

सीतामाता अभ्यारण्य में मिली दुर्लभ फर्न : 'सिलेजिनेला सिलिएटिस'

29(3) के अन्तर्गत प्रारम्भिक विज्ञप्ति राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र में प्रकाशित करवायी जाती है। प्रारम्भिक विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम 1958 की प्रक्रिया के अनुसार जांच कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाकर अंतिम विज्ञप्ति आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किये जाने वाले वन क्षेत्र की अधिसूचना तैयार की जाती है जिसकी राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 अथवा 29 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा राजपत्र में प्रकाशन होता है। प्रारम्भिक एवं अंतिम रूप से घोषित तथा अवर्गीकृत वन क्षेत्रों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.

कुल वन क्षेत्र	अंतिम रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 20 एवं 29(1) के अन्तर्गत)	प्रारम्भिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 4 एवं 29(3) के अन्तर्गत)	अवर्गीकृत वन क्षेत्र
32701.98	25997.26	3930.17	2774.55

अवर्गीकृत वन क्षेत्रों में से काफी वन क्षेत्रों की अधिसूचना तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। ये अधिसूचनाएं राज्य सरकार स्तर से राजकीय मुद्रणालय को भिजवा दी गई हैं तथा वर्तमान में ये अधिसूचनाएं मुद्रणालय स्तर पर पेंडिंग हैं।

**वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद :-** वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी वन बन्दोबस्त प्रक्रिया का एक अंग है। वर्तमान में वन भूमि के अमलदरामद की नवम्बर, 2009 तक की स्थिति इस प्रकार है:-



क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.

कुल वन क्षेत्र	अमलदरामद शुदा वन भूमि का क्षेत्रफल	अमलदरामद से शेष वन भूमि
32701.98	27772.20	4929.78
प्रतिशत	84.92	15.08

अभी भी करीब 15 प्रतिशत वन भूमि का अमलदरामद होना शेष है जिसमें से 9 प्रतिशत वन भूमि ऐसी है जो राजस्व रिकार्ड में 'अनसर्वेड' भूमि की श्रेणी में है तथा 6 प्रतिशत भूमि अन्य विवादों के कारण अमलदरामद से शेष है। उक्त वन भूमियों को राजस्व विभाग में विवादास्पद श्रेणी में माने जाने के कारण राजस्व विभाग इन वन भूमियों का अमलदरामद नहीं कर रहा है। वन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में लगातार प्रयास कर राज्य सरकार स्तर पर राजस्व एवं वन विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों की बैठक आयोजित करवाकर राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करवाये गये। सर्वप्रथम दिनांक 23-7-2005 को वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करवायी गयी थी उसके पश्चात् अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक संरचना) की अध्यक्षता में दिनांक 2-7-2008 को बैठक आयोजित करवायी गयी। तत्पश्चात् प्रमुख शासन सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में दिनांक 22-09-09 को बैठक आयोजित करवायी गयी। समय-समय पर उक्त बैठक कार्यवाही के अनुसार राजस्व अधिकारियों को वन भूमि के



छाया : मनोज शाराशर

गोंद खाते हुए लंगूर

विवादों का निस्तारण करवाकर अमलदरामद करवाने के निर्देश जारी किये गये हैं। अभी हाल ही में दिनांक 22-09-09 को आयोजित बैठक में 'अनसर्वेड' भूमि की श्रेणी में वन भूमि का सर्वे कराने के जिला कलेक्टर गण को निर्देश देने का पुनः निर्णय हुआ है जिसकी पालना में शासन उप सचिव राजस्व विभाग को इस कार्यालय के पत्रांक 1934 दिनांक 23-09-2009 से 'अनसर्वेड' वन भूमि की सूची भिजवा दी गयी है तथा शासन उप सचिव राजस्व विभाग ने जरिये पत्र क्रमांक प.13(8)राज/ग्रुप-I/04 जयपुर दिनांक 19-11-2009 से संबंधित जिला कलेक्टर गण को निर्देश जारी किये हैं। अन्य विवादित अमलदरामद से शेष वन भूमि के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक संरचना) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 9-7-2008 में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये थे।

**सीमांकन :-** राज्य वन क्षेत्र के सीमांकन की स्थिति निम्नानुसार है (दिनांक 31-03-09 की स्थिति)

वन बन्दोबस्त एवं आवश्यकता अनुसार सीमा स्तम्भों की कुल संख्या	सीमा स्तम्भ लगाये जा चुके हैं दिनांक 31-3-08 की स्थिति	सीमा स्तम्भ जो लगाये जाने शेष हैं
308639	104284	204355
प्रतिशत	33.79	66.21



प्रारम्भिक एवं अंतिम विज्ञाप्ति के क्रम में प्रारम्भिक, प्लेन टेबल सर्वे आदि के लिए वर्ष 2009-10 में कोई भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं है। इस वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु

3400 सीमा स्तम्भ (मिनारें) लगाने का लक्ष्य निम्नानुसार मुख्य वन संरक्षक गणों को आवंटित है, जो प्रगति पर है।

(लाखों में)

क्र. सं.	नाम कार्यालय	भौतिक (मिनारों की संख्या)	वित्तीय राशि (रुपये)
1.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	700	8.40
2.	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	500	6.00
3.	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	500	6.00
4.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	700	8.40
5.	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	500	6.00
6.	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	500	6.00
	योग	3400	40.80

## कामां व डीग क्षेत्र में रक्षित वनों की घोषणा

प्रसिद्ध ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के कामां व डीग तहसीलों का कुछ भाग आता है। इस परिक्रमा के पथ के किनारों की भूमि में मौजूद वृक्षों को बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों को रक्षित वन घोषित करने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में राजपत्र में दिनांक 27 नवम्बर, 2009 को विज्ञाप्ति का प्रकाशन किया जा चुका है। विज्ञाप्ति में डीग तहसील के ब्लॉक नाहरा देवी पर्वत (रकबा 34-95 हैक्टेयर), धमारी (रकबा 141.38 हैक्टेयर), खोह अ (रकबा 4.45 हैक्टेयर), बहताना (रकबा 2.44 हैक्टेयर), नरैना कट्टा (रकबा 4.94 हैक्टेयर), पसोपा (रकबा 22.01 हैक्टेयर), देवघाटी (रकबा 30.12 हैक्टेयर) तथा कामां तहसील के ब्लॉक स्वर्ण शांति पर्वत (रकबा 368.67 हैक्टेयर) इन्दौली (रकबा 173.50 हैक्टेयर), भोजन थाली (रकबा 74.89 हैक्टेयर), धौलागिरी पर्वत (रकबा 138.99 हैक्टेयर), खानपुर (रकबा 18.21 हैक्टेयर), केदार नाथ पर्वत (रकबा 319.09 हैक्टेयर), खेवड़ा (रकबा 75.11



छाया : मनोज पाठाशाह

धूप सेंकरे हुए तीन तीतर

हैक्टेयर), चरण पहाड़ी पर्वत (रकबा 67.69 हैक्टेयर), घोघोर (रकबा 296.62 हैक्टेयर), कनकांचल पर्वत (रकबा 1775.97 हैक्टेयर), कामां पहाड़ मैन (रकबा 45.12 हैक्टेयर), आदिबदी पर्वत (रकबा 1160.46 हैक्टेयर), अर्थात् कुल 4757.66 हैक्टेयर भू-भाग को रक्षित वन घोषित करने की प्रारम्भिक विज्ञाप्ति जारी की गई है। यह भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जाएगी।



## 10

# वन अनुसंधान

राज्य वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1956 में राज्य वन वर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। वन संरक्षक (वन वर्धन) कार्यालय के अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर, वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर केन्द्र शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु कार्यरत है। वन वर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं जल-मृदा परीक्षण सम्बन्धित दो प्रयोगशालाएं भी कार्यरत हैं।

वन अनुसंधान कार्यों को विभागीय आवश्यकतानुसूप दिशा देने के लिए शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन वर्ष 2005-06 में किया गया था। यह समूह कार्यालय द्वारा प्रस्तावित शोध एवं अनुसंधान कार्यों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उनकी उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित करता है तथा किए जा रहे शोध कार्यों की समीक्षा भी करता है। दिनांक 20-3-09 को हुई शोध परामर्शी समूह की बैठक में गत वर्षों के वानिकी प्रयोगों के परिणामों की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2009-10 के लिये दो प्रयोगों का अनुमोदन किया गया। चालू सभी प्रयोगों की समीक्षा शोध परामर्शी समूह की आगामी बैठक में होनी है।

विभागीय पौधशालाओं के लिए विभिन्न प्रजातियों के अंकुरण का ज्ञान एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी से बीज क्रय करने की मात्रा व खर्च की जाने वाली राशि का वास्तविक अनुमान संभव हो पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में वनवर्धन शाखा द्वारा बीजासाल (*Pterocarpus marsupium*), कैर (*Capparis decidua*), मालकांगनी (*Celastrus paniculatus*), पारस पीपल (*Thespesia populnea*), तनस (*Ougeinia oojeinensis*) तथा मुंजाल (*Caeseria*

*tomentosa*) तथा श्योनाक (*Oroxylum indicum*) के बीजों के अंकुरण के बारे में तथा धोक (*Anogeissus pendula*), कड़ाया (*Sterculia urens*) के पौधे कटिंग से तैयार करने का अध्ययन किया गया। वन अनुसंधान फार्म, बांकी में गूगल के पौधे की कलमों को विभिन्न हारमोन का प्रयोग कर 95 प्रतिशत तक परिणाम प्राप्त कर तैयार किया गया। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान एवं ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में गूगल का Orchard भी तैयार किया गया।

ग्रास फार्म नर्सरी, विश्व वानिकी वृक्ष, वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर और वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर में उन्नत किस्म के बड़े पौधे कम लागत व समय में किस प्रकार तैयार किया जावे, इस बाबत आठ प्रजातियों (नीम, अशोक की दो किस्म, मोलसरी, अर्जुन, करंज, श्योनाक और पारस पीपल) पर प्रयोग जारी है। विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में नीम पर अब तक हुये विभिन्न शोध व उसके परिणाम को विभिन्न अनुसंधान जनरल से एकत्रित कर संकलन करने का कार्य प्रगति पर है। रूट ट्रैनर एवं पोलीथीन थैली में उगे पौधों की वृद्धि का फील्ड में अध्ययन, लैमन ग्रास का ट्रायल



प्रयोगशाला में रतनजोत के बीज के अंकुरण का अध्ययन

तथा विभिन्न प्रकार की मलचिंग का पौधों पर प्रभाव का अध्ययन गोविन्दपुरा अनुसंधान केन्द्र पर जारी है। इसके अलावा ग्रास फार्म नर्सरी में रतनजोत के पौधों का विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन जारी है।

वनवर्धन कार्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाले वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से किए गए प्रयोगों की विस्तृत जानकारी सभी वन मण्डलों को उपलब्ध कराई जाती है। अग्रिम पंक्ति के वनाधिकारियों एवं कर्मचारियों के ज्ञान वृद्धि के लिए वन वर्धन कार्यालय द्वारा इस वर्ष गूगल की पौध तैयारी, दीमक पर नियंत्रण राजस्थान की वनस्पति एवं राजस्थान की आठ स्थानीय प्रजातियों के 'ग्रीन वेट'

वन खण्ड उमरों का मथारा में 40 हैक्टेयर एवं वन खण्ड आड़ीवाली बरखाड़ी में चार वृक्षारोपण कुल क्षेत्र 200 हैक्टेयर को रतनजोत का बीज उत्पादक क्षेत्र वर्ष 2008-09 में घोषित किया गया। वन मंडल बासं के अन्तर्गत वन खण्ड भैंसाघाट के 100 हैक्टेयर वन क्षेत्र को खैर का बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

वर्ष 2008-09 में विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से देशी बबूल (*Acacia nilotica*) का 1815 किलो, कुमठा (*Acacia senegal*) 1108 किलो और इजरायली बबूल (*Acacia tortalis*) 590 किलो बीज तथा इस वर्ष दिसम्बर, 2009 तक देशी बबूल (*Acacia nilotica*) का 1125 किलो बीज, रतनजोत का 110 कि. तथा नीम का 70 किलो बीज एकत्रित करवाया जाकर विभिन्न वन मण्डलों को कीमतन उपलब्ध कराया गया। कुमठा (*Acacia senegal*), इजरायली बबूल (*Acacia tortalis*) तथा खैर (*Acacia catechu*) का बीज विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से एकत्रित करवाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।



गोविन्दपुरा फार्म पर लेखन ग्रास का प्रायोगिक कार्य

(वजन) की तालिकाएं प्रकाशित करवाई जाकर वन मण्डलों को प्रेषित की गई।

अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिए वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। जयपुर जिले की आमेर रेन्ज अधीन वन खण्ड बूकला के वृक्षारोपण कूकस-बूकला 'बी' (वर्ष 1994-95) क्षेत्रफल 50 हैक्टेयर को कुमठा (*Acacia senegal*) का बीज उत्पादक क्षेत्र वर्ष 2008-09 में घोषित किया गया। इसी प्रकार उदयपुर जिले की सायरा रेंज अधीन

वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं न केवल विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गए बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जांच करती हैं अपितु आम जनता द्वारा लाए गए नमूनों की जांच कर उपयुक्त सुझाव देती हैं। बीज परीक्षण प्रयोगशाला में वर्ष 2008-09 में वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त वानिकी प्रजातियों के बीजों के 589 सैम्प्ल एवं इस वर्ष में दिसम्बर, 2009 तक 225 सैम्प्ल का परीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई गई है। इसी प्रकार वन विभाग के कार्यालयों एवं किसानों से वर्ष 2008-09 में 13 सैम्प्ल जल के तथा 161 सैम्प्ल मृदा के और इस वर्ष दिसम्बर, 2009 तक जल के 23 एवं मृदा के 105 नमूनों की जांच कर रिपोर्ट संबंधित को भिजवाई गई है।

वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिये आफरी, जोधपुर द्वारा आयोजित स्टेक होल्डर्स मीट एवं शोध परामर्शी समूह की बैठक में वन वर्धन कार्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया। स्थानीय स्तर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग एवं दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र से अनुसंधान कार्यों के लिये तालमेल रहता है।



## 11

## विभागीय कार्य

### विभागीय कार्य योजना:

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरंकुश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई किए जाने के कारण वनों को अत्यधिक क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकड़ी, कोयला, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

### विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य :

- .... ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा;
- .... विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना;
- .... उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना;
- .... पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों को उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना; तथा
- .... राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति करना आदि।

### विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ:

#### लकड़ी कोयला व्यापार योजना:

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढ़ते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993-94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकड़ी विदोहन हेतु वृक्षों का पतन बंद होने के कारण सूखी-गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत्त के वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सड़कों एवं नहर के किनारों पर खड़े वृक्षों के आंधी-तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दस वर्षीय वर्किंग

प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में खड़े परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज-द्वितीय में सूखे पेड़ों एवं गिरी पड़ी लकड़ी को इकट्ठा कराया जाकर उसका बेचान जैसलमेर विक्रय केन्द्र पर आरम्भ किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत 3.98 लाख किंविटल जलाऊ लकड़ी एवं 3.63 लाख किंविटल इमारती लकड़ी विदोहन एवं एकत्रीकरण से प्राप्त हुई। वर्ष 2009-10 में दिसम्बर, 2009 तक 1.63 लाख किंविटल जलाऊ लकड़ी एवं 1.35 लाख किंविटल इमारती लकड़ी विदोहन एवं एकत्रीकरण से प्राप्त हुई।

#### बाँस विदोहन योजना:

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपांज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान 17.58 लाख मानक बाँस विदोहन से प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2009-10 में माह दिसम्बर, 2009 तक 1.18 लाख मानक बाँस विदोहन से प्राप्त हो चुके हैं।

#### राजस्व

वर्ष 2008-09 के दौरान जलाऊ लकड़ी योजना से 2567.71 लाख रुपये, बाँस बिक्री से 232.74 लाख रुपये की आय प्राप्त की गई। वर्ष 2008-09 में कुल आय 2800.45 लाख रुपये प्राप्त की गई। वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों में लकड़ी कोयला योजना से 2799.50 लाख रुपये, बाँस योजना से 220.00 लाख रुपये की आय के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक क्रमशः 1164.12 लाख रुपये लकड़ी कोयला योजना से प्राप्त हुये हैं तथा 164.12 लाख रुपये बाँस योजना से प्राप्त हुए हैं। कुल आय 1328.96 लाख रु. अर्जित की जा चुकी है।



## 12

# तेन्दू पता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पतों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, झूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं।

तेन्दू पता का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेंसियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पतों की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार ही तेन्दू पता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत विभिन्न वन वृतों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक वृत्त हेतु पृथक्-पृथक् सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है जिससे सम्बन्धित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती हैं। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर 18/- से 20/- रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरन्तर वृद्धि के

पश्चात् वर्ष 2009 के संग्रहण काल हेतु 425/- रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

तेन्दू पता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पता उत्पादन क्षेत्रों को इकाइयों में विभक्त कर इकाई का गठन किया जाकर उनका बेचान नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों में राज्यादेश के अनुरूप विभागीय तौर से पता संग्रहित करवाया जाकर पतों का नीलामी द्वारा बेचान किया जाता है, अथवा पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2009 के लिए राज्य की कुल 183 इकाइयों का गठन किया गया जिनका निष्पादन निम्नानुसार किया गया है तथा इस प्रकार किये गये बेचान से निम्नानुसार आय प्राप्त होने का अनुमान है:-

क्र.सं.	निष्पादन का तरीका	इकाइयों की संख्या	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	182	8.56 करोड़
2.	पड़त रही	1	-
	योग	183	8.56 करोड़

वर्ष 2009 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रुपये 425/- प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी कुल संग्रहित मानक बोरा 303796 जिससे लगभग 1291.13 लाख रु. श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया है।

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां अग्रानुसार रही हैं:



क्र. सं.	विवरण	वास्तविक प्राप्तियां (लाखों रु. में) 2009-10	नवम्बर, 09 तक कुल प्राप्तियां वर्ष 2009-10 (लाखों रु. में)
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	883.09	786.07
2.	अन्य विविध आय	11.22	4.33
	योग	<b>894.31</b>	<b>790.40</b>

वर्ष 2010 के संग्रहण काल हेतु सलाहकार समितियों के गठन के प्रस्ताव माह जुलाई, 09 में राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे, सलाहकार समितियों में क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों का मनोनयन दिनांक 21-12-09 को होकर प्राप्त हुआ है। अब मनोनीत माननीय विधायकगणों से सहमति प्राप्त की जावेगी तथा माननीय अध्यक्ष विधान सभा की भी सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही सलाहकार समिति का गठन होना संभव होगा इसके पश्चात् ही समितियों की बैठक आयोजित की जाकर संग्रहण दर निर्धारित की जाना संभव होगा। इसके पश्चात् ही तेन्दू पत्ता इकाइयों के विक्रय हेतु रिजर्व प्राइस निर्धारण हो पायेगी एवं इसके पश्चात् ही तेन्दू पत्ता इकाइयों का विक्रय होना संभव होगा इस कार्य में अत्यन्त विलम्ब होने से तेन्दू पत्ता से प्राप्त होने वाली आय की



भी क्षति होने की पूर्ण संभावना बन रही है। जबकि समीपवर्ती राज्य मध्यप्रदेश में इकाइयों के विक्रय हेतु दिनांक 23-12-09 को निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं एवं गुजरात में 7-1-10 को निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं।

○○○

# 13

## सूचना प्रौद्योगिकी

### विभागीय वेबसाइट ([rajforest.nic.in](http://rajforest.nic.in)) का विकास एवं संधारण :

राजस्थान की वन सम्पदा के क्षेत्रफल, प्रकार एवं उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियां, वनों के सम्बन्ध में लागू होने वाली विधि, वन प्रबन्ध, वन संरक्षण एवं परियोजनाओं की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से आम जन को उपलब्ध कराई गयी है। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति का मासिक तौर पर विवरण पूर्व वर्ष की भांति ही दिया जा रहा है।

विभागीय वेबसाइट के माध्यम से विभाग के कार्य-कलापों को जन-जन तक पहुंचाने हेतु नवीन सामग्री का समावेश किया जाता है जिसमें वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2008-09, विभागीय कार्य निर्देशिका, विभिन्न शाखाओं के परिपत्र, वन विभाग के मासिक पत्र वानिकी समाचार के अंक, विभिन्न शाखाओं द्वारा जारी किए जाने वाली निविदा की सूचनाएं एवं अन्य उपयोगी लिंक एवं नवीन सामग्री डाली गयी है। इसे और अधिक उपयोगी बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

**जियोग्राफिकल इनफॉरमेशन सिस्टम (GIS) का विकास :** स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर के सहयोग से कैडस्ट्रॉल स्तर पर वन एटलस बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत अब तक जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, धौलपुर, टोंक, बारां जिलों के वन खण्डों के नक्शों का 'डिजिटाइजेशन' किया गया है। साथ ही

'डिजिटाइजेशन' के उपरांत जयपुर एवं दौसा जिलों के लिये वन एटलस प्रारूप बनाने की कार्यवाही की जा रही है एवं अन्य जिलों के लिये कार्यक्रम अनुसार 'डिजिटाइजेशन' कार्य जारी है।

### ई-मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग :

ई-मेल के माध्यम से सूचनाओं के त्वरित प्रवाह हेतु राजस्थान सरकार के डोमेन ([rajasthan.gov.in](http://rajasthan.gov.in)) पर विभागीय अधिकारियों के लिये जारी किये गये E-mail IDs में समय-समय पर पदानुरूप परिवर्तन किया जाकर इसे अधिक उपयोगी बनाने का कार्य किया गया है। सूचनाओं के आदान-प्रदान करने में ई-मेल सिस्टम उपयोग करने हेतु सभी अधिकारियों को प्रेरित किया जाता है एवं इसके लिये समय-समय पर अनेक सामग्री ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाती है। ई-मेल एवं इंटरनेट आदि के उपयोग हेतु अधिकारीगणों को अपने निवासीय टेलीफोन का उपयोग कर रहे हैं जिसके लिये राशि रुपये 1750/- से लेकर रुपये 3500/- प्रतिमाह तक का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।





## वन प्रबंधन सूचना तंत्र (Forest Management Information System)

विभाग में बेहतर रूप से सूचनाओं के प्रबंधन एवं प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिये वन प्रबंधन सूचना तंत्र के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार नवीन Module विकसित किये जा रहे हैं। वन प्रबंधन सूचना तंत्र द्वारा विभाग की अनेक सूचनाओं को कम्प्यूटर में अत्यंत व्यवस्थित रूप में संधारित करने से समय की बचत के साथ-साथ कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। इसके लिये पूर्व के वर्षों में विकसित किये गये Joint Forest Management Information Monitoring System Module को आधार मानकर एक नवीन मॉड्यूल Dynamic Form Creation तैयार किया गया है जिसे अभी परीक्षण हेतु आरम्भ कर दिया गया है। इसके माध्यम से राज्य में विभिन्न वन मण्डलों से प्राप्त होने वाली मासिक प्रगति सूचना को ऑन लाइन भरने एवं उच्च स्तर पर इसके स्वतः कम्पाइल कर रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी जिससे प्रगति की सूचना सीधे कम्प्यूटर के माध्यम से अंकित करना सम्भव हो सकेगा व विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग अनेक स्तर पर सम्भव हो सकेगी। भविष्य में इसे और विकसित करने की कार्यवाही की जावेगी। इससे मासिक मोनिटरिंग का कार्य भी आसान हो जायेगा।

Forest Conservation Act Cases Monitoring Module को भी State Data Center पर Upload कर संधारित किया जा रहा है। इसमें वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विभाग में प्राप्त प्रस्तावों की प्रगति की स्थिति का बेहतर प्रबोधन हो सकेगा। इसमें नवीन सुविधाएं जोड़कर अधिक उपयोगी बनाये जाने का प्रस्ताव है।

इसी क्रम में वन भू-अभिलेखों के रिकार्ड संधारण एवं अपडेशन हेतु NIC जयपुर के माध्यम से Module विकसित किया गया है जिसमें उदयपुर जिले से संबंधित रिकार्ड को डाला जाकर एप्लीकेशन का सिक्यूरिटी ऑडिट, एस. टी. क्यू. सी. भारत सरकार के माध्यम से करायी गयी है ताकि इस सिस्टम को

अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। सिक्यूरिटी ऑडिट कार्यवाही के पूर्ण होने पर इसे आरम्भ कर दिया जावेगा।

### चीफ मिनिस्टर इंफोर्मेशन सिस्टम (CMIS) :

इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के लिये ऑन लाइन सूचनाएं मांगी जाती हैं। इसमें मुख्यमंत्री घोषणा, बजट घोषणा, परियोजना प्रबोधन तंत्र तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी संकल्प पत्र के क्रियान्वयन को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

### Secretariat Local Area Network (SecLAN)

राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनों को सेक्रेटरियल लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़े जाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत फिलहाल विभाग के मुख्यालय वन भवन में कनेक्टिविटी दी गयी है। विभाग के जयपुर स्थित अन्य प्रमुख भवनों में से अरावली भवन को SecLAN से जोड़ने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को निवेदन किया गया है।

### वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) :

राज्य सरकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के तहत प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार का दिन वन विभाग के लिये रखा गया है। इसमें सचिवालय स्थित NIC के VC केन्द्र के माध्यम से जिला मुख्यालय स्थित विभाग के कार्यालयों को कनेक्ट कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है जिससे समस्याओं के त्वरित निराकरण में सहयोग मिलता है।

### कम्प्यूटरीकरण (Computerization) :

गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभाग की विभिन्न शाखाओं हेतु 20 नवीनतम तकनीक युक्त कम्प्यूटर क्रय किये जाकर स्थापित किये गये।

15

## सम्मान एवं पुरस्कार

वनों के संरक्षण, विकास, सुरक्षा, विस्तार एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं / विभागीय कर्मचारियों-अधिकारियों को वन विभाग, राजस्थान तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कार स्वरूप नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हैं।

राज्य की दो ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को इस वर्ष केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र से सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 का पुरस्कार उदयपुर जिले की पालिया खेड़ा ग्राम्य वन एवं सुरक्षा समिति को तथा वर्ष 2008 का पुरस्कार उदयपुर जिले की ही ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति करेल को प्रदान किया गया।

वन विभाग, राजस्थान द्वारा प्रति वर्ष वन सुरक्षा एवं विकास के लिए अनेक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं:



वर्ष 2008 के पुरस्कार इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 19 जुलाई, 2009 को बाड़ावाली ढाणी, जयपुर में आयोजित 60वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा निम्नानुसार प्रदान किये गये:

- **अमृतादेवी विश्नोई पुरस्कार-2008**

वर्ष 2008 के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, करैल, रेंज फलासिया वन मण्डल, उदयपुर (मध्य) को दिया गया। इस पुरस्कार में समिति को 50,000 रु. नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

- **राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार**

वर्ष 2008 के राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार निम्नानुसार प्रदान किए गए:-

**सर्वोत्तम वन प्रहरी पुरस्कार :-** श्री महावीर शर्मा, अध्यक्ष वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, कुकडेला, वन मण्डल, जयपुर (उत्तर)





को प्रदान किया गया।

#### सर्वोत्तम वन रक्षक पुरस्कार

श्री मोहम्मद इकबाल, नाका झूंगरपुर, रेंज झूंगरपुर, श्री रणधीर सिंह, रेंज 61 के. वाई. डी., वन मण्डल, छतरगढ़, श्री रामपाल शर्मा, वन मण्डल, जयपुर (मध्य)



#### सर्वोत्तम वनपाल

श्री दारासिंह राणावत, वनपाल, नाका दाणीतलाई, रेंज बांसी, वन मण्डल, प्रतापगढ़, श्री हनुमान विश्नोई, वनपाल, रेंज बेरियांवाली, वन मण्डल, छतरगढ़

#### सर्वोत्तम क्षेत्रीय

श्री बहादुर सिंह राठौड़, क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज गढ़ी, वन मण्डल, बांसवाड़ा, श्री रघुवीर सिंह ढाका, क्षेत्रीय वन अधिकारी-II विश्व खाद्य कार्यक्रम, जैसलमेर

#### सर्वोत्तम वानिकी लेखन एवं अनुसंधान

श्री ओमप्रकाश शर्मा, मुख्य लेखाधिकारी एवं आंतरिक वित्त सलाहकार, कार्यालय महाप्रबन्धक भारत संचार निगम लि., बीकानेर

#### □ इतर विभागीय सम्मान

वन विभाग के अधिकारी/कार्मिक अनेक ऐसे उत्कृष्ट कार्य करते हैं जो साष्ट्रीय अथवा राज्य महत्त्व के होते हैं। ऐसी उपलब्धियों के लिए वन विभाग से इतर संस्थाएं/संगठन भी उनका सम्मान करते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग के निम्न अधिकारी/कर्मचारी अन्य संगठनों द्वारा सम्मानित किए गए:

- श्री के. आर. काला, उप वन संरक्षक, नागौर को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए माननीय श्री भँवरलाल मेघवाल, मंत्री, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार एवं प्रभारी मंत्री जिला नागौर ने 15 अगस्त, 2009 को 63वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया।



- डॉ. सतीश कुमार शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुर को उनके द्वारा मेवाड़ की प्राकृतिक धरोहर एवं जैव-विविधता में सराहनीय व उत्कृष्ट योगदान हेतु इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हैरिटेज INTACH, उदयपुर द्वारा दिनांक 2-11-2009 को उनके रजत जयन्ती समारोह-2009 में सम्मान पत्र प्रदान किया गया।

○○○



## 16

### संचार एवं प्रसार

किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनसाधारण को पूर्ण जानकारी हो। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने एवं वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग में मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं। संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) के अन्तर्गत इस वर्ष माह दिसम्बर, 2009 तक मुख्य रूप से निम्न कार्य किये गये हैं:

- दूरदर्शन पर दिसम्बर, 2009 तक 180 स्पीकिंग स्पोर्ट एवं चौपाल कार्यक्रम में वानिकी एवं विशेषज्ञों की 9 वार्ताएं प्रायोजित की गई हैं। दूरदर्शन पर ही इस वर्ष से विकास दर्पण कार्यक्रम भी प्रायोजित किया जा रहा है। अब तक इस प्रकार के तीन कार्यक्रम प्रसारित करवाये गये हैं जिनमें विभाग की विकासोन्मुखी गतिविधियों की जानकारी आम जनता को दिखाई जाती है। ई-टी. वी. पर नवम्बर,

2009 से वन एवं वन्य जीव संरक्षण तथा वन विकास को प्रेरित करने वाले दो विज्ञापन प्रतिदिन समाचारों के दौरान प्रसारित करवाये जाते हैं।



माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत व्यानिकी प्रदर्शनी का अदलोचन करते हुए

- आकाशवाणी के एफ. एम. रेडियो पर प्रतिदिन प्रातः 8.30 बजे, 9 बजे एवं 9.30 बजे प्राइम टाइम पर 10-10 सैकिप्प के तीन विज्ञापन वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण संबंधित प्रसारित किये जा रहे हैं तथा इन्हीं विज्ञापनों का सायंकाल 5.30 बजे, 6.00 बजे एवं 6.30 बजे पुनः प्रसारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के जयपुर, अजमेर केन्द्र



माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हरित राजस्थान पर पुस्तकों एवं स्टीकर का विमोचन करते हुए



किये गये 'हरित राजस्थान कार्यक्रम' की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के साथ-साथ आम जनता से पौधारोपण कार्य करवाया गया।

- राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 27 वन महोत्सव, 2 वन्य प्राणी सप्ताह, 2 विश्व पर्यावरण दिवस, 1 पृथ्वी दिवस, 3 जनघेतना रैली, 5 पौधारोपण कार्यक्रम, एक वन्य जीव प्रशिक्षण कार्यक्रम, 4 लघु नाटक, 2 Improve Crop Demonstration आयोजित किये गये।



प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पुरस्कृत करते प्र.मु.व.सं. (TREE)

के मीडियम वेव पर प्रत्येक बुधवार को सायंकाल 7.15 बजे से 7.45 बजे के मध्य वानिकी चौपाल कार्यक्रम के अन्तर्गत 'धरा की पुकार' कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है जिसमें वानिकी विकास संबंधित विषयों पर विभाग के अधिकारियों की वार्ता प्रसारित करवाई जा रही है।

- राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत संचालित जीविकोपार्जन गतिविधियों, प्रकृति पर्यटन आदि की जानकारी देने वाले पांच फोल्डर अंग्रेजी एवं जापानी भाषा में प्रकाशित करवाये गये हैं।
- राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की उल्लेखनीय गतिविधियों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के लिये लघु फिल्म का निर्माण करवाया गया है।
- वर्षा क्रतु के दौरान विभिन्न स्थानों पर वन महोत्सवों का आयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शुभारम्भ



- प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पुरस्कृत करते अति. प्र.मु.व.सं. (प्रशा.)
- हरित राजस्थान कार्यक्रम से आम जनता का जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक पुस्तिका "हरित-राजस्थान", राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सचिवालय, जयपुर के सहयोग से प्रकाशित की गई।
  - विभागीय मुख-पत्र वानिकी-समाचार का वर्ष पर्यन्त नियमित प्रकाशन किया गया।
  - माह मार्च, 2008 में प्रकाशित पुस्तक 'विभागीय कार्य-निर्देशिका', जो वन अधिकारियों एवं कार्मिकों के कौशल संवर्धन के लिए प्रचलित विभागीय आदेशों-निर्देशों व परिपत्रों का संकलन है, को प्रदेश के सभी वन कार्यालयों तक पहुँचाया गया।
  - 26 जनवरी को नागौर में मनाये गये राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस पर वन मण्डल, नागौर की झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।



संचार-प्रसार गतिविधियों से  
जापानी अभिकरण को अवगत कराने के लिए जापानी भाषा में मुद्रित साहित्य

## 17

# सामाजिक आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध

पूर्व में वनों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन कर अधिकाधिक आय प्राप्त करना वन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। कालान्तर में पर्यावरण के संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रों के विदोहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

## वनों का प्रत्यक्ष योगदान

### ❖ निःशुल्क लघु वन उपज प्राप्ति:

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें लाभ में हिस्सा दिये जाने के उद्देश्य से 'जनसहभागिता' की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों तथा वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाले सकल लाभों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। वानिकी विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि, पंचायत भूमि अथवा राजस्व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को घास, छांगण आदि के रूप में करोड़ों रुपये मूल्य

छाया : ओ. पी. शर्मा



आदिवासी महिलाओं द्वारा लघु वन उपज सौताफल की प्रोसेसिंग

की लघु वन उपज निःशुल्क प्राप्त हो रही है।

### ❖ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में वनों का योगदान

वनों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से है। वानिकी सेक्टर के विभिन्न घटकों द्वारा राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान इस प्रकार है:

घटक	योगदान (लाख रुपयों में)
ईंधन	22250.00
चारा	126815.00
इमारती लकड़ी	17000.00
लघु वन उपज	5400.00
योग	<b>171465.00</b>

### ❖ लघु वन उपज की आपूर्ति

राज्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास व अन्य लघु वन उपज ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकें और वन उपज का वैज्ञानिक प्रावधान भी हो सके। विभागीय वृक्षारोपणों से करोड़ों रु. मूल्य की घास प्रतिवर्ष ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ग्रामवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से लगभग 13 करोड़ रु. मूल्य की एक लाख टन लघु वन उपज वितरित की गई है जिसमें लगभग 10.60 करोड़ मूल्य की 84,300 टन घास सम्मिलित है।



## ● स्वयं सहायता समूह

राज्य में निवास करने वाली आदिवासी जातियां एवं निर्धन व पिछड़े वर्ग के ग्राम समुदाय अपनी आजीविका के लिए निकटवर्ती वनों पर आश्रित होते हैं। ये समुदाय वनोपज निकास कर अपना जीवन चलाते हैं और अनजाने ही वनों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग इनके स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, विक्रय आदि का प्रशिक्षण व कार्य आरम्भ करने हेतु ऋण के रूप में पूँजी उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका अर्जन के अवसर देता है।

राज्य में अब तक ऐसे 1488 समूहों का गठन किया गया है। इसमें से 607 समूह केवल महिलाओं के तथा शेष समूह पुरुषों के हैं। ये समूह मसाला निर्माण, जैविक गुलाल बनाने, अनाज बैंक, वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन, गुड़िया व दरी निर्माण, बांस का विभिन्न सामान बनाने तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं के विक्रय केन्द्र का संचालन, अगरबत्ती तथा मिठाई के लिए पैकिंग के डिब्बे आदि बनाने, फूलों की खेती व अन्य अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। इनमें से अनेक समूहों का बैंक लिंकेज भी हो चुका है।

अकेली राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में कुल 1281 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। ये समूह डेयरी, सिलाई उद्योग, दरी निर्माण, मुर्गीपालन एवं लघु बैंकिंग लघु सिंचाई, अचार-बड़ी-पापड़ उद्योग, रस्सी उद्योग, लघु वन उपज संग्रहण, आटा चक्की, दाल निर्माण, फूल-सब्जी उत्पादन आदि कार्य से जुड़े हैं। कुछ समूहों ने ऋण की अदायगी वापिस शुरू कर दी थी।

स्वयं सहायता समूहों में चल रही गतिविधियों के कुछ उदाहरण लघु सिंचाई योजना वन मण्डल, उदयपुर मध्य अन्तर्गत आमोड रेंज फलासिया में गत तीन वर्षों से सफलता पूर्वक चलाई जा रही है जिसमें पूर्व में बारानी खेती के स्थान पर 70 बीघा में पारम्परिक फसलों के साथ नकदी फसलें भी ली जा रही हैं।

वन मण्डल, उदयपुर दक्षिण में केवड़ा की नाल ग्राम में स्वयं सहायता समूह द्वारा किराना व सब्जी की दुकानें चलाई जाकर लगभग 500/- रु. प्रतिमाह की अतिरिक्त आय की जा रही है। साथ ही की गई बचत में आंतरिक ऋण व्यवस्था चलाकर ब्याज देने से भी मुक्त पाई है।

इसी वन मण्डल में पाटिया (खैरवाड़ा) में सिलाई प्रशिक्षण

प्राप्त कर सिलाई केन्द्र चलाया जाकर अतिरिक्त आय सृजित की जा रही है।

वन मण्डल, डूंगरपुर में सोनावाली ग्राम (सागवाड़ा) में फूल, सब्जी उत्पादन व डेयरी चलाकर अच्छी आय प्राप्त की जा रही है। ग्राम मरकुला में बचत समूह से आंतरिक ऋण व्यवस्था द्वारा ऑटो रिक्शा खरीद कर चलाया जा रहा है जिससे अच्छी आय हो रही है।

छाया : मनोज पाराशर



अद्वाक से सौंठ बनाने का प्लांट

वन मण्डल, बांसवाड़ा में घाटोल में सण कताई, टोपला, अनाज बैंक, सब्जी उत्पादन, बांसवाड़ा में रस्सी उद्योग, सब्जी उत्पादन, बागीदौरा में रस्सी उद्योग, अनाज बैंक, कुशलगढ़ में आटा चक्की, किराना स्टोर, मुर्गी पालन, अनाज बैंक, सिलाई उद्योग, लघु सिंचाई, मसाला उद्योग, कवेल उद्योग, गढ़ी में बीज उत्पादन, अनाज बैंक व सिलाई द्वारा स्वयं सहायता समूह अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं।

वन मण्डल, उदयपुर मध्य में दाल उत्पादन, लघु वन उपज संग्रहण, मुर्गीपालन, अगरबत्ती स्टिक निर्माण कर अच्छी आय सृजित की जा रही है।

## ● आधारभूत संरचना का विकास

परियोजना अन्तर्गत ग्राम विकास के लिए प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत अनेक गतिविधियों की जाती हैं, इनमें सामुदायिक भवन का निर्माण, यात्री विश्राम गृह, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, चबूतरा, पशु चिकित्सा शिविर, सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जाता है। इन कार्यों में अपने अंशदान के रूप में ग्रामवासी भी नकद राशि प्रदान करते हैं। गत वित्तीय वर्ष में आधारभूत संरचना के विकास कार्यों के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत 17.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।



छाया : गिरीश पुरोहित



## ० स्थानीय लोगों को रोजगार

वानिकी विकास, विदोहन व वन उत्पाद संग्रह सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वन क्षेत्रों के आसपास अंदरूनी क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के श्रम साध्य लोगों को प्रतिवर्ष स्थानीय स्तर पर जीविकोपार्जन के लिए रोजगार उपलब्ध होता है, जिससे इन लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने से छुटकारा मिलता है।

राज. वानिकी एवं जैव विविधता की कुल परियोजना अवधि में 303 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। चालू वर्ष में नरेंगा योजना के अन्तर्गत भी राज्य भर में अब तक 65,445 मानव दिवसों का रोजगार सृजित हुआ है। बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाओं में भी चालू वर्ष के दिसम्बर माह तक 4,11,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। नदी धाटी परियोजनाओं में भी माह दिसम्बर तक 4,30,855 मानव दिवसों का रोजगार सृजित हुआ है।

## ० वन मित्र

वन विभाग अपने सीमित संसाधनों से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा का कार्य कर रहा है तथापि दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर वन प्रशासन एवं स्थानीय समुदायों के मध्य संवाद बना रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार के संकल्प सं. 22.8 से “वन मित्र” की नियुक्ति प्रस्तावित की गई है। योजना को दिनांक 17 जुलाई, 2009 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।

योजनान्तर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें वन क्षेत्र है, वहाँ

पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार करने के लिए वन क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का चयन ‘वन मित्र’ के रूप में किया जाएगा। वन मित्र की योग्यता आठवीं पास तथा आयु सीमा 20 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। वन मित्र की नियुक्ति, संबंधित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति करेगी तथा इसे 1500 रुपए प्रतिमाह स्टाईल फण्ड देय होगा। इसकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी जिसे आगे एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ये ‘वन मित्र’, वन क्षेत्रों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु ग्रामवासियों में जागरूकता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण का प्रचार-प्रसार करने, स्थानीय वन प्रशासन को सहयोग करने, वन विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने तथा आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

चालू वर्ष में 1000 वन मित्रों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। अब तक कुल 456 वन मित्रों को नियुक्त किया जा चुका है। इन्हें मण्डल स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है।

## वनों का परोक्ष योगदान

### ० पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों का सर्वाधिक परोक्ष योगदान है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार आकार का एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से प्रतिवर्ष अरबों-खरबों रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

अनुसार आकार का एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से प्रतिवर्ष अरबों-खरबों रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

## ० साझा वन प्रबन्ध

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने का विधिवत कार्यक्रम 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से आरम्भ कर दिया गया था। समय-समय पर इस आदेश में वांछित संशोधन किए जाते रहे हैं। वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 17.10.2000 व संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए



24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबन्ध की संकल्पना की क्रियान्विति की जाती है। राज्य में वर्तमान में 207 इको डिवलपमेंट कमेटियां गठित की जा चुकी हैं।



राज्य में 5054 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित हैं जो लगभग 7.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का प्रबन्धन कर रही हैं। समितियों द्वारा प्रबन्धित कुल क्षेत्र में से 1 लाख 16 हजार से अधिक हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र तथा लगभग 44000 हैक्टेयर वन खण्डों का क्षेत्र है।

राज्य की समितियों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के परिणामस्वरूप दो वन सुरक्षा समितियों को इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार 18 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में दिया गया।



उदयपुर जिले की वन सुरक्षा समिति पालिया खेड़ा (झाडोल) को वर्ष 2007 तथा वन सुरक्षा समिति करेल को 2008 हेतु पुरस्कृत किया गया।

राज्य में कार्यरत समितियों में से 4281 पंजीकृत समितियां हैं तथा शेष नवगठित समितियां पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं। कुल समितियों में 5,45,830 व्यक्ति सदस्य हैं जिनमें से 1,84,742 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 67,685 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 2,54,035 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से हैं। कुल समितियों में से 3,669 समितियों में महिलाओं की उप समितियों के गठन का कार्य पूर्ण हो गया है।

राज्य की कुल समितियों में से 2,857 समितियों ने अपने बैंक खाते खोल रखे हैं जिनमें 629.443 लाख रुपये की धनराशि जमा है। 706 समितियों ने पृथक् से अनुरक्षण कोष स्थापित कर रखे हैं जिनमें 4,33,90,745 रुपये की विशाल धनराशि जमा है। यह अनुरक्षण कोष विभागीय गतिविधियों के बन्द होने के बाद क्षेत्र के प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था से भारी व्यय के बाद तैयार वृक्षारोपणों के बजट के अभाव में नष्ट होने का खतरा समाप्त हो जाएगा।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में राज्य में नवगठित वन सुरक्षा समितियों को 1.5 लाख रुपये आधारभूत संरचना के विकास के लिए, 1.00 लाख रुपये परियोजना अवधि में सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु कॉर्पस फण्ड सृजित करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाने

हेतु आय सृजन गतिविधियों में इस वर्ष 14 वन सुरक्षा समितियों में कॉर्पस फण्ड का सृजन कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक समिति को आय सृजन गतिविधियों हेतु 80,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि समिति के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को 20,000 रुपये प्रति समूह, कार्यकारी पंजी के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे वे अपनी रोजगार की गतिविधियां आरम्भ कर सकें।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के लेखों के आंतरिक अंकेक्षण के लिये पूर्व में एक परिपत्र जारी



किया गया था किन्तु तकनीकी कठिनाई होने के कारण इस वर्ष 27 जनवरी, 2010 को आंतरिक अंकेक्षण हेतु नवीन निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इन निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष वन मण्डल का आंतरिक अंकेक्षण करते समय वन मण्डल की 5 प्रतिशत वन सुरक्षा समितियों के लेखों का भी रोटेशन एवं रेण्डम् पद्धति से प्रतिवर्ष आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा किया जायेगा।

## वैकल्पिक रोजगार

**कुटीर उद्योगों की स्थापना :** आय व रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में राज्य की अनेक समितियों ने स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योग आरम्भ किए हैं जिनमें तूअर की दाल बनाना, अदरक से सौंठ का निर्माण, अगरबत्ती स्टिक्स बनाना, एलोवेरा का रस बनाकर बेचना, लेमनग्रास तथा हर्बल गुलाल का निर्माण, पेपर बॉक्स बनाना प्रमुख हैं। इस वर्ष इन कार्यों का अन्य समितियों तक विस्तार किया जा रहा है।

## लोक कल्याणकारी कार्य

गत वर्षों में विभाग ने प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के अन्तर्गत अनेक ग्रामों में सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, चबूतरा निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय, हैण्डपम्प लगाना आदि अनेक कार्य किए हैं। इस कड़ी में प्रतापगढ़ जिले के धार व मायदा गांव का सौर विद्युतीकरण का कार्य भी किया गया।

चालू वर्ष में वन विभाग ने समितियों के सहयोग, कृषि विभाग से मिलने वाले अनुदान तथा कुछ राशि विभाग की मिलाकर प्रतापगढ़ जिले के अनेक गांवों यथा धार, दाणीतलाई आदि में कृषकों को लोहे के हल तथा सीड़ ड्रिल उपलब्ध कराई है। इस कार्य से ग्रामीणों को लघु काष्ठ हेतु वनों पर आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई है तथा उन्हें स्थाई रूप से यंत्र प्राप्त हो गए हैं।

## कम्प्यूटरीकरण

उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में कतिपय ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों में अपने ग्राम के बच्चों को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक से जोड़ने की अनूठी पहल की है। इन

समितियों ने अपने कोष से कम्प्यूटर क्रय कर विद्यालयों को उपलब्ध कराये हैं जहां ग्रामीण विद्यार्थी कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये समितियों समिति का लेखा बनाने का कार्य भी कम्प्यूटर पर कर रही हैं।

## बांस विदोहन

राज्य में साझा वन प्रबन्ध की अवधारणा के अन्तर्गत गांव-गांव में ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन कर, वन क्षेत्र व वृक्षारोपणों की सुरक्षा व प्रबन्ध समितियों का गठन कर, वन क्षेत्र व वृक्षारोपणों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले में उन्हें आय व लाभ में हिस्सा देने के अनुबन्ध किए गए थे। परिणामस्वरूप अनेक स्थानों



पर ग्रामवासियों ने अपनी संगठित शक्ति से न केवल कुशल वन सुरक्षा व प्रबन्ध ही किया अपितु हिस्सा राशि भी प्राप्त की।

उदयपुर संभाग के अनेक वन मण्डलों में ऐसे ही अनुबन्धों के अनुरूप ग्रामवासियों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों से बांस विदोहन कार्य वर्ष 2004-05 से आरम्भ किया गया जो शनै:-शनै: अनेक स्थानों पर हो रहा है।


उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 से वर्ष 2007-08 तक 31 स्थानों पर बांस विदोहन किए जाकर, वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को 17,97,680 रुपए हिस्सा राशि प्राप्त हुई है तथा इतनी ही राशि वन विभाग के खाते में गई है। चालू वर्ष में अग्रानुसार 11 समितियों के 19 वृक्षारोपणों के 1100 हैं। क्षेत्र में बांस विदोहन किया जा रहा है:-



क्र. सं.	नाम वन मण्डल	नाम रेंज	व.सु.एवं प्र. समिति का नाम	विदोहन किए जाने वाले वृक्षारोपण का विवरण
1.	बांसवाड़ा	घाटोल	मकनापुर	उमरझाला पठार 98-50 है।
2.	बांसवाड़ा	घाटोल	अमरथून	जगमेर 89-50 है।
3.	बांसवाड़ा	सलुम्बर	गावड़ापाल	गावड़ापाल 93-94, 100 है।
4.	बांसवाड़ा	सराड़ा	केवड़ा	मनियोल उर्फ काली घाटी 96-97, 50 है।
5.	उदयपुर (उत्तर)	सायरा	पलासमा	आर्थिक वृक्षा. जरगा 92-50 है। RBH जरगा 98-50 है। RDF गूजरों का गुढ़ा 98-50 है।
6.	उदयपुर (मध्य)	देवला	मालवीय मेरपुर	तोरणा-ख (2) 90-100 है।
7.	उदयपुर (मध्य)	झाड़ोल	बिणास माता	WFP किरट 97-50 है।
8.	उदयपुर (मध्य)	झाड़ोल	खाखरा खेड़ा	RDF-I नारायणी 98-50 है।
9.	उदयपुर (मध्य)	झाड़ोल	गोबाना	RDF-I परमा पर्वत 98-50 है।
10.	उदयपुर (मध्य)	झाड़ोल	करेल	अ.वृ.प. 99-50 है। सी.एस.एस. 99-50 है।
11.	उदयपुर (मध्य)	झाड़ोल	आमोड़	कमलनाथ NTFP 2001-50 है।
	योग		सुरक्षा समिति 11	कुल विदोहित किया जाने वाला क्षेत्र 1100 है।

इन वृक्षारोपणों के अतिरिक्त प्रतापगढ़ वन मण्डल के निम्न स्थानों पर दूसरे चक्र में 1,19,900 परिपक्व बांसों के विदोहन की स्वीकृति प्रसारित की गई है :-

क्र. सं.	नाम रेंज	वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का नाम	काटे जाने वाले बांसों की संख्या
1.	बानसी	मायदा	8,000
2.	बानसी	दानी तलाई	42,500
3.	बानसी	भैरव	11,400
4.	बानसी	धार	40,000
5.	बानसी	आरामपुरा	35,000
	योग		1,19,900



## 18

# खेलकूद प्रतियोगिताएं

## 18वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता

18वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 से 6 फरवरी, 2010 तक किया गया। इस प्रतियोगिता में वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया तथा चार स्वर्ण, पांच रजत व चार कांस्य पदक प्राप्त किएः—

1. चीफ डे मिशनः— श्री यू.एम. सहाय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.)
2. स्टेट कोर्डिनेटर ऑफ राजस्थानः— श्री ए.के.गोयल, मुख्य वन संरक्षक (विभागीय कार्य)
3. मैनेजरः— श्री घनश्याम शर्मा, उप वन संरक्षक

क्र.सं.	नाम खिलाड़ी	खेल	पदक
1.	श्री यू.एम. सहाय	टेनिस सीनियर वेटरन सिंगल	स्वर्ण
2.	श्री यू.एम. सहाय	टेनिस सीनियर वेटरन डबल्स	स्वर्ण
3.	श्री वीरेन्द्र सिंह	टेनिस सीनियर वेटरन डबल्स	स्वर्ण
4.	श्री राहुल भटनागर	टेनिस वेटरन सिंगल	स्वर्ण
5.	श्री नारायण पारदासानी	टेबिल टेनिस सीनियर वेटरन सिंगल	स्वर्ण
6.	श्री सतीश भार्गव	टेबिल टेनिस वेटरन सिंगल	रजत
7.	श्री यू.एम. सहाय	टेनिस वेटरन डबल्स	रजत
8.	श्री नारायण पारदासानी	टेबिल टेनिस वेटरन डबल्स	रजत
9.	श्री राहुल भटनागर	टेबिल टेनिस वेटरन डबल्स	रजत
10.	श्री सतीश भार्गव	टेबिल टेनिस वेटरन डबल्स	रजत
11.	श्री सतीश भार्गव	टेबिल टेनिस वेटरन सिंगल	रजत
12.	श्री राहुल भटनागर	टेबिल टेनिस ओपन	रजत
13.	श्री महावीर सिंह	पॉवर लिफ्टिंग	कांस्य
14.	श्री रसिक बिहारी	डिस्कस थ्रो/भाला फेंक	कांस्य
15.	श्री सतीश भार्गव	टेबिल टेनिस ओपन डबल्स	कांस्य
16.	श्री नारायण पारदासानी	टेबिल टेनिस ओपन डबल्स	कांस्य



परिशिष्ट-1

## राज्य का जिलेवार अभिलेखित वन क्षेत्र

राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों में अभिलेखित वन क्षेत्रों की स्थिति भिन्न-भिन्न है। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में तथा न्यूनतम चूरू जिले में हैं। राज्य के सभी जिलों का वन क्षेत्र एवं उनमें वन आवरण की नवीनतम स्थिति का अवलोकन निम्न सारणी से किया जा सकता है।

### राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र एवं वनावरण की स्थिति (2009)

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.)	वन क्षेत्र (वर्ग किमी.)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				
				अत्यधिक सघन	सघन	अनावृत्त	कुल	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
अजमेर	8481	613.09	7.13	0	39	237	276	3.21
अलवर	8380	1784.95	21.29	59	326	812	1207	14.45
बांसवाड़ा*	5037	1236.66	24.55	0	83	292	375	7.35
बारां	6955	2239.61	32.08	0	149	940	1089	15.49
बाड़मेर	28387	227.22	2.14	0	3	166	169	0.60
भरतपुर	5066	434.94	7.54	0	34	202	236	4.66
भीलवाड़ा	10455	778.75	7.62	0	33	189	222	2.10
बीकानेर	27244	1249.06	4.41	0	28	169	197	0.73
बूंदी	5550	1566.77	27.19	0	146	307	453	8.02
चित्तौड़गढ़+	10856	1820.19	25.48	0	597	1092	1689	15.42
चूरू	16830	71.22	0.42	0	5	84	89	0.52
दौसा*	2950	282.63	9.58	0	-	-	-	-
धौलपुर	3034	38.44	21.04	0	82	337	419	13.81
झंगरपुर+	3770	692.72	18.42	0	44	208	252	6.68
श्रीगंगानगर	7944	633.44	7.97	0	31	146	177	0.82
हनुमानगढ़*	12690	239.46	1.88	0	-	-	-	-
जयपुर	11588	945.65	8.18	13	114	504	631	4.43
जैलसमेर	38401	581.29	1.40	0	47	115	162	0.41
जालौर	10640	452.60	4.06	0	13	195	208	1.85
झालावाड़	6219	1349.79	21.63	0	83	313	396	6.35
झुनझुं	5928	405.35	6.84	0	24	169	193	3.17
जोधपुर	22850	243.03	1.07	0	3	90	93	0.40
करौली*	5052	1802.05	35.67	0	-	-	-	-
कोटा	5481	1310.82	25.54	0	155	460	615	11.26
नागौर	17718	240.92	1.36	0	11	108	119	0.64
पाली	12387	963.50	7.76	0	214	444	658	5.00
प्रतापगढ़	-	1407.04	-	-	-	-	-	-
राजसमंद	4768	396.57	8.32	0	131	291	422	10.83
सराइमाधोपुर	5005	93772	19.82	0	260	1039	1299	12.29
सीकर	7732	639.35	8.25	0	32	160	192	2.44
सिरोही+	5136	1638.65	31.13	0	300	617	917	17.23
टोंक	7194	335.96	4.61	0	33	133	166	2.32
उदयपुर+	12511	4141.69	36.62	0	1420	1695	3115	23.16
<b>योग</b>	<b>342239</b>	<b>32701.35</b>	<b>9.56</b>	<b>72</b>	<b>4460</b>	<b>11514</b>	<b>16036</b>	<b>4.63</b>

\* दौसा, हनुमानगढ़, करौली व प्रतापगढ़ जिलों का वनावरण मूल जिलों क्रमशः जयपुर, श्रीगंगानगर, सराइमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ के साथ दर्शाया गया है क्योंकि इनकी सीमाएं पृथक् से निर्धारित नहीं हो पाई हैं।

+ राज्य के आदिवासी जिले

स्रोत : वन स्थिति रिपोर्ट 2009 एवं मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

## 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2009-10

उपलब्धि माह दिसम्बर, 2009 तक

क्र.सं.	जिला	जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां		जिलेवार पौधारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां	
		वृक्षारोपण लक्ष्य (हैक्टेयर)	वृक्षारोपण उपलब्धियां (हैक्टेयर)	पौधारोपण लक्ष्य (लाखों में)	पौधारोपण उपलब्धियां (लाखों में)
1.	अजमेर	3500	2727.00	22.75	12.340
2.	अलवर	2000	2481.82	13.00	9.510
3.	बांसवाड़ा	4500	8723.50	29.25	28.626
4.	बारां	3550	2662.00	23.08	10.960
5.	बांडेर	5000	2642.00	32.50	14.400
6.	भरतपुर	1600	1968.92	10.40	9.340
7.	भीलवाड़ा	5300	7489.00	34.45	35.880
8.	बीकानेर	2200	2370.00	14.30	9.840
9.	बूंदी	2000	1834.00	13.00	3.750
10.	चित्तौड़गढ़	2250	5990.00	14.62	42.160
11.	चूरू	2000	627.00	13.00	2.570
12.	दौसा	2500	2168.00	16.25	12.990
13.	धौलपुर	2500	2002.00	16.25	4.358
14.	झूंगरपुर	4000	2323.40	26.00	18.220
15.	श्रीगंगानगर	1950	666.00	12.68	4.670
16.	हनुमानगढ़	2000	677.00	13.00	4.140
17.	जयपुर	4000	4658.00	26.01	18.230
18.	जैसलमेर	1500	1205.64	9.75	5.930
19.	जालौर	2750	1965.00	17.88	11.110
20.	झालावाड़	4000	3998.00	26.00	12.238
21.	झुन्झुनूं	1750	2612.00	11.38	8.510
22.	जोधपुर	2500	2431.00	16.25	10.400
23.	करौली	2000	2537.00	13.00	13.250
24.	कोटा	2200	1514.83	14.30	6.443
25.	नागौर	3700	2247.00	24.05	10.058
26.	पाली	4000	4052.00	25.99	15.879
27.	प्रतापगढ़	3700	3755.00	24.05	14.040
28.	राजसमंद	2000	3006.00	13.01	19.544
29.	सवाइमाधोपुर	1600	1561.00	10.40	6.740
30.	सीकर	3300	2371.00	21.45	17.608
31.	सिरोही	2150	1307.94	13.98	10.910
32.	टोंक	2000	1275.00	13.00	8.440
33.	उदयपुर	10000	9845.06	65.01	43.370
	योग	100000	97693.11	650.00	456.463



## राज्य योजना से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 2009 तक)

योजना	प्रावधान	अतिरिक्त प्रावधान	व्यय (दिसम्बर 09 तक)
वानिकी सेक्टर			
जैव विविधता संरक्षण	243.00	-	71.23
संघनन, सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्तु कार्य	1.90	-	0.31
परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	731.26	-	358.53
संचार एवं भवन	106.00	-	0.50
कैम्पा कोष	5000.00	-	-
भारखड़ा नहर वृक्षारोपण	130.43	-	81.35
गंगनहर वृक्षारोपण	90.28	-	66.99
पर्यावरण वानिकी	10.50	12.00	15.73
वन्य जीव संरक्षण	515.13	-	331.13
कृषि वानिकी	84.66	-	38.90
गोवर्धन ड्रेन	3622.00	-	-
एकीकृत वन सुरक्षा योजना	62.50	-	3.81
योग	10597.66	12.00	968.48
बारहवां वित्त आयोग	143.89	198.70	111.12
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	808.00	-	398.60
योग	808.00	-	398.60
भू-संरक्षण सेक्टर			
पर्वतीय एवं कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	20.18	-	4.17
कॉर्पस फण्ड	-	-	-
योग	20.18	-	4.17
बनास परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	117.31	-	92.39
नदी घाटी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	99.99	-	94.98
लूणी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	32.70	-	28.34
योग	270.18	-	219.88
महायोग	11819.73	210.70	1698.08

## वार्षिक योजना 2009-10 महत्वपूर्ण भौतिक प्रगति

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	दिसम्बर, 09 तक उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	वानिकी सेक्टर			
	कृषि वानिकी	लाख	45.00	13.82
	पर्यावरण वानिकी	है.	270	270
	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	850	696
	गंगा नहर	आर.के.एम.	510	465
2.	झालाना एवं आमेर का विकास			
	(अ) पक्की दीवार का निर्माण	रनिंग मीटर	9000	3719
	(ब) लूज स्टोन चैक डैम	घन मीटर	3000	1755
	(स) मृदा एवं नमी संरक्षण	संख्या	4	2
3.	वन मित्र	संख्या	1000	391
4.	बारहवां वित्त आयोग			
	(अ) पक्की दीवार का निर्माण	किमी.	18.81	3.13
5.	भू-संरक्षण			
	(अ) वृक्षारोपण	है.	200	



बया



वेबलर

छाया : मनोज पाराशर

## वार्षिक योजना 2009-10 केन्द्र प्रवित्ति योजना



योजना	नवीनतम प्रावधान		दिस. 09 तक वार्तविक व्यय	
	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा
वानिकी क्षेत्र				
सांभर नम भूमि परियोजना	97.39		45.01	
एकीकृत वन सुरक्षा परियोजना	187.50	62.50	11.43	
वन प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण	0.01			
बाय परियोजना एवं थाम्पेर	345.00	45.00	892.51	39.76
बाय परियोजना सरिस्कार	1680.00	36.00	259.67	16.86
घनापकी विहार का विकास	60.00		19.96	
अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	337.00	37.00	194.09	5.84
मर राष्ट्रीय उद्यान का विकास	50.00		11.23	
चिङ्गियाधरों का सुधार	0.02			
म.रा.उ./के.दे.रा.उ. संरक्षित क्षेत्र के बाहर				
योग (वानिकी क्षेत्र)	2756.92	180.50	1433.90	62.46
भू-संरक्षण क्षेत्र				
चम्बल, कड़वा वांटीवाड़ा के आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण	900.00	99.99	874.00	94.98
लूनी नदी के आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण	294.30	32.70	254.76	28.34
बनास परियोजना के आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण	1055.70	117.31	896.34	92.39
कुल (भू-संरक्षण क्षेत्र)	2250.00	250.00	2025.10	215.71
महायोग	5006.92	430.50	3459.00	278.17

## भू एवं जल संरक्षण

बाढ़ संभावित नदी बनास तथा लूणी नदी परियोजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2009-10 में  
कराये गये कार्यों की सूची


क्र. सं.	नाम सब-वाटरशेड	भौतिक उपलब्धि (क्षेत्रफल है.)
<b>व. यो. अनु. एवं विस्तार अधिकारी, टोंक</b>		
1.	डिगारिया	—
2.	नयागांव	2
3.	गोरधनपुरा	—
4.	लाम्बाहरिसिंहपुरा	—
5.	मोरला	60
6.	भदोलवा	658
7.	सूरजपुरा	120
8.	मलिकपुरा	81
9.	गुलगांव	377
10.	महादेवपुरा	82
11.	अडुसिया	64
12.	डिडावता	—
13.	लबाना	—
14.	लालगढ़	217
	<b>योग</b>	<b>1661</b>
<b>भू-संरक्षण अधिकारी, सवाईमाधोपुर</b>		
1.	पावाडेरा	143
2.	जगमेदा	58
3.	गुनशिला	88
4.	बासला	73

क्र. सं.	नाम सब-वाटरशेड	भौतिक उपलब्धि (क्षेत्रफल है.)
5.	जौला	691
6.	बगीना	556
7.	ढाणी मानपुर	400
8.	धौली	888
9.	ढाबरा	364
10.	ठेकरा	170
11.	बलोपा	278
12.	सहादतनगर	—
13.	मुचकन्दपुरा	—
14.	सुरेली	—
15.	बालथल	—
16.	बालागढ़	—
17.	जैल	—
18.	सुनारी	595
19.	लाहपुर	—
20.	कचीदा	70
21.	इटावा	568
22.	झुमनलवाड़ी	174
	<b>योग</b>	<b>3358</b>
<b>भू-संरक्षण अधिकारी, टोंक</b>		
1.	मोराङ्गर	180



क्र. सं.	नाम सब-वाटरशेड	भौतिक उपलब्धि (क्षेत्रफल है.)	क्र. सं.	नाम सब-वाटरशेड	भौतिक उपलब्धि (क्षेत्रफल है.)
2.	नैनवा की गवाड़ी	318			
3.	रेवाली	825			
4.	तमोरिया	376			
5.	सूज्या भैरू	440			
6.	झारिया	552			
7.	नयागांव	56			
8.	डाबरा	562			
9.	राहोली-प्रथम	310			
10.	राहोली-द्वितीय	465			
11.	नटाटा	396			
12.	झालरा	136			
13.	गुराई	-			
14.	चन्दवाड़	-			
15.	विजयगढ़	-			
	<b>योग</b>	<b>3358</b>			
<b>भू-संरक्षण अधिकारी लूनी नदी परियोजना</b>					
1.	बढ़गुड़ा	340			
2.	डिगोर	195			
3.	अर्जुनपुरा	797			
4.	खाजपुरा	-			
5.	श्रीयाली	755			
6.	ब्यावरखास	565			
7.	फतेहगढ़	143			
	<b>योग लूनी</b>	<b>2795</b>			
	<b>कुल योग</b>	<b>9880</b>			
वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में उप जलग्रहण क्षेत्रों में उपचारित क्षेत्रफल					
					30503
					महायोग
					40383

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा



‘ढाक के तीन पात’ नहीं, ढाक का एक पात अर्थात् इकपर्णी ढाक (ब्यूटिया मोनस्पर्मा), उदयपुर जिले के ढोलकमोल गांव में

## राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य	जिला	क्षेत्रफल (वर्गकिमी.)
<b>राष्ट्रीय उद्यान</b>			
1.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73
2.	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाईमाधोपुर	392.50
<b>अभयारण्य</b>			
1.	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य	अलवर	557.50
2.	मरु वन्य जीव अभयारण्य (डी.एन.पी.)	बाड़मेर, जैसलमेर	3162.50
3.	सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	127.76
4.	कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य	करौली, सवाईमाधोपुर	676.40
5.	कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर, राजसमन्द, पाली	608.57
6.	फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	492.68
7.	टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य	अजमेर, पाली, राजसमन्द	463.03
8.	सीता माता वन्य जीव अभयारण्य	चित्तौड़गढ़, उदयपुर	422.94
9.	रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य	बून्दी	252.79
10.	जमवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	जयपुर	300.00
11.	माउन्ट आबू वन्य जीव अभयारण्य	सिरोही	112.98
12.	राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव अभयारण्य	कोटा, सवाईमाधोपुर, बून्दी, धौलपुर, करौली	280.00
13.	दर्दा वन्य जीव अभयारण्य	कोटा, झालावाड़	274.41
14.	भैसरोड़गढ़ वन्य जीव अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	229.14
15.	बंध बरेठा वन्य जीव अभयारण्य	भरतपुर	199.50
16.	बसरी वन्य जीव अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69
17.	जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य	बून्दी, कोटा, चित्तौड़गढ़	153.41
18.	शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	बारां	98.70
19.	जयसमन्द वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	52.34
20.	नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	जयपुर	50.00
21.	रामसागर वन्य जीव अभयारण्य	धौलपुर	34.40
22.	वन विहार वन्य जीव अभयारण्य	धौलपुर	25.60
23.	केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य	धौलपुर	14.76
24.	तालछापर वन्य जीव अभयारण्य	चूरू	07.19
25.	सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	05.19
		योग	9161.21




# वन विभाग का

माननीय वन

प्रमुख शासन

अति. शासन सचिव, वन



नोट : का.आ.आ.-कार्य आयोजना अधिकारी, व.ब.अ.-वन बन्दोबस्त अधिकारी, उवसं आयोज एवं प्रबो-उवस, आयोजना एवं प्रबोधन, सवसं उ.द.-सवसं, उड़न दस्ता, सं.प्र.प्र.-संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण, व.जी.-वन्य जीव।


# संगठनात्मक ढांचा

मंत्री, राजस्थान

सचिव, वन

उप शासन सचिव, वन

परिशिष्ट-8





परिशिष्ट-९

## वर्ष 2008-09 की वार्तविक प्राप्तियां एवं वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत दिसम्बर, 09 तक कुल प्राप्तियां

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक (0406)	राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य आर.एफ. चालू वर्ष 2009-10	राजस्व प्राप्ति माह मार्च, 09 तक कुल	राजस्व कुल प्राप्ति माह दिसम्बर, 09
101	लकड़ी और वन्य उत्पाद की बिक्री			
1	इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	2.00	1.83	1.28
2	जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2623.00	2567.72	1180.23
3	बांस से प्राप्तियां	200.04	234.04	164.84
4	घास तथा वन की शुद्ध उपज	118.00	91.48	25.31
6	तेन्दू पत्ता व्यापार योजना			
1	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	725.00	881.38	954.16
2	अन्य विविध प्राप्तियां	20.00	17.38	4.88
205	काष्ठ निर्माण केन्द्र की प्राप्तियां			
800	अन्य प्राप्तियां			
1	अर्थदण्ड और राजसत्कार	650.00	667.02	381.84
2	शिकार अनुज्ञा शुल्क	0.00	32.14	
3	व्ययगत निक्षेप	0.00	7.64	1.69
4	अन्य वनों से प्राप्तियां	0.50	0.85	
5	अन्य विविध प्राप्तियां	650.00	629.78	256.09
	<b>योग - 800</b>			
	<b>योग - 01</b>			
2	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव			
111	प्राणी उद्यान			
1	चिड़ियाघर से प्राप्तियां	175.00	151.79	128.85
800	अन्य प्राप्तियां			
1	इको डिवलपमेंट से आय	325.00	345.53	190.16
02	रणथम्भौर बांध परियोजना में पर्यटकों से प्राप्ति	10.00		7.01
	<b>महायोग - 0406</b>	<b>5500.00</b>	<b>5628.58</b>	<b>3297.15</b>